खण्ड-161, अंक-5
शुक्रवार, 18 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(9 दिसम्बर, 1955 ई0)

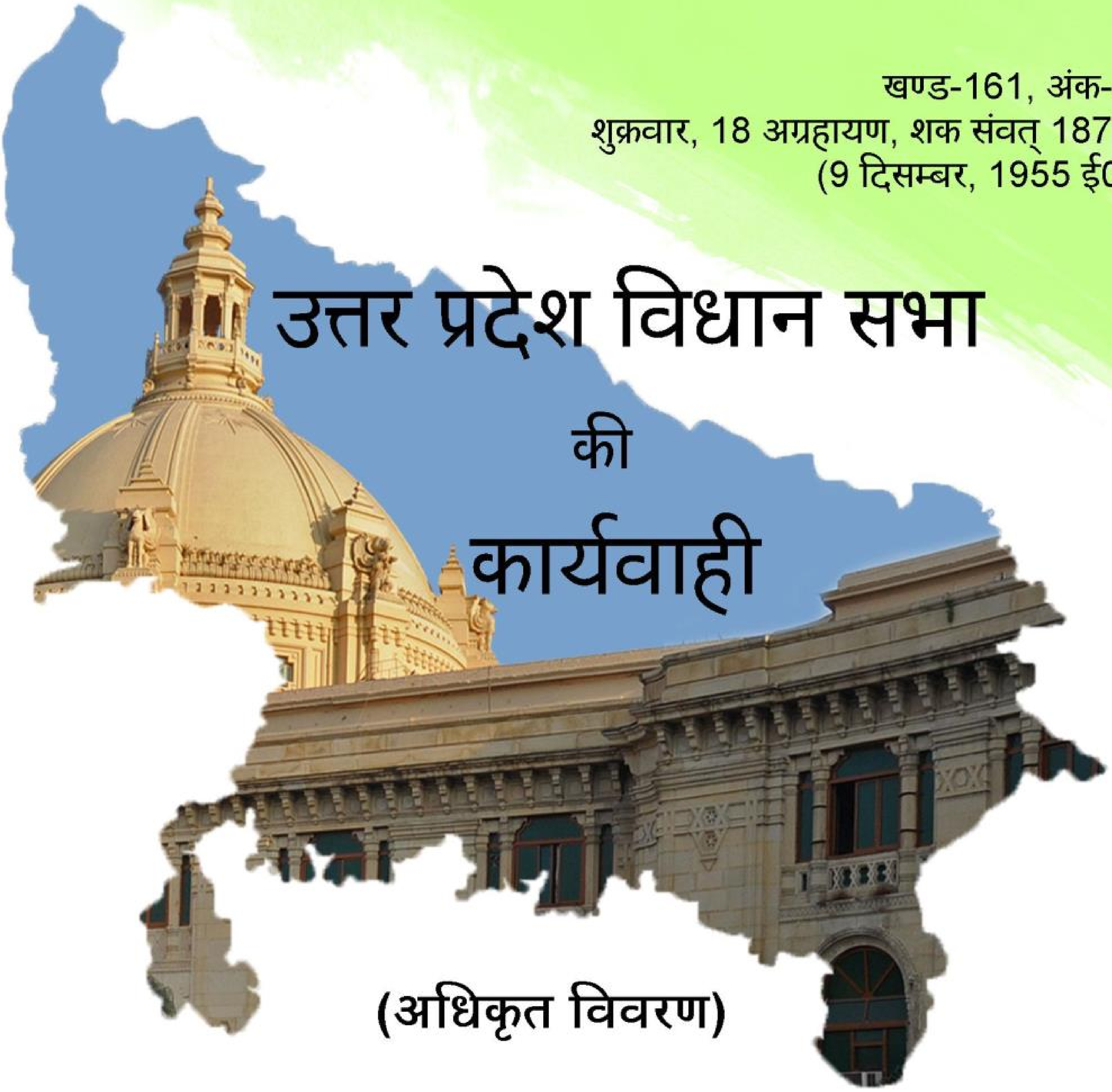

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 161 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफअली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[३० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--[१४ दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जे० टी० सी० अध्यापकों के नवीन वेतन के संबंध में घोषणा

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल सन् ५५ में उन्होंने जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन ६० रु० से प्रारम्भ करने की घोषणा की थी ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी हां, किन्तु मार्च, १९५५ में।

*५--श्री रामसुन्दर पांडेय--यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में उक्त आदेश लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--अभी किसी में नहीं। मामला विचाराधीन है।

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने जिला बोर्डों एवं सहायता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूलों को उक्त घोषणा कार्यान्वित करने के लिये कोई धनराशि दी है ? यदि हां, तो वह कितनी है ?

डाक्टर सीताराम--अभी नहीं। इस हेतु इस वर्ष के आय-व्ययक में ४,९५,७०० रु० का प्राविधान किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बोर्डों को इस प्रकार का आदेश सरकार ने दिया है कि जे० टी० सी० अध्यापक प्राइमरी स्कूलों के लिये अनुपयुक्त हैं ?

डाक्टर सीताराम--हां, यह भी कारण है और उनके लिये भी आवश्यक प्राविजन किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को जानकारी है कि इस आदेश पर जिला बोर्डों ने सभी ट्रेन्ड अध्यापकों को नोटिस दे दिया है और वहां सभी अनट्रेन्ड अध्यापक बनकर पढ़ा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि जे०टी०सी० हाई स्कूल टीचर्स या इन्टरमीडियेट पास लोग जूनियर हाई स्कूलों में जगह नहीं पा रहे हैं और घर बैठे हैं और अनट्रेन्ड वहां पढ़ा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अधीन हैं और सरकार को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि यह मामला सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कब तक रहेगा, इसकी भविष्यवाणी तो हो नहीं सकती । विचार किया जा रहा है कि जो दिक्कतें बीच में आ रही हैं उनका समाधान कैसे हो, यह सब सोचा जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस समय जे०टी०सी० ट्रेन्ड को क्या वेतन मिलता है और उसमें महंगाई भत्ता कितना है ?

डाक्टर सीताराम---केवल ४५ रुपया मिलता है ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनका ६० रुपया वेतन करने की योजना समस्त प्रदेश में कब तक लागू होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका उत्तर तो मैं दे चुका कि यह मामला अभी विचाराधीन है और ज्यों ही कुछ निश्चय हो जायगा वह सारे प्रदेश में दिया जायगा, रुपये का बजट में प्राविजन कर ही लिया गया है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो जे० टी० सी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के टीचर्स हैं उनसे वहां के प्रधान अध्यापक का वेतन कम होता है, क्या इसी कारण से अभी उनको वह वेतन दर नहीं दिया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वह पहला ग्रेड तो मिल ही रहा है लेकिन जो ४५ से ६० तक किया गया है उसमें मिनजुमला और दिक्कतों के एक दिक्कत यह भी है कि वह जे० टी० सी० के अन्डर रहेंगे जिनका वेतन ६० के अन्दर नहीं है । यह मसला हमारे सामने है, इस सब का समाधान होने पर वह लागू किया जायगा ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार इसको अपनी जिम्मेदारी समझती है कि जे० टी० सी० ट्रेन्ड टीचर्स को जगह दिलाने का प्रबन्ध सरकार नहीं कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब हो चुका है ।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जे० टी० सी० अध्यापक जो सरकारी विद्यालयों में हैं उनको यह वेतन कब से मिलेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---१ जुलाई सन् ५५ से ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो जे०टी०सी० अध्यापक हैं उनको ६० रुपये के वेतन क्रम से वेतन दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---एडेड में नहीं दिया जाता, हमारे यहां दिया जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार इस प्रकार का आदेश जिला बोर्डों को देगी कि यदि जे०टी०सी० अध्यापक जिलों में हैं तो उनको ही प्राथमिकता दी जाय और अन्ट्रेन्ड अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूलों में न रखा जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसका उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया है कि यह मामला डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का है और उसमें सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

विलीन रियासत बावनी, जिला जालौन में हायर सेकेंडरी स्कूलों की कमी

*७---श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)---क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि विलीन रियासत बावनी, जिला जालौन में ४० या ५० मील के क्षेत्र में केवल एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम कदौरा में है ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

श्री बसन्तलाल---क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर ४०, ५० मील की एरिया में एक ही हाई स्कूल है तो वहां पर शिक्षा के विकास के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पब्लिक की तरफ से कोई आवेदन-पत्र नहीं आये हैं कि किसी और स्कूल की जरूरत है। अभी लोग पढ़ने में कम दिलचस्पी दिखलाते हैं।

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार इस प्रश्न को नोटिस मानकर इस पर कार्यवाही करने के लिये तैयार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, इस प्रश्न को नोटिस मानकर इस पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

जालौन जिले में मुमताज हायर सेकेंडरी स्कूल, कदौरा की इमारत के निर्माण का आयोजन

*८---श्री बसन्तलाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में मुमताज हायर सेकेंडरी स्कूल, कदौरा की इमारत के निर्माण के लिये सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ? क्या यह सही है कि इस इमारत का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---७६,४०० रुपये। जी हां, निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि टेन्डरों पर निर्णय लिया जा रहा है।

श्री बसन्तलाल---क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जब टेंडर वगैरह मंजूर होकर सारी कार्यवाही पूरी हो जायेगी तब।

श्री बसन्तलाल---क्या मंत्री महोदय टेंडर देने की तथा उसकी स्वीकृति की अंतिम तिथि बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---टेंडर और बिल्डिंग बनाने का काम पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत होता है। उन्होंने टेंडर काल कर लिये हैं, इतनी सूचना इस डिपार्टमेंट की मेरे पास है।

चीनी मिलों के मजदूरों को अंतरिम बोनस की अदायगी

*९---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने चीनी मिलों के बोनस का प्रश्न तय करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त की है ? यदि हां, तो उस कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—जी नहीं। केवल (Interim Bonus) के सम्बन्ध में एक समिति बनायी गयी थी जिसके अध्यक्ष थे श्रमायुक्त तथा सदस्य थे श्री डी० आर० नारंग, श्री आर० पी० नेवटिया, श्री जी० एम० मोदी, श्री काशीनाथ पांडेय, श्री बी० डी० शुक्ला तथा श्री एस० एस० एल० जौहरी। चीनी मिलों के मजदूरों के बोनस का प्रश्न इस समय राज्य औद्योगिक न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह विचार पूर्ण हो चुका है और यदि हो चुका है तो कितना रुपया इस कम्पेंसेशन के लिये स्वीकृत किया गया है ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, निश्चय हो गया है और करीब ५६ लाख ३ हजार रुपया वितरण किया गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—यह रुपया किस तरह से वितरण किया जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर—यह इंटरिम बोनस तो किसी सिद्धांत पर नहीं किया गया है, हर एक मिल की जो आर्थिक अवस्था थी उसको देखकर ही किया गया है। जो ड्यू बोनस था उसका करीब ७५ प्रतिशत दिया गया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या यह सही है कि इस कमेटी ने केवल ५४ लाख ४८ हजार इंटरिम कम्पेंसेशन देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो यह कब तक दे दिया जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, ५४ लाख २९ हजार देने का निश्चय किया गया है, नोटीफिकेशन निकल गया है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही वह वितरित कर दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी में जिनके नाम उन्होंने पढ़े हैं इसमें कितने सरकारी कर्मचारी हैं और कितने जनता के आदमी हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—सरकारी कर्मचारी तो सिवा लेबर कमिश्नर के और कोई नहीं है।

*१०-११—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपूर)—[३ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न ४८-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१२—**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)—[३० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

सी० टी० ग्रेड में स्थायी करने के लिये जे० टी० सी० अध्यापिकाओं का चुनाव

*१३—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि ऐसी अध्यापिकायें जो जे० टी० सी० परीक्षा उत्तीर्ण हैं और स्थानापन्न रूप में एक अवधि से सी० टी० ग्रेड में कार्य कर रही थीं उनको जून, १९५५ के सी०टी०ग्रेड में स्थायी करने के लिये किये गये चुनाव में नहीं लिया गया और ऐसी अध्यापिकाओं को चुन लिया गया जो न तो जे० टी० सी० थीं और न सी० टी० ग्रेड में कार्य ही कर रही थीं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, केवल टेकनिकल विषयों की अध्यापिकाओं के, जिनके लिये निर्धारित योग्यतायें अन्य प्रकार की थीं, ऐसी कोई भी अध्यापिका नहीं चुनी गयी जो न तो जे० टी०सी० थी और न सी०टी० ग्रेड में कार्य ही कर रही थीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कितनी अध्यापिकायें इस चुनाव के लिये बुलाई गई थीं और उनमें कितनी चुनी गईं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—२४८ चुनी गईं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस चुनाव के लिये क्या नियम और सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे जिनके आधार पर चुनाव हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—योग्यता।

महिला मंगल योजना के ट्रेनिंग सेंटर

*१४—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महिला मंगल योजना की ट्रेनिंग कहां दी जाती है और ट्रेनीज़ की क्या योग्यता रक्खी गई है ?

आचार्य जुगल किशोर—महिला मंगल योजना के ट्रेनिंग इस समय—

१—नरवल (कानपुर), २—सहारनपुर, ३—ज्योलीकोट (नैनीताल), और ४—मथुरा में दी जाती है।

ट्रेनीज़ की योग्यता—

१—जूनियर हाई स्कूल सर्टिफिकेट अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; या
२—विद्या विनोदिनी रक्खी गयी है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो महिला-मंगल योजना की ट्रेनिंग इस समय दी जा रही है उसमें सरकारी सहायता प्रतिमास कितनी दी जाती है ?

आचार्य जुगल किशोर—२५ हजार रुपये ट्रेनिंग सेंटर पर बजट है। इतना ही मैं इस समय बतला सकता हूं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और उनमें कितनी हरिजन महिलायें हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—नरवल में ४९, सहारनपुर में ५०, ज्योलीकोट में ५४ और मथुरा में १८ महिलाओं को शिक्षा दी जा रही है। हरिजनों के बारे में कोई सूचना इस वक्त नहीं है। अगर चाहेंगे तो बाद में बतला दूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बतलायेगी कि इस योजना में किस किस विषय की ट्रेनिंग दी जाती है ?

आचार्य जुगल किशोर—बागवानी, क्राफ्ट और होम एकोनामिक्स की।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जितनी लड़कियां भरती की गई हैं उनमें पिछड़ी जातियों और हरिजनों के लिये कुछ सीट्स रिज़र्व रक्खी गयी हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—रिज़र्व रखने का कोई नियम नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है जो भी आती हैं और उनमें योग्यता होती है तो ले लिया जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या यह सच है कि यह ६ महीने की ट्रेनिंग अब साल भर की कर दी गई है ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या महिला मंगल योजना की ट्रेनिंग की व्यवस्था हर जिले में की जायगी ?

आचार्य जुगल किशोर—जी नहीं, इसकी आवश्यकता तो नहीं मालूम होती।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार गोरखपुर कमिश्नरी में महिला मंगल योजना का ट्रेनिंग कैम्प खोलने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर—यदि आवश्यकता हुई तो अवश्य खोला जायगा।

श्री शिव कुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इसमें जो बच्चे वाली औरतें हैं वे ली जाती हैं या वही ली जाती हैं जो शादीशुदा नहीं होती हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—नहीं, सभी तरह की ली जाती हैं। उम्र के खयाल से आती होंगी तो ले ली जाती होंगी।

मोमिन अंसार विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की मांग

*१५—श्री बशीरअहमद हकीम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार पिछड़ी जातियों तथा मोमिन अन्सार के लड़कियों और लड़कों की अनिवार्य रूप से शिक्षा शुल्क पूरी या आधी माफ करने की योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—धनाभाव के कारण इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रश्न अभी असामयिक है।

श्री बशीरअहमद हकीम—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह अभाव धन का जो है यह कब तक दूर हो जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह जब दूर हो जायगा तो हम आप सब को मालूम हो जायगा।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस योजना के सिलसिले में कितने धन का तखमीना था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके आंकड़े निकालना चूंकि फिजूल का काम था इसलिये अभी नहीं किया गया।

गाजीपुर जिले में पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*१६—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सन् ५३–५४ तथा ५५ में कितना रुपया पिछड़ी जाति के बालकों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

	रु०
१९५३–५४	६,२१०
१९५४–५५	१२,४१०
१९५५–५६	१३,२७८

श्री यमुनासिंह—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह रुपया जिलों में छात्रों में किसके द्वारा वितरण किया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—जिला हरिजन सहायक कमेटी के द्वारा।

श्री यमुनासिंह—क्या मंत्री जी कृपा कर पिछड़ी जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जब वैसी अवस्था आयेगी तो।

*१७–१८—श्री जयेंद्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[६ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में आदिवासियों की सहायता के लिये भारतीय सेवा समाज को अनुदान

*१९—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर में आदिवासियों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सहायता के लिये कितना धन भारतीय सेवा समाज को सरकार ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् सन् ५२–५३, ५३–५४ तथा ५४–५५ में दिया है ?

डाक्टर सीताराम—११,००० रु० प्रतिवर्ष अनावर्ती सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया गया।

*२०—श्री रामस्वरूप—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इस संस्था द्वारा धन का सही उपयोग होता है, इसका सरकार कैसे नियंत्रण करती है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। इसका नियंत्रण हरिजन कल्याण संचालक, उत्तर प्रदेश, जिला नियोजन अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, मिर्जापुर द्वारा करती है।

*२१—श्री रामस्वरूप—क्या शिक्षा मंत्री उक्त धन को अब भविष्य में जिला नियोजन समिति की राय से व्यय कराने का विचार रखते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि भारत सेवा समाज स्वयं कितना खर्च करता है इस पर ?

श्री हरगोविन्द सिंह—भारत सेवा समाज तो कोई गवर्नमेंट की संस्था है नहीं इसलिये उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि भारतीय सेवा समाज के द्वारा कितने स्कूल और औषधालय चल रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—बहुत से स्कूल्स और प्रौढ़ पाठशालायें चलायी जाती हैं। उनकी संख्या करीब ११ के है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो धन दिया गया है वह केवल आदिवासियों पर व्यय होता है या हरिजनों पर भी ?

डाक्टर सीताराम—यह तो पाठशाला है। केवल आदिवासियों के नाम पर खुली है। लेकिन इसमें जो चाहे वह पढ़ सकता है इसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

*२२–२४—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[३० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[३ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जूनियर हाई स्कूल पुनस्संगठन के अन्तर्गत कृषि के स्थान पर अन्य विषयों का प्रबन्ध

*२६—**श्रीमती व्रजरानी मिश्र** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल के पुनःसंगठन के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को भूमि प्राप्त नहीं हुई है उनमें कृषि की शिक्षा का क्या प्रबन्ध है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिन विद्यालयों को भूमि प्राप्त नहीं हुई है उनमें कृषि की शिक्षा के स्थान पर अन्य क्राफ्ट जैसे कताई, बुनाई, काष्ठ-कला, सिलाई, चर्म-कला, पुस्तक-कला और धातु कला की शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है।

*२७—**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर)—[६ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

शिक्षा संस्थाओं में चरित्र विनाशक चलचित्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव

*२८—**श्री रणंजय सिंह**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि शिक्षण संस्थाओं में सिनेमा आदि के शृंगार रस पूर्ण चित्रों के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का वह विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में चरित्र विनाशक चलचित्रों के सम्बन्ध में सदन में हुये माननीय सदस्यों के भाषणों पर विचार करने की कृपा की है ?

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्रश्न नहीं है। यहां पर भाषण हुए तो सुना ही होगा उन्होंने।

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार ने इस बात का अनुभव किया है कि ऐसे चित्रों से बहुत हानि पहुंच रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार तो कोई चित्र देखने जाती नहीं है इसलिये उसको कोई अनुभव नहीं है।

*२९—**श्री रणंजय सिंह**—[३० दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने के साधन

*३०—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने के समय उसके पास क्या क्या सम्पत्ति थी और यूनिवर्सिटी बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ?

डाक्टर सीताराम—गोरखपुर यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बनी है। अतः प्रश्न का पहला भाग उत्पन्न नहीं होता। सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी बनाने के लिये ८·९८ लाख रुपये की अनुदान दिया गया तथा १६० एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई जिसका लगान बहुत कम लगाया गया है।

*३१—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की मांग सरकार के सम्मुख प्रथम बार कब प्रस्तुत हुई ?

डाक्टर सीताराम—सन १९५० ई० में।

*३२—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्य किस-किस स्थान से यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उनके सम्मुख आई हुई है ?

डाक्टर सीताराम—कानपुर तथा मेरठ से मांगें आई थीं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९५० में जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी की मांग आयी थी उस वक्त उन्होंने क्या-क्या साधन इकट्ठे किये थे, इस मांग के साथ लिखे थे सरकार को ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उन्होंने एक फाउंडेशन सोसाइटी बनायी थी एक साधन उनके पास यह था। लोगों से अपील किया था उसके लिये दूसरा साधन यह था और यहां प्रार्थना-पत्र दिया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनायें।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर और मेरठ से यूनिवर्सिटी बनाने की मांग सरकार के पास कब आयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी बहुत हाल में आयी है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेरठ में यूनिवर्सिटी बनाने के लिये वहां के लोगों ने कितना रुपया और फंड सरकार को सूचित किया है कि वह हमारे पास मौजूद है और सरकार को वहां यूनिवर्सिटी खोलने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उन्होंने तो अभी कुछ ऐसा नहीं किया है। मालूम हुआ था कि एक या डेढ़ लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा कर लिया है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर की यूनिवर्सिटी बनाने के लिये वहां की जनता ने २९ लाख रुपया इकट्ठा किया है और सरकार ४५ लाख रुपया देने के लिये तैयार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, उन्होंने २०, २२ लाख रुपया तो इकट्ठा किया है और आठ या नौ लाख के करीब रुपया सरकार दे रही है। सरकार क्या देगी इसका तो अभी निश्चय नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या कानपुर की मांग का सम्बन्ध कृषि विश्वविद्यालय से है ? और यदि हां, तो इसमें सरकार क्या कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—विचार कर रही है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के निर्माण के सिलसिले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसका बिल तैयार हो गया है, आपके सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे अभी हाल में मेरठ से एक शिष्ट मंडल माननीय मुख्य मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मिला था उसे उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में क्या आश्वासन दिया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यही कि विचार किया जायगा उस पर।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत और जो यूनिवर्सिटी कमीशन बना था उसके अन्तर्गत वह मेरठ में यूनिवर्सिटी कायम करने के प्रश्न पर कोई विचार कर रही है और कोई आश्वासन देने को तैयार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो मैंने उत्तर दे ही दिया कि उस पर विचार कर ही रहे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी प्रस्तावित कानपुर विश्वविद्यालय की योजना की प्रगति पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कुछ नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या यह सही है कि कानपुर में विश्वविद्यालय बनाने की बात अब सरकार नहीं सोच रही है ?

श्री हरगोविंद सिंह—नहीं। सोच रही है।

प्रतापगढ़ के हरिजनों को उद्योग-धंधों के लिये धन न मिलना

*३३—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि हरिजनों को उद्योग-धन्धों के लिये जो रुपया मार्च, १९५५ में प्रतापगढ़ के लिये स्वीकार किया गया था, अभी तक उन्हें क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरगोविंद सिंह—इसका कारण यह है कि ग्रहीताओं ने अनुदान की शर्तों का पालन नहीं किया था तथा जो विवरण उनसे मांगा गया था वह उन्होंने अभी तक संबंधित अधिकारी को नहीं दिया।

विलीन रामपुर राज्य के शिक्षा विभागीय अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की ज्येष्ठता

*३४—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के राजकीय आदेश सं० ११७६-एम० जी / ३—८७१-१९५०, दिनांक १८ अक्टूबर, १९५४ के अनुसार विलीन रामपुर राज्य के शिक्षा विभागीय अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की दीर्घता (seniority) अभी तक भी नियत नहीं की गई है ?

डाक्टर सीताराम—एक की ज्येष्ठता निश्चित हो चुकी है अन्य का मामला विचाराधीन है।

*३५—श्री कृष्णशरण आर्य—यदि नहीं तो इसके निश्चित करने में कितना समय और लगने की संभावना है ?

डाक्टर सीताराम—समय निश्चित करना सम्भव नहीं है लेकिन आशा है कि शीघ्र ही हो जायेगी।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी ज्येष्ठता निर्धारित हो चुकी है वह कौन हैं और किस शिक्षा संस्था के हैं ?

डाक्टर सीताराम—हां। मिसेज़ विश्वास।

श्री कृष्ण शरण आर्य—मिसेज़ विश्वास किस संस्था में रामपुर में पढ़ाती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—शायद गर्ल्स इंटर कालेज में तो पढ़ाती ही होंगी।

श्री कृष्णशरण आर्य—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के कार्यालय में कुल कितने अध्यापक कर्मचारी हैं जिनकी दीर्घता अभी तक निर्धारित नहीं हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सिवाय एक के और तो उत्तर में दे ही दिया गया कि जो ग्रेजुएट ग्रेड के हैं उनकी भी और जो उनसे नीचे वाले हैं, यह सब विचाराधीन हैं।

*३६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२३ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

समाज कल्याण की ट्रेनिंग के लिये फेलोशिप्स तथा स्कालरशिप्स

*३७—श्री सुरेंद्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या प्रादेशिक सरकार कुछ व्यक्तियों को समाज कल्याण के फेलोशिप्स अथवा स्कालरशिप्स यूनाइटेड नेशन्स द्वारा दिलवाने का प्रयत्न कर के उन्हें बाहरी देशों में ट्रेनिंग के लिये भेज रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगल किशोर—यूनाइटेड नेशन्स द्वारा समाज कल्याण के क्षेत्र में फेलोशिप, स्कालरशिप दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दो नाम प्रस्तावित किये जा चुके हैं। भारत सरकार से अभी यह सूचना नहीं प्राप्त हुई कि वह दोनों व्यक्ति चुने गये अथवा नहीं।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दो नामों का चुनाव किसने किया था और किस आधार पर किया गया है?

आचार्य जुगल किशोर—विभागों को यह सूचना दे दी गयी थी और उनसे ये नाम मंगवाये गये थे और दो नाम म्युनिसिपल और होम डिपार्टमेंट ने भेजे हैं, उन्हीं के भेजे दिये हैं।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दो व्यक्तियों की अलग-अलग योग्यतायें क्या हैं?

आचार्य जुगल किशोर—इसके सम्बन्ध में बाद में बतला सकता हूं, लेकिन जितनी योग्यता की जरूरत थी वह पूरी की गयी है और वह यहीं के आफिशल्स हैं।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फेलोशिप और स्कालरशिप कितने मिलेंगे और उन सज्जनों के नाम क्या हैं जिनको मिलेंगे?

आचार्य जुगल किशोर—होम डिपार्टमेंट से जेल्स के श्री के० के० बलबीर और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के श्री एन० जी० अग्रवाल। स्कालरशिप की यह है कि कुछ हिस्सा उसका गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी और कुछ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिया जायगा। यह ५० परसेंट के आधार पर है।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से इसके लिये इस सरकार से कितने नाम मांगे गये थे?

आचार्य जुगल किशोर—तीन नाम मांगे गये थे।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब केन्द्रीय सरकार से तीन नाम मांगे गये तो दो ही नामों की सिफारिश करने की क्या बात है?

आचार्य जुगल किशोर—मेरा खयाल यह है कि अन्य विभागों ने यह उचित नहीं समझा कि किसी अन्य अफसर को भेजें और यही दो नाम भेजे हैं।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लोग ट्रेनिंग के लिये जायंगे तो ट्रेनिंग से लौटने के बाद उनके ऊपर कोई ऐसी बंदिशें लगायी गयी हैं कि वह विभाग में काम करेंगे या जनसेवा का काम अन्य जगह करेंगे और कितने दिन करेंगे ?

आचार्य जुगल किशोर—यह उनके लिये आवश्यक होगा कि वह गवर्नमेंट विभाग में ही काम करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी ?

आचार्य जुगल किशोर—फेलोशिप की तीन से ६ महीने तक और स्कालरशिप की साल से दो साल तक।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि समाज कल्याण विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी यूनाइटेड नेशंस की ओर से प्रदेश में कुछ फेलोशिप और स्कालरशिप मिले हैं ? यदि हां, तो किन विषयों में और कितने ?

आचार्य जुगल किशोर—इसकी तो मुझे सूचना चाहिये।

*३८–३९—**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)—[३० दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किए गये।]

ट्रेनिंग सेंटर, बख्शी तालाब, लखनऊ के उत्तीर्ण छात्रों को उद्योग के लिये सहायता

*४०—**श्री बाबूनन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बख्शी तालाब, लखनऊ से जो छात्र अपना कोर्स पूरा कर के उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको उद्योग-धंधों के लिये सरकार की तरफ से क्या सहायता प्रदान की जाती है ?

डाक्टर सीताराम—कोर्स पूरा कर के उत्तीर्ण हो जाने वाले प्रशिक्षार्थियों को उनके उद्योग के लिये निम्न सहायता प्रदान की जाती है :—

				रु०
दर्जीगीरी	..	..	..	३००
कपड़ा छपाई तथा रंगाई	..	..	..	३००
बढ़ईगीरी	..	..	..	३००
विद्युत्	..	..	..	४००
फिटर	..	..	..	४००

इसके अतिरिक्त सिलाई की मशीनें भी वितरित की जाती हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सहायता दी जाती है वह डाइरेक्ट दी जाती है या किसी संस्था की मार्फत दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—यह डी० पी० ओ० के द्वारा उनको वितरण की जाती है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि ये जो सिलाई की मशीनें दी जाती हैं ये फ्री दी जाती हैं या कुछ कीमत ली जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम—यह तो बतलाया गया है कि उनकी कीमत ३०० रुपये है और डी० पी० ओ० के द्वारा मशीन भी दी जाती है।

श्री शिवनारायण--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन महिलाओं ने घरों पर थोड़ी बहुत सिलाई सीख ली है उनको भी सरकार प्लानिंग विभाग द्वारा मशीन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--बख्शी के तालाब में तो औरतें नहीं आतीं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बख्शी के तालाब से अब तक कितने छात्र ट्रेन्ड होकर निकल चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये तो सूचना की जरूरत है। करीब ११८ विद्यार्थी प्रत्येक साल निकलते हैं।

*४१--**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--[३० दिसम्बर १९५५, के लिये स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ जिले के तहसील क्षेत्रों में पुस्तकालयों को सहायता

*४२--**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ के प्रत्येक तहसील क्षेत्र में कितने ऐसे पुस्तकालय हैं जिनको शासन की ओर से सहायता दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम--केवल तीन। एक सिकन्दराराव तथा दो कोल तहसील में।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पुस्तकालयों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है और कितनी पुस्तकों को ?

डाक्टर सीताराम--सिकन्दराराव तहसील में श्री शंकरानन्द परिगणित जातीय पुस्तकालय, मुकेरी के लिये ५०४ रुपये, इगलास तहसील में श्री रविदास पुस्तकालय, भीमनगर हरदुआगंज के लिये ५१६ रुपये और तीसरा है शेड्यूल्ड कास्ट पुस्तकालय, ननेर उसके लिये ५४० रुपये।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पुस्तकालयों को जो इमदाद दी जाती है उनकी वहां की हरिजन कमेटी के द्वारा जांच करायी जाती है ?

डाक्टर सीताराम--इसकी जांच तो सब लोग कर सकते हैं लेकिन अधिकतर सब-डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स करते हैं जो अपनी रिपोर्ट डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को पेश करते हैं और डिप्टी इंस्पेक्टर उसको संचालक के पास भेजते हैं तब उस पर वे कोई कार्यवाही करते हैं।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज और हाथरस में जो पुस्तकालय हैं, उनकी जांच के लिये शिकायतें आयी थीं ?

डाक्टर सीताराम--इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन पुस्तकालयों में सरकार की निश्चित की हुई पुस्तकें रखी जाती हैं या वहां की प्रबन्धकारिणी समिति की निश्चित की हुई रखी जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम--नीति तो यह है कि डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स उन पुस्तकों को खरीद कर के वहां वितरण कर दें, जो रुपया यहां से दिया जाता है उससे।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले के हायर सेकेंडरी स्कूलों तथा इंटर कालेजों को अनुदान

१—**श्री रामसहाय शर्मा** (जिला झांसी)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि जिला झांसी के हायर सेकेन्डरी स्कूलों और इंटर कालेजों को सन् ५४–५५ में कितनी कितनी (Maintenance grant) दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९८ पर)

जिला विद्यालयों के पिछड़ी जाति के निरीक्षक

२—**श्री रामसहाय शर्मा**—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिला निरीक्षकों में से कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उत्तर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों में से कोई भी हरिजन नहीं हैं। दो जिला विद्यालय निरीक्षक पिछड़ी जाति के हैं।

राजकीय पुस्तकालय, गाजीपुर

३—**श्री यमुनासिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर शहर में कितने पुस्तकालय हैं जिनको राजकीय मदद मिलती है ?

श्री हरगोबिन्द सिंह—केवल एक।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—श्रीमन्, मैंने एक प्रार्थना भेजी है अभी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह आप मंत्री जी को भेज दें तो वे आपको जवाब देदेंगे क्योंकि अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

अगले असरकारी दिवस के लिये नया बैलट न करने की सूचना

श्री अध्यक्ष—क्योंकि एक असरकारी दिन राज्य पुनस्संगठन आयोग की रिपोर्ट पर बहस के लिये काट लिया गया था इसलिये सरकार की ओर से सूचना दी गई है कि १६ तारीख को भी असरकारी दिन होगा, यद्यपि वह असरकारी दिन नहीं है। वह दिन अगले हफ्ते में शुक्रवार पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि उस दिन के लिये बैलट करने की आवश्यकता न पड़े और यह प्रस्ताव पूरे न हो सकेंगे, इसलिये इनको ही जारी रखा जाय। यदि सदन की अनुमति हो तो हम बैलट न करें। अगर किसी को कोई आपत्ति न हो तो यही कार्यक्रम रहेगा क्योंकि थोड़ा-सा नियम को स्थगित करना पड़ेगा जिसके अनुसार बैलट होना लाजमी है।

कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५५, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ सितम्बर, १९५५, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १४ अक्तूबर, १९५५, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ८ नवम्बर, १९५५, को प्राप्त हो गई और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया।

*गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं का निर्यात रोकने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब श्री बसन्तलाल शर्मा के संकल्प के ऊपर विवाद शुरू होगा। श्री दाताराम भाषण दे रहे थे। वह ५ मिनट बोल चुके थे। यदि वह नहीं हैं तो उनका समय समाप्त होगया।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रस्ताव के ऊपर जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार प्रगट किये हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। कुछ साथियों ने मेरे इस प्रस्ताव से अपनी पूर्ण सहमति प्रगट की है और कुछ मेरे उन साथियों ने जो कि हमारे प्रदेश के पश्चिमी भाग के रहने वाले हैं अपने विचार से मेरे इस प्रस्ताव का यद्यपि कहने को तो विरोध किया है लेकिन उनके भाषणों के भाव को देखा जाय तो उनसे भी उसका समर्थन ही होता है। मेरे इस प्रस्ताव का यह अभिप्राय है कि प्रदेश के अन्दर पशुओं की नस्ल कुछ हिस्सों में कमजोर और खराब है जिससे हमारे प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, साथ ही हमारे यहां उनकी भारी कमी है। जो हमारे पशु खेती के और दूध देने के योग्य हैं उनसे यदि चौगुने पशु हमारे प्रदेश में होंगे तो हमारे यहां की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

माननीय गेंदा सिंह जी ने जो अपने विचार प्रकट करते समय कहा उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह कहा कि यदि प्रदेश से पशुओं का निर्यात रोक दिया जायगा तो किसानों को हानि होगी क्योंकि उनकी कीमतें गिर जायंगी, इसलिये यह प्रस्ताव व्यर्थ सा है। हमें दूध और घी की आवश्यकता नहीं है, हमें सत्तू ही मिलता तो रहे तो हम सरकार के आभारी होंगे।' प्रदेश के जिस भाग के वे रहने वाले हैं उसी से मैं भी आता हूं, इसलिये मैं उनसे नम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सत्तू के लिये बहुत अधिक लालायित न हों क्योंकि वह तो उस समय की चीज है जब मनुष्य को अन्न नहीं मिलता है तब उसका सहारा लिया जाता है। हमारी जनहित सरकार के अकथ प्रयत्नों के फलस्वरूप दिन प्रतिदिन अन्न की वृद्धि होती जा रही है और अब हमारे प्रदेश के अन्दर अन्न की कमी नहीं है। अन्न के सम्बन्ध में यह देश आत्मनिर्भर हो चुका है। इसलिये मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सत्तू के लिये वह अपनी अभिलाषा ज्यादा न प्रकट करें तो अच्छा है क्योंकि शब्दों के कहने से उसका असर कुछ न कुछ पड़ा ही करता है। एक किंवदन्ती है कि मरा मरा शब्द का जाप करते हुए वालि नाम के भील को रामनाम की सिद्धि हो गई थी। इसलिये बार बार किसी ऐसी चीज की इच्छा नहीं प्रकट करनी चाहिये कि जिससे प्रदेश की हानि हो। जहां तक पशुओं के कीमत के गिरने का प्रश्न है मैं निवेदन करूंगा कि यह तो किसानों के हित की बात होगी। आज पशुओं की कमी के कारण ही बैलों, गायों, भैंसों की अत्यधिक कीमत है और जिसके कारण प्रत्येक किसान को जितने पशुओं की आवश्यकता है वह खरीद नहीं पाता है। अधिकतर यह देखा जाता है कि जो सुसंपन्न किसान हैं, जिनके पास अपना घर चलाने के लिये काफी पैसा होता है, वही अच्छे बैल रख पाते हैं, जो गरीब किसान होते हैं वह कीमत ज्यादा होने के कारण बैल इत्यादि नहीं खरीद पाते। अतः पशुओं की संख्या बढ़ जाय तो कीमतें गिरने से किसानों को लाभ होगा। जो किसानों के हितैषी हैं उनके मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं मालूम पड़ती।

जहां तक मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर आदि जिलों के रहने वाले भाइयों का विचार है कि यदि निर्यात रोक दिया गया तो किसानों को हानि होगी क्योंकि वहां के पशुओं की हालत अच्छी है, उनके दूध ज्यादा होता है, उनकी नस्ल अच्छी है। उससे मैं

*२३ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

समझता हूं कि जो वहां के पशु पालने वाले हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंचती। क्योंकि प्रदेश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं कि जहां पशुओं की कमी है और नस्ल खराब है, वहां के पशु उन हिस्सों में मंगाये जायेंगे और इस तरह से वहां के किसानों को पशुओं की कीमत अच्छी मिलती रहेगी। मैं स्वयं यह चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अच्छे पशु बाहर न जायं इसलिये कि अगर वह बाहर चले जाते हैं तो हमारे प्रदेश के दूसरे भागों के पशुओं की नस्ल, जो कि खराब है वह ठीक नहीं हो पाती है। पशुओं का निर्यात रोकने से उनकी संख्या भी बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि उनकी नस्ल भी सुधरेगी जिससे किसानों की हालत सुधर सकेगी और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा।

मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति होगी, मेरा यह प्रस्ताव माना जायगा या नहीं माना जायगा, लेकिन फिर भी जहां तक कुछ साथियों ने मेरे प्रस्ताव में जो संशोधन दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कह देना चाहता हूं कि माननीय रणंजय सिंह जी क जो संशोधन हैं पहला यह कि शब्द "आजकल" निकाल दिया जाय और दूसरा नं० ५ पर कि "पर्याप्त" शब्द क स्थान पर शब्द "बहुत" रख दिया जाय, इनके बारे में मैं समझता हूं कि पर्याप्त शब्द के स्थान पर बहुत रख देने से उनकी जो इच्छा है, उनका जो अभिप्राय है वह पूरा नहीं होता। उन्होंने उस दिन बहुत से संस्कृत के उदाहरण दिये, गीता इत्यादि के, लेकिन मैं उनसे इतना ही कह देना चाहता हूं कि 'परि' उपसर्ग 'आप्लृ (व्याप्तौ)' धातु तथा 'क्त' प्रत्यय से मिल कर 'पर्याप्त' की उत्पत्ति हुई है और पर्याप्त का अर्थ है कि जो चारों ओर व्याप्त हो। यही अभिप्राय मेरा पर्याप्त शब्द के रखने से है। अगर इसकी जगह शब्द बहुत रख दिया जायगा तो उससे उनका मतलब हल नहीं होगा क्योंकि 'बहुत' एक स्थान के लिये कहा जा सकता है और पर्याप्त चारों तरफ के लिये कहा जा सकता है। इसलिये यहां पर पर्याप्त रहना ही उचित होगा।

जहां तक 'आजकल' शब्द को निकाल देने के लिये और उसके बाद उन्होंने तीसरे नम्बर पर यह कहा है कि कमी तथा है के बीच 'हो गयी' रख दिया जाय। तो 'हो गयी' के रखने से और आज कल क निकाल देने से वही अर्थ होता है, जो आजकल रखने स और 'हो गई' के न रहने देने से होता है। इसका मतलब यह है कि पहले कमी नहीं थी अब कमी है और आज कल अत्यधिक कमी का भी यही अर्थ निकलता है। ऐसी स्थिति में जो उसकी भाषा है उसमें "अत्यधिक कमी है" यही ठीक होगा। इस प्रकार से उनका यह संशोधन भी कोई अर्थ नहीं रखता है।

माननीय श्रीचन्द्र जी ने जो संशोधन रखा है कि एवं तथा कृषि के बीच में 'खाद्य पदार्थों' रख दिया जाय, खाद्य पदार्थों रख देने से इस प्रस्ताव को कोई बल नहीं मिलता और खाद्य पदार्थों की कमी का प्रश्न भी हमारे देश में हल हो चुका है। इसलिये व्यर्थ में इसका रखना उचित नहीं होगा।

श्री सीताराम जी का यह संशोधन है कि "दूध न देने वाली अर्थात ठांठ गायों की बिक्री को रोक दें और यदि आवश्यकता हो तो" मैं समझता हूं कि ठाठ गायों की बिक्री रोक देने के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि अगर इनकी बिक्री रोक दी जायगी तो इससे गायों के लिये बड़ी कठिनता हो जायगी और एक बड़ी मुश्किल पैदा होगी। इस-लिये इस संशोधन को भी मैं समझता हूं कि इसमें जोड़ना उचित नहीं है।

श्री मौर्य जी के संशोधन का जहां तक सम्बन्ध है वह मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं लेकिन उनका गायों के लिये यह कहना है कि केवल उनका निर्यात रोक दिया जाय। बाकी प्रस्ताव से वह सहमत नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यदि खेती के लिये

और दूध, दही और घी के लिये पशुओं की आवश्यकता होगी तो उसमें भैंस की भी आवश्यकता होगी। यदि भैंस के निर्यात को जारी रखा जाय तो हमारे यहां दूध और घी की उत्पत्ति पर्याप्त नहीं हो सकती है। यह कमी बनी ही रहेगी। इसलिये गाय और भैंस दोनों के ही लिये उचित है कि निर्यात रोका जाय....।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं सदन में कहीं-कहीं बातें हो रही हैं। इससे सुनने में बाधा पड़ती है।

श्री बसन्तलाल शर्मा--श्री नारायणदास जी पासी का जो संशोधन है उसक रख देने से उसका अभिप्राय यही होगा कि उनके जीवन के सम्बन्ध में जो उन्होंने दिया है। यदि वह उनका संशोधन रख दिया जाता है तो उसमें इसके भाव में अन्तर आ जायगा क्योंकि उसका जो अभिप्राय है, उससे नस्ल के सुधारने का सम्बन्ध है न कि उनके जीवन इत्यादि के सम्बन्ध में, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में अपने विचार प्रकट किये थे। मैं समझता हूं कि गोवध निषेध विधेयक के पास हो जाने के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। माननीय रतनलाल जी जैन ने जो संशोधन रक्खा है उसके द्वारा उनका यह कहना है कि अन्य प्रदेशों से अधिक दूध देने व घृत उत्पन्न करने वाली गायें व भैंसें व उनकी नस्ल सुधारने के हेतु अच्छे-अच्छे सांड़ अधिकाधिक संख्या में मंगाये जायं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मंगाने के सम्बन्ध में मेरा कोई विरोध नहीं है। उसके सम्बन्ध में मेरी कोई मतभिन्नता नहीं है। मैंने इस संकल्प में केवल निर्यात के सम्बन्ध में कहा है। जहां तक अन्य देशों से मंगाने का सवाल है, आवश्यकतानुसार सरकार डेनमार्क और स्विटजरलैण्ड आदि देशों से सांड और गायें मंगाती रहती है और इस प्रकार से पशुओं की उन्नति होती रहती है।

माननीय विकल जी का संशोधन है कि दुधारू जानवरों की नस्लों को सुधारने के लिये पशु पालने वालों को सरकार उचित आर्थिक सहायता दे। मैं इस संशोधन की भी आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि मेरे खयाल में इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की तरफ से पहले से ही है। गोपाष्टमी के अवसर पर पशु-प्रतियोगितायें की जाती हैं, मेले लगाये जाते हैं, प्रदर्शनी की जाती हैं और अच्छे पशुओं के पालने वालों को पारितोषिक भी दिये जाते हैं। गोशालाओं को भी जिनमें अच्छे पशुओं को पाला जाता है सरकार की तरफ से काफी रुपया दिया जाता है तथा उनको सांड़ भी दिये जाते हैं।

जहां तक श्री रामस्वरूप जी गुप्त के संशोधन का ताल्लुक है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गो संवर्धन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय। प्रदेश में और गो सदनों की स्थापना की जायं। भूमि व्यवस्था में इस प्रकार का सुधार किया जाय, जिससे गांव-गांव में गोचर भूमि उपलब्ध हो सके और अधिक चारा उपजाओ आन्दोलन प्रान्त भर में चलाया जाय। तो मेरा जो पशुओं की संख्या और दूध, घी आदि की उत्पत्ति बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है उसमें यह संशोधन जरूर सहायक होगा, किन्तु मैं समझता हूं कि इसके बढ़ाने से कोई समस्या हल नहीं होती। मेरा जो प्रस्ताव है यदि वह मान लिया जाता है और उसके संबंध में कोई विधेयक लाया जाता है, तो उसमें ये सब चीजें आ सकेंगी।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में काफी बहस इस सदन में हुई और उसके सिलसिले में कई संशोधन भी माननीय मित्रों ने उपस्थित किये, उस सम्बन्ध में भी काफी बातें बतायी गयीं। जहां तक तरमीमों का ताल्लुक है, प्रस्तावक महोदय ने उनके बारे में जो जवाबात दिये हैं उनसे मेरा काम बहुत हल्का हो गया है। लेकिन प्रस्ताव के सिलसिले में बोलते हुए माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं जिनके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

[श्री हुकुमसिंह]

हमारे मित्र रामस्वरूप गुप्त जी ने यह बात कही कि फौडर के सम्बन्ध में कृषि विभाग ने आज तक कुछ नहीं किया। मैं उनकी जानकारी के लिये यह कह देना चाहता हूं कि कृषि विभाग की ओर से रहमान खेड़ा और मथुरा पशुलोक में फौडर पर काफी प्रयोग किये जा रहे हैं और कई तरह की घासों के बारे में वहां पर ऐक्सपेरीमेंट किये जा रहे हैं। उनके नतायज बरामद होने के बाद सरकार की यह मंशा है कि उनका काफी प्रचार किया जाय। इसके अतिरिक्त हमारे पश्चिमी जिलों के रहने वाले साथी चारे के बारे में काफी जानकारी रखते हैं वे बरसीम आदि का हरा चारा काफी तादाद में पैदा करने की चेष्टा करते हैं। जहां तक मध्य और पूर्वी जिलों का सम्बन्ध है, वहां पर चारा आदि बोने का रिवाज नहीं है और उस तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, बरसात में करवी वगैरा बोते हैं और बाकी मौसम में चारे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करते। इस तरफ भी सरकार की मन्शा है कि उनका रुझान किया जाय और किसानों को बीज आदि की सुविधा दी जाय, ताकि चारे की पैदावार में वृद्धि हो जो कि पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध में हमारे मित्र माननीय रतनलाल जैन ने एक तरमीम पेश की है और उनका यह सुझाव था कि जो बिल इस सम्बन्ध में लाया जाय उसमें इस बात का इन्तजाम भी होना चाहिये कि राज्य सरकार अन्य सूबों से अच्छे-अच्छे दुधारू गाय और बैल और बुल्स मंगाने का प्रबन्ध करे। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, सरकार तो अब भी अन्य सूबों से अच्छी-अच्छी गायें और बैलों को मंगाने की चेष्टा करती है, इसलिये इसके लिये कोई कानून लाने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती। हमारे भाई माननीय नवल किशोर जी ने दो एक बातें अपने संशोधन के द्वारा बताईं, उनका उद्देश्य था कि पशुओं के निर्यात पर कुछ रेगुलेटेड रेस्ट्रिक्शन रखा जाय और प्रेसीडेंट महोदय की आज्ञा से एक ऐसा बिल सदन में लाया जाय। मुझे इसमें एक खतरा दिखाई पड़ता है और वह यह है कि हम खुद दूसरी राज्य सरकारों से अच्छे बुल और गायें मंगाते हैं और सदन के सदस्य इस बात से इत्तफाक करते हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि अच्छे गाय और बुल दूसरी जगह जहां मिलते हैं वहां से मंगाने चाहिए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुये अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन इस तरह की लगाते हैं तो दूसरी राज्य सरकारों और हमारे दरम्यान कुछ गलतफहमी पैदा होने का अन्देशा है। अगर उसको देख कर उन्होंने भी उसी तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा दी जिससे हमें इमपोर्ट में दिक्कत हुई तो हमें ही उससे परेशानी होगी। इसलिए ऐसा न करना चाहिए बल्कि हमारी इच्छा यह है कि अगर केन्द्रीय सरकार ऐसा कोई कानून बना दे और किसी तरह से इस आयात निर्यात को रेगुलेट कर दे तो सारे यूनियन में वह कानून यकसां लागू होगा गौर उस वक्त किसी को किसी तरह की गलतफहमी की गुंजायश न होगी। इस खतरे की वजह से हम इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाना चाहते। फौडर के सम्बन्ध में जो श्री नवल किशोर जी ने कहा उसका जवाब मैंने गुप्ता जी की तरमीम के सम्बन्ध में ही दे दिया है।

एक बात श्री नवल किशोर जी ने और कही और वह कि आर्टिफिशियल नसेमिनेशन जनता में पापुलर नहीं हो रहा है लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि चारों तरफ लोग सेन्टर खोले जाने की मांग करते हैं और उसकी जितनी बड़ी मांग है वही इस बात की दलील है कि वह पापुलर हो रहा है और जनता में इसके अनपापुलर होने की कोई बात नहीं है, अगर उसमें जनता की रुचि न होती तो उसकी इतनी मांग न होती, इस सदन में ही बहुत से लोगों ने मुझसे मांग की है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नवलकिशोर जी की राय ठीक नहीं है। जब मैं दौरे पर जाता हूं तो मैंने काफी लोगों में इसका प्रचार देखा है और बहुत से जिलों में इसकी काफी मांग

है। यह भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि नई चीज के पापुलर होने में जरा वक्त लगता है। अभी थोड़े जमाने से यह चालू हुआ है और धीरे-धीरे मेरा ऐसा खयाल है कि यह काफी जोर पकड़ेगा और इसका काफी प्रचार होगा और बड़ा पापुलर हो जायगा। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं श्री बसन्तलाल जी और अपने अन्य माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध म लिखा-पढ़ी कर रही है और हम यह चाहते ह कि वह इस तरफ कोई कदम उठावे और ऐसा कोई कानून बना दे जिससे इस प्रस्ताव का मतलब भी हासिल हो जावे और राज्य सरकार से किसी प्रकार की गलतफहमी भी पैदा न हो। यह राज्य सरकार पहले से कर रही है और इसलिये ऐसे किसी कानून की जरूरत नहीं है। मैं बसन्तलाल जी से यह कहूंगा कि इस आश्वासन के बाद उनको अपने प्रस्ताव को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार खुद ही प्रयास कर रही है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---आपने पांडर के बारेमें क्या-क्या कहा है?

श्री हुकुम सिंह---मैंने पांड़र के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री बसन्तलाल शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं जो उन्होंने मरे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है कि वह भारत सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और इसके बाद अब मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता और वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

सिंचाई-कर कम करने के संबंध में संकल्प

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संकल्प को संशोधित करके पढ़ना चाहता हूं। संकल्प की दूसरी पंक्ति में शब्द "पैदावार" के स्थान पर अब शब्द "खेती द्वारा पैदा की हुई" रहेगा। मेरा संशोधित रूप संकल्प का इस प्रकार होगा:---

> "इस सदन का यह निश्चित मत है कि दिन प्रतिदिन किसान की खेती द्वारा पैदाकी हुई जिन्सों इत्यादि के भाव गिरते जा रहे हैं और यह भाव १९५० ई० के भाव के भी नीचे आ गये हैं और किसानों को नहर तथा ट्यूबवेल के वर्तमान सिंचाई-कर देना दूभर हो गया है। अतः किसानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सिंचाई कर उतना ही कर दिया जाय जितना कि सन् १९५० ई० में था।"

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव बहुत सीधासादा सा है। इसके द्वारा केवल यह मांग की गयी है कि सन् १९५० या सन् १९४८ में जो नहर रेट्स लगे हुये थे वही अब फिर से रखे जायं। आप जानते हैं कि सन् १९३६ से जो रेट्स चले आ रहे थे उनकी पहली बढ़ोतरी, उन पर पहला सरचार्ज सन् १९४८ में लगा दिया गया था और वह करीब-करीब ५० फीसदी का सरचार्ज लगाया गया था। केवल राइस और जूट को छोड़ कर, जिन पर कि २५ प्रतिशत का सरचार्ज हुआ था---और उसका कारण भी था सन् ४८ में सरचार्ज लगाने का। क्योंकि बहुत पुराने जमाने से जो रेट्स लिये जा रहे थे वे सब उस प्रोपोर्शन (अनुपात) में जिससे गल्ले के भाव बढ़े थे बहुत कम थे और इसलिये ऐसी आवश्यकता थी कि उनके रेट्स बढ़ा दिये जायं। लेकिन फिर सन् ५३ में जो सरचार्ज लगाया गया वह किसान के लिये बहुत अधिक हो गया। इसको समझने के लिये कुछ थोड़े से आंकड़े जरूर देखने पड़ेंगे। आप देखेंगे

[श्री तेजप्रताप सिंह]

कि सन् ३९ में गेहूं का भाव करीब-करीब चार रुपये, साढ़े चार रुपये प्रति मन था और उस समय सिंचाई की दर ५ रु० प्रति एकड़ थी। गेहूं के लिये सन् ४८ में जब सरचार्ज लगाया गया पहले पहल तब गेहूं का भाव करीब-करीब साढ़े २१ रु० मन था और जो सरचार्ज ५० परसेंट का लगाया गया उससे सिंचाई की दर साढ़े सात रुपये प्रति एकड़ हो गयी। अब आप देखेंगे कि गेहूं में ५३ में जो सरचार्ज लगाया गया सिंचाई पर उससे सिंचाई की दर १२ रुपये प्रति एकड़ हो गई। आप देखेंगे कि सन् ५५ में मई, जून में गेहूं करीब ८ रुपये प्रति मन था। सन् ५५ के भावों को घटते हुये देखकर हमारी सरकार ने तीन आने का रिबेट भी दिया जिससे कि आजकल गेहूं की सिंचाई की दर करीब-करीब पौने १० रुपये प्रति एकड़ होती है। इससे आप तुलना करें कि साढ़े सात रुपये प्रति एकड़ जिस समय गेहूं के लिये सिंचाई की दर थी उस समय गेहूं साढ़े २१ रुपये प्रति मन था और आज जब पौने १० रुपये प्रति एकड़ गेहूं पर सिंचाई की दर ली जाती है तो भाव ८ रुपये प्रतिमन है। तो कहां साढ़े २१ रुपये प्रति मन का भाव और कहां ८ रुपये प्रतिमन का भाव! और सिंचाई पौने १० रुपये प्रति एकड़ है। होना तो यह चाहिये कि साढ़े सात रुपये प्रति एकड़ से भी कम हो जाय लेकिन इस प्रस्ताव द्वारा यह मांग की गई है कि कम से कम सन् ४८ में जो सरचार्ज लगाया गया था ५० परसेंट का, जिसके मुताबिक गेहूं की सिंचाई की दर साढ़े ७ रुपये हो गई थी वही कायम रक्खी जाय।

चने का भाव सन् ३९ में, अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन रुपये या चार रुपये प्रति मन था और सिंचाई की दर ३९ में ढाई रुपये प्रति एकड़ थी। यह ढाई रुपये प्रति एकड़ का रेट लोअर गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल और ईस्टर्न जमुना कैनाल में था। दो रुपये प्रति एकड़ धसान और पहूज जिससे बुन्देलखंड में सिंचाई होती है उसमें और शारदा कैनाल में चने की सिंचाई की दर थी। ये सन् ३९ की फीगर्स हैं। जब सन् ४८ में सरचार्ज चने पर लगाया गया, जो कि ५० परसेंट का था, वह दर बढ़ कर पौने चार रुपये हो गई और पहूज और धसान जो बुन्देलखंड नहरें हैं, वहां तीन रुपये का रेट हो गया और ४८ में चने का भाव ११ रु० प्रतिमन था। सन् ५३ में जब सरचार्ज लगाया गया तो चने का रेट सिंचाई का ९ रुपये प्रति एकड़ हो गया और बुन्देलखंड की नहरों पर ३ रुपये से बढ़ कर ५ रुपये हो गया। तो आप देखेंगे कि मई-जून में १९५५ में जो भाव चने का था, वह करीब पांच रुपये प्रतिमन था। इस तरीके से उनका मुकाबला किया जाय १९४८ से ही तो १२ रुपया प्रतिमन जब चने का भाव था तब तो चार रुपये प्रति एकड़ सिंचाई की दर थी और आज सात रुपये पांच आने प्रति एकड़ सिंचाई की दर है और भाव पांच रुपये प्रति मन का है। इससे भी प्रमाणित है कि १९४८ में जो सिंचाई की दर देनी पड़ती थी, उससे भी आज हमें कम लेना चाहिए।

अब चावल की फीगर्स आप देखें। चावल का भाव १९३९ में चार साढ़े चार रुपये प्रति मन के करीब था। उस समय सिंचाई लोअर गंगा कैनाल और आगरा कैनाल में छः रुपये प्रति एकड़, अपर गंगा ईस्टर्न यमुना, दून कैनाल में साढ़े सात रुपया प्रति एकड़ थी। धसान, पहूज और बेतवा कैनाल्स में दो रुपया प्रति एकड़ थी। चार रुपये केन नहर पर, चाढ़े चार रुपया बिजनौर कैनाल में, यह १९३९ में दरें थीं। १९४८ में जब सरचार्ज सिंचाई पर लागू किया गया तो वह बढ़ कर के साढ़े सात रुपये प्रति एकड़ लोअर गंगा और आगरा कैनाल में हो गयी, अपर गंगा, ईस्टर्न यमुना और दून कैनाल में नौ रुपये छः आने हो गयी। धसान, पहूज और बेतवा कैनाल्स में ढाई रुपये हो गयी। केन नहर में चार के बजाय पांच रुपये हो गई। बिजनौर में साढ़े चार रुपये के बजाय पांच रुपये दस आने हो गयी। चावल में सरचार्ज

२५ प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया था। १९४८ में चावल का भाव साढ़े २४ रुपये प्रतिमन का था। १९५३ में जो इर्रीगेशन रेट्स में सरचार्ज लगाया गया उसके हिसाब से चावल पर १४ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई लगने लगी, लोअर गंगा और आगरा कैनाल में। अपर गंगा ईस्टर्न यमुना में १४ रुपये, धसान पहुज में १० रुपये हो गयी। कहां १९३९ में जो दो रुपया थी वह १९५३ में सरचार्ज के बाद १० रुपये प्रति एकड़ हो गयी। बुन्देलखंड नहरों पर बिजनौर कैनाल्स में पांच रुपये दस आने हो गये। यह १९५३ की बढ़ोतरी के बाद दरें हो गयीं। १९५३ से बराबर गल्ले का भाव घटता आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, १९५५ के मई-जून के महीने में करीब १५ रुपये प्रतिमन से चावल बिकता था। यदि इसका भी मुकाबला किया जाय १९४८ से, तो १९४८ में साढ़े चौबीस रुपये प्रति मन चावल बिकता था और आज १५ रुपये प्रति मन चावल बिकता है। १९४८ में सिंचाई की दर साढ़े सात रुपये थी और आज इस तीन आने प्रति रुपये के रिबेट के बाद भी ग्यारह रुपये छः आने है। इस प्रकार भी साढ़े सात रुपये प्रति एकड़ से भी हमारा आज रेट कम लिया जाना चाहिये। गुड़ के बारे में भी हमें भाव और सिंचाई की दरों की तुलना करनी चाहिये, क्योंकि गन्ना भी ज्यादातर हमारे यहां पैदा होता है। उसके भी आंकड़े देख लेना आवश्यक होगा। १९३९ में गुड़ साढ़े पांच रुपये प्रति मन के करीब बिकता था। और उस समय गन्ने की सिंचाई की दर दस रुपया प्रति एकड़ अपर गंगा, ईस्टर्न यमुना दून कैनाल में थी। ९ रुपया लोअर गंगा, आगरा कैनाल में थी। ५ रुपया प्रति एकड़ धसान, बेतवा और पहुज, बुंदेलखंड की नहरों में थी। साढ़े चार रुपया प्रति एकड़ बिजनौर कैनाल्स में थी। यह सन् १९३९ की फीगर्स हैं। १९४८ में जब सरचार्ज लगाया गया तब अपर गंगा और ईस्टर्न जमुना में १५ रुपया प्रति एकड़ हो गई। लोअर गंगा, आगरा कैनाल में साढ़े १३ रुपया प्रति एकड़ सिंचाई की दरें हो गईं। बुंदेलखंड की कैनाल्स में साढ़े ७ रुपया प्रति एकड़ हो गई और बिजनौर में पौने सात रुपया प्रति एकड़ हो गई। सन् १९४८ में गुड़ का भाव १३ रुपया प्रति मन के करीब था। अब सन् १९५३ में जब सरचार्ज लगाया गया तब आप देखेंगे कि सिंचाई का रेट ३२ रुपया प्रति एकड़ अपर गंगा, ईस्टर्न जमुना, लोअर गंगा, आगरा कैनाल्स में हो गया और बुंदेलखंड कैनाल्स पर ५ रुपया प्रति एकड़ के बजाय १६ रुपया प्रति एकड़ सिंचाई का रेट हो गया। अब सन् १९५३ के बाद जब कि भाव घट रहे थे तो ३ आने का रिबेट इन कैनाल्स पर, जिनका मैंने जिक्र किया है, ३ आना प्रति रुपया के हिसाब से रिबेट दिया गया और गन्ने की सिंचाई का रेट २६ रुपया प्रति एकड़ हो गया, बुन्देलखंड में १३ रुपया प्रति एकड़ और बिजनौर कैनाल्स में पौने सात रुपया प्रति एकड़ हो गया। अब आप मई और जून में इसका भाव देखें तो करीब ८ रुपया प्रति मन ९ रुपया प्रति मन के करीब गुड़ मिलता था। यह सब को मालूम है कि मई-जून में काफी भाव जिन्सों का गिरा था, और किसान की मदद के लिये गल्ले के भावों को स्थिर करने की गरज से हमारी सरकार ने गल्ला खरीदना शुरू किया था। भाव जब इतने गिर चुके हैं तो इसको कमपेयर करते हुये १९४८ की फीगर्स से ऐसा मालूम होगा कि हमें रेट्स सन् १९४८ के भाव से भी कम करने चाहिये। अगर इसको लौजिकली देखा जाय तो जो रेट्स सन् १९४८ में लागू थे, उससे भी कम सिंचाई लेनी चाहिये। जहां तक फीगर्स का ताल्लुक था और हमारे गल्ले के भाव का ताल्लुक है, यह इससे सिद्ध हो जाता है कि हमें सिंचाई की दरें यदि बहुत अधिक उदारता न करें तो कम से कम सन् १९४८ के लेवल पर जरूर लानी चाहिये जैसी कि हमारे इस प्रस्ताव की मांग है।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि हमारा प्रदेश और हमारा देश राष्ट्र निर्माण के काम में लगा हुआ है, हमने बहुत मुसीबतों के बाद स्वराज्य हासिल किया और अब यह भार हमारे कंधों पर आ पड़ा है कि हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठायें, हम अपने प्रदेश और देश का निर्माण करें, इसमें संदेह नहीं कि हममें से चाहे जो किसी भी पार्टी का हो, चाहे जिस दल का व्यक्ति

[श्री तेजप्रताप सिंह]

हो वह यह महसूस करता है कि यह भार उसके कंधों पर आ पड़ा है और राष्ट्र निर्माण के काम को उसे आगे बढ़ाना ही है। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण के काम को उठाने के लिये धन कहां से आवे, उनकी भी कोई इच्छा नहीं कि रेट्स बढ़ाये जायं। लेकिन उनका प्रश्न है कि हम धन कहां से लायें जिससे हम निर्माण के कार्यों को प्रगति दे सकें और आगे बढ़ा सकें। वह कहते हैं कि अगर कोई यह बतला सकता है तो मुझे कोई इंकार नहीं होगा और मैं रेट्स को घटा सकता हूं। वह ठीक कहते हैं। आखिर धन कहां से लाया जाय प्रश्न हमारे सामने यही है। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिये क्या केवल धन की ही आवश्यकता है। किसी निर्माण कार्य के करने के लिये क्या केवल धन की ही आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि धन के साथ-साथ और धन से भी महत्वपूर्ण मनुष्यों में उस भावना की आवश्यकता है जिससे प्रेरित होकर वह राष्ट्र के निर्माण में अधिक उत्तम रीति से जुट सकें। मैं इन्हीं दो चीजों पर, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें कहने की धृष्टता करूंगा। आज आप देखेंगे समाज में भारी असमानता है। हिमालय की तरह ऊंचे धनसम्पन्न, वैभवशाली व्यक्ति सत्ता-सम्पन्न व्यक्ति मौजूद हैं और आज समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गहरे गड्ढे में धंसे हुये हैं और जो ८० फीसदी हैं यह भारी असमानता है। आखिर हम समाज में जहां कि अस्सी फीसदी साधनहीन गरीब बेयर नेसेसीटीज से वंचित हों कहां से प्रेरणा दे सकते हैं, जिससे कि राष्ट्र निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा सकें? आज आप इधर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की ओर ध्यान दें जिधर चीनी की मिलें बहुतायत से खुली हुई हैं, वहीं के लेबर की कंडीशन को देखें। वह बेचारे मजदूर शक्कर की बोरियों को ढो-ढोकर अपनी रीढ़ तोड़ रहे हैं और दो दाने शक्कर के लिये मोहताज हैं जो कि उनकी प्राथमिक आवश्यकता है। पर कुछ सज्जन ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शक्कर को इस कदर खा खाकर अपना पेट खराब कर रहे हैं और बीमार पड़े हुये हैं। आखिर यह भारी असमानता हमारे समाज में है जो यहां हम सब देख रहे हैं। आप इसी प्रदेश में अगर दृष्टिपात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस मकान हैं, महल खड़े हुये हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ फेमिलीज गृहस्थियां ऐसी हैं जो एक छोटे से झोपड़े में करीब-करीब दो-दो, तीन-तीन फेमिलीज रहती हैं। उन व्यक्तियों के पास जिनके पास पंद्रह या बीस मकान हैं क्या उन्हें आवश्यकता है कि वह अपना सिर किसी एक मकान में रखकर सोयें, पैर किसी दूसरे मकान में फैलायें, हाथ को किसी तीसरे मकान में फैलायें? क्या इस तरीके से यह काम चलने वाला है? और क्या तीन-तीन फैमिलीज एक ही मकान में एक ही जगह जहां कोई आवरण न हो, वहां पर लेटकर बितायें? तो ऐसी भारी असमानता हमारे समाज में आज है। बड़े-बड़े गल्ले के स्टाक हैं, आढ़ती हैं, व्यापारी हैं उनके मजदूरों की दशा देखी जाय, वह गेहूं के और गल्ले के बोरे ढो-ढोकर अपनी कमर तोड़ते हैं और भर पेट भोजन भी उन्हें ठीक से नहीं मिलता है और दूसरे लखपति हैं, करोड़पति हैं। इस तरह की असमानता में आखिर हम वह भावना कैसे समाज में पैदा कर सकते हैं, जिससे कि राष्ट्रनिर्माण के काम को हम आगे बढ़ा सकें और मिल जुलकर के काम कर सकें? राष्ट्र निर्माण का काम केवल कुछ अमीर ही नहीं कर सकते हैं या कुछ इने, गिने चुने व्यक्ति ही नहीं कर सकते हैं बल्कि हम सब मिलकर के गरीब या अमीर जितने भी लोग इस प्रदेश में रहते हैं, जब तक वह इकट्ठे होकर और उच्च भावना से प्रेरित होकर उस निर्माण के काम में योगदान नहीं करते हैं तब तक हम वास्तव में कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमें यह देखना चाहिये कि हम वह भावना कैसे पैदा करेंगे। यह मुमकिन है कि कुछ चन्द रुपये या कुछ करोड़ दो या ढाई करोड़ रुपये हम इस सरचार्ज को लगाकर के इर्रीगेशन रेट्स में बढ़ोत्तरी करके हम ढाई-तीन करोड़ रुपये के करीब इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ढाई-तीन करोड़ रुपये से हमारे सारे निर्माण के कार्य पूरे हो सकेंगे। और इस दृष्टिकोण से जबकि हम लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस लगाते हैं उन्हें अपना भविष्य अन्धकारमय दिखाई देता है, कुछ स्पष्ट रूपरेखा समाज की रचना के भविष्य की उनके सामने नहीं है भले ही वह कुछ गलतफहमी या जोर जबरदस्ती से आपके निर्माण कार्य में योग दें, लेकिन हृदय से योग नहीं दे सकते हैं, जबकि उनका भविष्य अन्धकारमय है और

स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। इस दृष्टि से मैं जरूर अपील करना चाहता हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी और सरकार से, कि इन असमानताओं को हमें दूर करना ही होगा; तभी हम राष्ट्र निर्माण के रथ को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा सकते हैं।

माननीय मंत्री जी ने एक बार कहा था, मुझे याद है, कि इस राष्ट्र निर्माण के रथ के आगे इस तरह के प्रस्ताव लाना रोड़े अटकाना है। मैं इस तर्क को नहीं समझ पाया कि आखिर यह रोड़ा है या सही सुझाव है। इन गरीब किसानों पर जिनके पास ४-४, ३-३ एकड़ भूमि है उनके ऊपर इस कदर कर का बोझा पड़ चुका है जिससे उनकी भावनाओं को आप शुद्ध नहीं रख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के नाम पर बड़े ऊंचे और हवाई तथा खोखले आदर्श के नाम पर आप उन्हें प्रेरित नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता है कि आप उनकी भी आर्थिक दशा को ध्यान में रखें और तभी कोई योजनायें बनायें तभी आप सफल हो सकते हैं।

दूसरा तर्क यह किया जाता है कि हमने सिंचाई द्वारा प्रति एकड़ तीन चार मन गल्ला बढ़ा लिया है, तो जिस किसान की तीन-चार मन प्रति एकड़ के हिसाब से गल्ले की बढोत्तरी हुई है उसमें से अगर हम एक मन ले लेते हैं सिंचाई में तो क्या बेजा करते हैं? मैं समझता हूं कि इस तर्क के लिये आप इस दृष्टि से देखें कि उसकी कितनी भूख है। जब तक उस स्टैंडर्ड और माप दंड तक उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो चाहे जितना भी बढ़ा दें, उसकी भूख तो पूरी नहीं होने वाली है। अगर ४ मन भी बढ़ा लिया है तो उसे तो ६ मन या १० मन का भूख है। जब तक ६ मन बढोत्तरी का उसे नहीं देते हैं जो उसके जीवन के स्तर का माप-दंड है, वह नहीं पूरा होता है जब तक आप उसके एक भी हिस्से के लेने के अधिकारी नहीं हैं, जबकि समाज में इतनी भारी असमानता हो। लोग मौज करते हों, उनकी पहुंच हों, अधिकारियों में उनकी बातें सुनी जाती हों, जितना भी ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह उनकी बातें सुनता हो और गरीब अपनी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करा सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर हैं, कलेक्टर या एस० डी० ओ० उनके पास जब वह गरीब किसान जाता है तो उसे भटकना पड़ता है, हटा दिया जाता है क्योंकि उसके पास कपड़ा लत्ता ठीक नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो समाज में हमें यह सारे मूल्य बदलने होंगे तभी हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे हम राष्ट्र-निर्माण का कार्य कर सकें।

दूसरी बात, आप देखेंगे कि जो रुपया सिंचाई के रेट्स को बढ़ा करके पैदा किया जाता है उसका उपयोग कैसे हो रहा है। आप कहते हैं कि जादू दिखलाइये, कर के रेट्स को कम कर दीजिये और राष्ट्र निर्माण के लिये धन भी आगे ज्यादा दीजिये, यह जादू कैसे होगा? हम विनम्रता से पूछते हैं कि आपने हमीरपुर जिले में सैकड़ों बंधियां बनायीं और कहा गया कि सब मर्ज्ड एरिया इतना भरेगा, अनुमानित एरिया। और कहा गया कि सौ एकड़ ऐसा एरिया है मैं मिसाल दे रहा हूं मगर भरता है उसमें ५ एकड़। मैंने प्रश्नोत्तर के समय मंत्री जी से पूछा था कि क्या यह सही है कि सौ एकड़ सब मर्ज्ड एरिया अनुमानित था और उसमें ५ एकड़ या १० एकड़ ही बराबर तीन साल से भर रहा है। क्यों ऐसा अपव्यय हो रहा है? जो किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा है उसकी ओर कुछ तो ध्यान देना चाहिये। एक गलती हुई, दो गलतियां हुईं, तो बराबर गलतियां तो न करते चले जायं। मंत्री जी ने कहा कि मैं सुमेरुपुर से निकला और देखा कि बंधियां भरी हुई थीं। मैं भी वहीं रहता हूं, हमारे एक माननीय मित्र वहां रहते हैं, उसमें पानी कभी ठीक से नहीं भरता है बहुत थोड़ा भरता है। इसकी जांच होनी चाहिये कि इतना रुपया लग चुका है और फिर भी उन पर ४ रुपये सिंचाई कर लगाया जा रहा है। किसान परेशान है, कोई उसमें हम बनावट की बात नहीं करते हैं। उसमें कोई जिद्द की बात नहीं है, कोई आपको बदनाम करने की भावना नहीं है। बल्कि राज्य का पैसा है बड़ी गाढ़ी कमाई के बाद उसे किसान ने दिया है। फिर आप चाहते हैं असंतोष न हो लोगों में यह जादू नहीं हो सकता कि असंतोष लोगों में न फैले और इस तरह की भारी असमानतायें और अपव्यय हों। अगर हम चाहते हैं कि उनमें असंतोष न हो तो इसके लिये हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। आप देखेंगे कि लहचूरा (हमीरपुर) में एक बंध है। गरमियों

[श्री तेजप्रताप सिंह]

के दिनों में जब तालाब सूख जाते हैं तो जरूरत होती है कि उस पानी को तालाब में दिया जाय लेकिन बजाय तालाब के वह पानी नदी में छोड़ दिया जाता है जिसका नतीजा यह होता है--- बाबा राघवदास परसाल वहां गये थे उन्होंने भी देखा कि बेतवा के किनारे किनारे जो गरीब किसान खरबूजा लगाते हैं वे सब बह जाते हैं। तो तालाब में पानी आना दूर रहा, उन बेचारों के खरबूजे भी बह जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये, तब हम राष्ट्र निर्माण का कार्य कर सकते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आपके सामने उपस्थित किया गया उस पर दस्तखत करने वाले बहुत से लोग हैं। बहुत से सदस्यों की तरफ से यह प्रस्ताव आया है और उस पर मेरा संशोधन है कि संकल्प की पंक्ति २.....

श्री अध्यक्ष---वह तीसरी पंक्ति होनी चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल---जी हां, तीसरी ही होनी चाहिये इसमें गलत छपा है। संकल्प की तीसरी पंक्ति के शब्द "जा रहे हैं" के बाद का सारा वाक्यांश निकाल कर उसके स्थान पर "अतः सदन सरकार से निवेदन करता है कि किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये सक्रिय कदम उठाये और उसके लिये आवश्यकतानुसार केंद्रीय सरकार से साधन प्राप्त करे" रख दिया जाय।

जहां तक किसानों की गरीबी का ताल्लुक है उनकी दशा को जब देखा जाता है तो हर एक आदमी चाहेगा कि उनकी दशा सुधारी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, माननीय शुक्ल जी का जो संशोधन है यह नियमों के अनुसार, मैं समझता हूं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रस्ताव के सारे मन्तव्य को ही बदल देता है चूंकि संकल्प का आशय यह है कि सिंचाई-कर उतना ही रह जाय जितना सन् १९५० में था और आपके वाक्यांश से भाव ही बदल जाता है। यह नये प्रस्ताव के रूप में आ सकता है, इसलिये मेरे खयाल से आप इसको अवैध करार दीजिये।

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, आज हम इस तरह की बहस में पड़ गये हैं। यह तो बेहतरीन वकील हैं और मैं वकील की बात क्या जानूं और मैं वकील के कूचे में घूमा नहीं हूं। लेकिन निहायत अदब के साथ यह अर्ज करता हूं कि अगर इस पर गौर करते और शब्दों को पढ़ लेते तो शायद हमारे नारायण दत्त जी इसको नहीं उठाते। मतलब कहां खब्त होता है ? प्रस्ताव का मतलब है कि किसानों को फायदा पहुंचे और उनकी आर्थिक दशा ठीक हो।

श्री अध्यक्ष---यह कानूनी प्रश्न है आप उसी पर सीमित रहिये। आर्गूमेंट न करें और अन्य बातों से समझाने की कोशिश न करें।

श्री सीताराम शुक्ल---जो कविता नहीं समझते हैं वह कानून की बात क्या समझेंगे? यह प्रस्ताव का मकसद है कि किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचे। रेट्स घटा दिये जायेंगे तो फायदा पहुंचेगा। मैं उनको आर्थिक लाभ पहुंचा रहा हूं, इस तरह से उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है। मकसद कहां खब्त होता है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप बैठ जाइये। जो आक्षेप नारायण दत्त जी की तरफ से उठाया गया है, वह सही है। इस तरह का संशोधन जो मूल प्रस्ताव के उद्देश्य को बदल देता है, विरोध में जाता है। वह संशोधन के रूप में नहीं आ सकता है। इसलिये मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं कि आप संशोधन पर भाषण जारी रखें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) —माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय तेजप्रताप सिंह ने रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। असल में इस प्रस्ताव के साथ कुछ बातों पर बहुत गहराई के साथ विचार करना है और मैं समझता हूं कि जो सरकार को कठिनाई है उस पर सदन का ध्यान अवश्य होना चाहिये। मैं इस बात को अवश्य ध्यान में रखता हूं कि राष्ट्र का निर्माण होना है। राष्ट्र जिस अवस्था में है उस अवस्था में तो रह नहीं सकता। यदि निर्माण कार्य होना है तो उसके लिये धन की भी आवश्यकता होगी। दो बातों का विचार इस सिलसिले में और बातों से पहले करना होगा कि अगर राष्ट्र के निर्माण में धन की आवश्यकता है तो वह धन आयेगा कहां से, और दूसरी बात के सिलसिले में मैं यह भी निवेदन कर दूं जिसकी तरफ तेजप्रताप सिंह जी ने संकेत किया है कि खर्च करने का ढंग हमारा कैसा हो, निर्माण के कार्य में। इस प्रकार से भी खर्च किया जा सकता है जिसको हम पसन्द नहीं करते और केवल अपनी मरजी से नहीं, भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनको सरकार स्वयं मानती होगी। जो खर्च करने का ढंग आज का है उसको बदल कर धन का अच्छा उपयोग कर सकते हैं।

पहली बात कि निर्माण-कार्य के लिये धन आये कहां से, इस पर विचार करना है। इसी पर मैं सरकार का ध्यान दिलाने की आवश्यकता समझता हूं। पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि सरकार की कुछ ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे देश का किसान जो है उसकी आमदनी बढ़ी है और वह तबका ऐसा है कि जिससे धन प्राप्त किया जा सकता है और देश का निर्माण किया जा सकता है। ईश्वर करे कि हमारे देश का किसान ऐसा हो कि सरकार की यह धारणा पुष्ट हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज यह धारणा सही नहीं है। किसान कम से कम उत्तर प्रदेश का ६७ प्रतिशत से कुछ अधिक, तीन एकड़ से कम भूमि जोतता है। ६ एकड़ से कम खाते वाले ८५ प्रतिशत हमारे प्रदेश में बसते हैं। किसी भी तरह से अगर इस बात का पता लगाया जाय, चाहे वह अंकों के आधार पर हो या निजी अनुभव के आधार पर, हम सभी इस सदन में बैठने वाले ऐसे ही लोग हैं कि जिनको गांव की जिन्दगी का कुछ न कुछ अनुभव है, वाकफियत है और हम जानते हैं कि तीन एकड़ से कम का काश्तकार कितने दिनों साल में अपने परिवार का भोजन प्राप्त करता है। उसके कपड़े पहनने का क्या स्टैंडर्ड है, उसके मकान कैसे हैं, उसके बच्चों की तालीम क्या है, वह दूसरे मजदूरों से अपने खेतों में कितना काम लेता है। इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिये। जिस वक्त हम इन सब बातों को सोचेंगे तो हम देखेंगे कि एक बड़ी संख्या जो खेती करती है और जिससे कि हम सिंचाई की दर प्राप्त करते हैं वह इस अवस्था में नहीं है कि हम उससे जो कुछ वह पहले देती थी उससे अधिक कर प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि यह भ्रांत धारणा बहुत दिन पहले से है और मैं क्या कहूं इस अवसर पर, लेकिन मैं कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूं कि हमारे माल मंत्री जी बहुत दिन पहले किसानों से दसगुना मांगना चाहते थे। उन्होंने उस समय एक लेख लिखा था और उसमें लिखा था कि आज कल जितना भी रुपया इस सूबे में सरकुलेशन में है उसमें से बहुत सा हिस्सा किसानों के पास है और इसलिये उनकी आर्थिक अवस्था इस वक्त बहुत मजबूत है और जमींदारी एबालीशन अगर किया जाय और उनसे पैसा मांगा जाय तो अनुचित न होगा। इसी बुनियाद पर एक अरब ७० करोड़ रुपया दसगुना की शकल में उनसे मांगने की बात कही गई थी। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं थी कि जो सरकार को समझा सकती कि ऐसा संभव नहीं है और सरकार किसानों से यह रुपया वसूल न करे। वह परिस्थिति थी कि जिसने उनको मनवाया। ३४ करोड़ रुपया वसूल करते-करते इस हुकूमत की समझ में यह बात आ गई कि ऐसा होना संभव नहीं। जो काम वह अपने अफसरों को करने से मना करती थी यह रुपया वसूल करने के लिये अफसरों को वह सब काम करने पड़े, उन पर जुल्म करना पड़ा, ज्यादती करनी पड़ी और उसके बाद भी कुल ३४ करोड़ रुपया के लगभग ही वसूल हो सका और तब सरकार ने समझा कि हमें इस काम से अपने को रोकना चाहिये। यह जो गलत धारणा थी वहां से शुरू हुई और आज भी वह काम

[श्री गेंदा सिंह]

कर रही है। दस गुना वसूली से तो हमारा पिंड छूटा लेकिन सीधे-सीधे पिंड नहीं छूटा। कानून में आज भी उसकी गुंजाइश है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनसे किसान को दबाया जाता है कि वह दसगुना जमा कर भूमिधर बन जाय। हम निर्माण करना चाहते हैं देश का और देश का निर्माण जब हम करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि धन लाने का जरिया यह है कि धन जिसके पास रुका है उसके पास से निकाला जाय। मैं सरकार से नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वह अपनी इस धारणा को बदले कि किसानों के पास धन रुका हुआ है। संसार के सभी देशों में यह किसान एक ऐसा तबका है कि जो क्राइसेस में, आर्थिक संकटों में सबसे अधिक कष्ट पाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी अवस्था यह है कि जब कभी आर्थिक संकट आने लगता है तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, प्रोडक्शन का काम बन्द कर दिया जाता है। मजदूरों से कह दिया जाता है कि तुम अपने घर जाओ। फिर जब तक बाजार तेजी पर न आये वह काम बन्द रहेगा। लेकिन किसान कहां पर ताला लगाये? उसके लिये कठिनाई यह है कि बैल उसके पास हैं; उसके पास हलवाहा है और खेती के दूसरे साधन हैं। अगर इन सब चीजों को वह निकाल भी दे तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके पास खेती की जमीन है। अगर दो वर्ष तक उसको खाली रख दे तो दो वर्ष के बाद वहां पर झांसी वाली वह घास उपज आयेगी कि जिसको काटना भी मुश्किल हो जायगा। इसलिये मन्दी आती जाती है और उत्पादन भी बढ़ता रहता है। इसलिये वह मन्दी का शिकार न दूसरों से अधिक होता जाता है और उसकी हालत और खराब होती जाती है। बाजार बिगड़ता जाता है और आर्थिक संकट की सबसे कड़ी चोट उसके ऊपर पड़ती है। अब हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे देश में वह बूम पीरियड जो कि सन् ४८ से ५३ तक रहा वह खत्म हो चुका है। संसार के सभी मुल्कों में जिन्हें हम प्रजातांत्रिक कहते हैं चाहे वह ग्रेट ब्रिटेन हो और चाहे अमेरिका, वहां पर करोड़ों स्टर्लिंग और डालर किसानों की गिरती हुई कीमत को रोकने के लिये खर्च किया जा रहा है। हमारे देश में भी उसकी कुछ थोड़ी सी नकल हुई लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हुये। यहां कुछ लाख रुपया खर्च किया गया गुड़ और गेहूं की कीमतों को न गिरने देने के लिये, लेकिन उससे कोई कहने लायक लाभ नहीं हुआ और लाखों करोड़ों किसानों की दिक्कत कम नहीं हुई। मैं जब कहता हूं कि दूसरे मुल्कों में अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में इस तरह से किया जाता है कि गिरती हुई कीमत को तथा गिरती हुई माली हालत को रोका गया है तो उस वक्त हम यह सोचते हैं कि क्या हमारे देश की सरकार को भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वह यहां की गिरती हुई कीमत को रोक दे और बहुत ऊंची कीमत को भी रोक दे। मैं समझता हूं इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। किसान यह नहीं चाहता है कि हम अपने देश के निर्माण में हिस्सा न लें। यहां पर उसने सहायता की है। लाखों किसानों ने इंकार नहीं किया। इसका प्रमाण लाखों किसान का श्रमदान में हिस्सा लेना है। जब कभी किसी काम के लिये कहीं सरकार ने पुकार की तो वहां उन्होंने खड़े होकर सड़क बनायी और बांध बनाये और जहां कहीं भी राष्ट्रीय निर्माण का कार्य हुआ उसने इंकार नहीं किया। सरकार स्वयं इस बात का सबूत है कि ऐसे लाखों लोगों ने उसमें काम किया है। हमारा किसान यह चाहता है कि हमारे यहां राष्ट्र निर्माण के कार्य हों। लेकिन जिस वक्त हम देखते हैं कि जहां ऐसे लोगों के पास धन मौजूद है कि जिनसे धन लेकर और श्रमशक्ति गरीबों की लगा कर राष्ट्र निर्माण का कार्य किया जा सकता है, लेकिन उनके धन को वर्तमान सरकार बुरी निगाह से मैं देखने को नहीं कहता, लेकिन अच्छी निगाह से भी नहीं देखती जिसका श्रमदान में प्रयोग किया जा सकता है। हम कैसे धन का उपयोग करें, यह एक बड़ा प्रश्न है। हम चाहते हैं कि पानी सस्ते दाम पर किसान को मिल सके। सरकार को शिकायत हो सकती है लेकिन हम उसको रास्ता बताने के लिये तैयार हैं। मैं वित्त मंत्री जी से क्षमा चाहता हूं और हम तो उनको बुजुर्ग मानते हैं और सिंचाई मंत्री जी को भी हम अपना

अगुआ मानते रहे हैं। लेकिन मैं एक रास्ता बताने के लिये तैयार हूं उसको प्रयोग करके आप देख लें फिर देखें कि काम चलता है या नहीं। देश में आज भी करोड़ों और लाखों आदमी ऐसे हैं जिनसे १-१ और २-२ रुपया सरकार इकट्ठा करके बदनाम होती है और उसके वसूल करने में दिक्कत भी होती है क्योंकि उनका उतना ही देना कठिन होता है। कुछ थोड़े से लोग जो देने की शक्ति रखते हैं उनसे लाखों रुपया लिया जा सकता है। उनसे क्यों न लिया जाय। मैं इस वक्त जरूर यह चर्चा करना चाहता हूं कि आज इस बात का रोना है कि हमारे देश में और हमारे सूबे में आज भी गन्ने की उतनी उपज नहीं है जितनी मैसूर में और बम्बई में है। क्यों है वह उपज? वह इसलिये है कि वहां पर दसवें दिन गन्ने को पानी मिला करता है। महीने में तीन मर्तबा उसको पानी मिल जाता है। लेकिन हमारे गन्ने को कितनी मर्तबा पानी मिलता है और पानी हमारे यहां लोगों को इसलिये नहीं मिलता है कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं में से हमें बटवारा करना होता है। छोटी छोटी नालियां आप चाहे जितनी बनवा दीजिये, लेकिन जितना पानी उनको मिल सकता था वही तो मिलेगा। अब इस पानी का इस तरह से बटवारा होता है कि जो पानी दिया जा सकता है वह भी नहीं मिलता। अतः हमें उसका ठीक प्रकार से उपयोग करना चाहिये। हमारे यहां जो बड़ी-बड़ी नदियां मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि यह हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी सम्पत्ति है। जिस सूबे में गंगा, जमुना, घाघरा, सरजू, गंडक, राप्ती, बेतवा आदि नदियां हों वहां लोगों को पानी न मिले यह एक बहुत ही अजीब बात है, विरोधाभास है। अगर हम चीन और रूस की बातों को पसन्द नहीं करते हैं, अमेरिका को हम पसन्द करते हैं तो हमें यह देखना चाहिये कि किस प्रकार से उन्होंने अरबों डालर खर्च करके मिसीसिपी को कन्ट्रोल किया। उसी प्रकार आज हमें अपनी नदियों को कंट्रोल करने के लिये अरबों रुपया खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या यह अरबों रुपया किसानों के घर से मिल सकता है? इन किसानों की चमड़ी उधेड़ने के बाद भी आपको इतना रुपया नहीं मिल सकता। अगर किसान अच्छा गन्ना पैदा कर सके, अच्छा गेहूं पैदा कर सके और इस प्रकार किसानों की आमदनी बढ़ सके उसकी इस आमदनी को बढ़ाने के लिये आप एक मर्तबा इन्वेस्ट करें और उसको इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी स्थिति में ले आयें कि उसकी माली हालत अच्छी हो जाय तो फिर आप उससे अवश्य कुछ ले सकते हैं। किसान बहुत ही उदार है, वह कभी भी अहसान फरामोश नहीं है, वह नाशुक्रा कभी नहीं है लेकिन उसकी पहले ऐसी हालत होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, खर्चे के ढंग के सम्बन्ध में। मैं माननीय श्रीचन्द्र जी की उस बात से इत्तफाक करता हूं जो उन्होंने कंटिंजेंसी फंड के बारे में कही थी। आप क्यों उस रकम को कम नहीं करते हैं। यह बीमारी हमें दूर करना है और इसको दूर करने के लिये कई दशकों तक हमें प्रयत्न करना होगा। आज भी जो पी० डब्लू० डी० और सिंचाई विभाग है उसमें नीचे के कर्मचारी ही नहीं जो बड़े-बड़े लोग हैं और इन लोगों में जो प्रतिशत लेने का तरीका चला आता है, हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि हम उसको अभी तक बन्द नहीं कर पाये हैं। यह चीज माननीय मंत्री जी को दुःखी दिल से मानना चाहिये। इससे भी एक बड़ी भारी बचत हो सकती है।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य का निर्माण तब हो सकता है जब यहां की ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी एक दिल होकर राष्ट्र निर्माण करना चाहे। हमारे सूबे के बटवारे की बात का आरम्भ चाहे जिस बात से हुआ हो, लेकिन उसकी कसक आज भी बाकी है और वह जो शुरू हुई वह इसी से हुई कि हमने बैटरमेंट लेवी या डेवलपमेंट लेवी लगाने से तो इन्कार कर दिया परन्तु उसकी जगह पानी का कर बढ़ा दिया और पानी का कर बढ़ाने के बारे में सदैव उत्तर

[श्री गेंदासिंह]

यह दिया जाता रहा कि हमारे प्रदेश में ऐसे हिस्से भी हैं जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं उनको हमें ठीक करना होगा। इससे लोगों के दिल पर यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और बटवारे की आवाज उठी। हमें इस बीमारी को भी दूर करना चाहिये। मैं खासतौर से उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है लेकिन इस जगह पर यह कह देना चाहता हूं कि सूबे की विभाजन की कीमत पर पश्चिमी लोगों पर टैक्स लगा कर पूर्वी लोगों को कुछ दिया जाय और उससे एक दूसरे के दिल में मनोमालिन्य बढ़े, वह मैं नहीं चाहता। कोई ऐसा आर्थिक लाभ हमें प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, जिससे आपस के घर में दोनों भाई आपस में लड़कर बरबाद हों इस बात पर विचार कर सरकार को अपने विचार इस प्रस्ताव पर प्रकट करना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, बदकिस्मती से मेरा संशोधन अवैधानिक हो गया, लेकिन आपने मुझे इस समय अपने विचार प्रकट करने का जो मौका दिया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री अध्यक्ष--आपका भाषण कम से कम वैधानिक बना रहे तो अच्छा है।

श्री सीताराम--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी मेहरबानी की मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मोटे तौर से देखने पर यह प्रस्ताव इतना अच्छा मालूम पड़ता है कि हर एक मेम्बर कहेगा कि यह फौरन पास होना चाहिए लेकिन दूर तक गौर करके देखना यह होता है कि इससे तात्कालिक लाभ किसान का होगा या स्थायी लाभ होगा। ऐसे मौके आते हैं कि एक आदमी के बदन पर फोड़ा हो गया है, अगर उसको चीरते हैं तो लाजमी उसको दर्द बहुत होगा। अगर फोड़े पर चाकू चलाया जायगा तो परेशानी तो उसको होगी ही, लेकिन होशियार आदमी फौरन उस चीर फाड़ की तकलीफ को उस वक्त गवारा कर लेगा और हमेशा के लिए अपने हाथ को मजबूत कर लेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर यह टैक्स कम कर दिया जाय तो कुछ थोड़ा सा आराम किसानों को मिलेगा, लेकिन उस रुपये से जो आइन्दा की तरक्की के काम हो रहे हैं वे रुक जायंगे और आगे चलकर उससे नुकसान होगा और इस वक्त तकलीफ उठाकर भी कुछ ज्यादा देने से उसको आगे आराम मिलेगा। मसलन् एक किसान गरीब है, कुछ थोड़ा सा गल्ला उसके घर में है। उसके सामने दो सवाल हैं कि वह उसको भूख में खा जाय या जमीन में जाकर उसको बो दे। दोनों काम उसके सामने हैं तो होशियार किसान जो होगा वह उपवास कर लेगा और खाना न खाकर उस गल्ले को मिट्टी में जाकर जरूर फेंक देगा और उसका नतीजा यह होगा कि वह उससे कहीं अधिक गल्ला पैदा कर लेगा, लेकिन जो बोवेगा नहीं और खा जायगा वह उस वक्त भले ही पेट भर ले लेकिन आगे उसको जरूर तकलीफ उठानी पड़ेगी और भूखा मरेगा। यही वजह है कि ऐसे प्रस्ताव को या रेट कम करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट तो हमेशा से किसानों के साथ रियायत करती रही है और ज्यादा से ज्यादा रियायत करती है, इस कांग्रेस के ही जमाने में तमाम मकानों का किराया बढ़ा, तमाम तनख्वाहें बढ़ाई गईं, कपड़ा महंगा हुआ और किसानों की उपज की कीमत भी कई गुना बढ़ गई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने लगान एक कौड़ी भी उन पर नहीं बढ़ाया, कांग्रेस की किसानों के साथ हमदर्दी और मेहरबानी.....

श्री अध्यक्ष--मैं इस चीज को पार्टी का प्रश्न नहीं बनने देना चाहता, आप सरकार कहें।

श्री सीताराम शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, आपने शायद गौर नहीं किया, मेरे साथी माननीय बालेन्दुशाह कह रहे हैं कि यह प्रचार का प्लेटफार्म नहीं है। हमारी सरकार ने किसानों की हमदर्दी से ही लगान आज तक नहीं बढ़ाया है उसका यही खयाल रहा कि किसी तरह से हमारे किसान भाइयों को शान्ति और सुख मिले, और सब जगह बढ़ाया गया लेकिन उनका नहीं बढ़ाया गया। जितनी ही उनको रियायतें दी जाती हैं उतना ही हमारे कुछ भाई उनके हमदर्द बनकर ऐसी हालत पैदा करना चाहते हैं कि जिससे मालूम हो कि वही उनके हमदर्द हैं और यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के न मानने से यह होगा कि प्रस्तावक वृन्द कहेंगे कि हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की, और हम बहुत लड़े लेकिन अफसोस है कि सरकार के दिल में रहम नहीं है और इसलिये सरकार ने माफ नहीं किया और अगर माफ हो गया तो कहा जायगा कि सरकार करना नहीं चाहती थी, लेकिन हमने प्रस्ताव को लाकर माफ करवा दिया और तुम लोगों का फायदा करवा दिया। अभी हमने मूवर साहब का भाषण सुना। उन्होंने फरमाया कि बड़ी विषमता है, गरीबी है। किसान के पास एक मकान है और किसी के पास पचीस, पचीस मकान हैं एक में हाथ, एक में सिर, एक में पैर फैलाना चाहते हैं। तो विषमता तो बड़ी आसानी से मिटाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है आपको अख्तियार है कि कानून बना दीजिये कि इतने रुपये से जिनके पास ज्यादा है वह सब ले लिया जायगा। हो सकता है कि यह भी कि इतनी जमीन से ज्यादा जिसके पास हो वह सब ले सकते हैं बड़ी आसानी से धनिकों को गरीब बनाया जा सकता है लेकिन कुछ धनिकों को गरीब बनाकर बहुत से गरीबों को धनी बनाना सम्भव नहीं है।

"नशा पिला के गिराना तो सब को आता है।
मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी।।"

सफेद कपड़े उतरवा लेना तो बहुत आसान है लेकिन जिसके पास गंदे कपड़े हैं अगर उसको हम न हटा सकें तो इसमें कौन सी बुद्धिमानी है। हमारी सरकार की कोशिश यह है कि गरीब धनी हो जाय और उसका ही यह नतीजा है कि अंग्रेजी जमाने के मुकाबले आज किसान खुशहाल हो गया है। जहां मध्यम श्रेणी के लोग तकलीफ में पड़ गये और ऊंचे दाम पर खरीद कर खाने से घाटे में पड़ गये हैं वहां किसानों की हालत कुछ अच्छी हो गयी है। यह हमारी सरकार की कृपा है। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं जिन जगहों पर मीटिंगों में जाता था तो गरीबों के बदन पर कपड़े नहीं होते थे, पैर में जूते नहीं होते थे, वहां अब मैंने देखा कि अब वह मीटिंग में आते हैं तो साफ कपड़े पहन कर आते हैं, पैर में उनके जूते भी होते हैं। (एक आवाज—बस्ती में ऐसा होगा, बस्ती के अलावा और कहीं की बात कहिये।) बस्ती जिले के अलावा और जिलों में भी जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है अब भी और पहले भी यह तो मानना ही पड़ेगा और विरोधी भी मानेंगे कि आज किसानों की हालत पहले से कुछ अच्छी हो गयी है। यद्यपि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी तरक्की रोक दी जाय, उन्हें और आराम मिलना चाहिये, और उन्हें आराम मिलेगा भी, अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे लेकिन अगर प्रोपेगेंडा के प्वाइंट आफ व्यू से प्रचार किया जायगा तो किसानों का नुकसान होगा। यह सरकार भी करती है कि अगर किसान कोई चीज अपने उत्थान के लिये बना लेता है जहां गांव वाले एक चीज कर लेते हैं वहां सरकार से उस काम को पूरा करने के लिए पैसा मिल जाता है। उदाहरणार्थ सरकार उनसे कहती है कि तुम सड़क बना डालो, पुलिया हम बनवा देंगे। इसी तरह से केन्द्रीय सरकार की भी यही हालत है। जो सरकार कुछ काम कर लेती है, जिन्होंने ट्यूबवेल्स लगवा दिये और यदि बिजली के लिये पैसा नहीं है तो केन्द्रीय

[श्री सीताराम शुक्ल]

सरकार से पैसा मिल जाता है। तो हम केन्द्रीय सरकार से रुपया पायेंगे। यदि हम किसान से लेकर कुछ खुद लगायेंगे तभी हम ज्यादा आराम किसानों को दे पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि बहुत ऊंची जगहों पर आप सब यहां हैं इसलिये जरा दूरदर्शिता से काम लेने की जरूरत है। यह ख्याल आप छोड़ दीजिये कि हम ऐसे काम करें जिससे वे कुछ खुश हो जायं और आइन्दा चल कर हमको कुछ राजनीतिक फायदा हो जाय। वोट के लिये क्या-क्या किया जायगा। जमींदारी चली गई, व्यापारियों और बिजनेसमैन पर बड़े-बड़े टैक्सेज लगा दिये गये और जिधर से होता है पैसा लेकर सार्वजनिक कामों में लगाया जाता है इससे अधिक और क्या किया जा सकता है। एक प्रस्ताव यह भी है कि जिसके पास ६ एकड़ से कम जमीन है उसका लगान माफ कर दिया जाय और लुत्फ यह है कि अगर पास हो गया तो नब्बे प्रतिशत किसानों की मालगुजारी माफ हो जायगी जिसका उल्टा असर पड़ेगा। किन्तु यदि नहीं होगा तो कहेंगे कि मैंने तो बहुत चाहा कि लगान माफ हो जाय लेकिन सरकार ने माफ नहीं किया, गर्ज कि चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। इसलिये अर्ज करता हूं कि कितने दिन तक आप इस तरह से वोट लेंगे। कहिये हम योग्य हैं, काबिल हैं, सच्चरित्र हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं और सेवा करेंगे इसलिए वोट दीजिए।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप इस तरह से आक्षेप न करें कि इस इरादे से कोई काम करता है। जो भाषण किसी ने दिया हो उसके तर्क को काटिये।

श्री सीताराम शुक्ल--भाषण तो, अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही होते हैं "शेश्म् कोपेन पूरएत"। जिस समय आप साहबान तर्कों का जवाब तर्कों से नहीं दे पाते तो लड़ जाते हैं। तर्क उनके पास है नहीं। जब वोट पड़ेगा तो मालूम हो जायगा कि तर्क इधर है या उधर है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि चुनाव की बात फिर मत लाइये। चुनाव से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं अर्ज करता हूं कि मैं आज के वोट की बात करता हूं आगामी चुनाव का नहीं। अन्त में एक बात कह कर व्याख्यान समाप्त करता हूं। इस विभाग के लोगों ने जिस हिम्मत से काम किया है, जिस परिश्रम से काम किया है, जिन दिक्कतों से काम किया है बजाय इसके कि हम उनकी प्रशंसा करें हम उनके कामों में रोड़ा अटकाते हैं। यह बात अच्छी नहीं है। हम सिंचाई मंत्री के आगे अपनी बातें रखते हैं अगर मान जाते हैं तो बहुत अच्छा और अगर नहीं मानते हैं तो उनके हाथ मजबूत करने चाहिये। सौभाग्य से हमारे सिंचाई मंत्री बहुत ही योग्य मिल गये हैं। हमारे सिंचाई मंत्री सिर्फ सिंचाई का ही काम नहीं कर रहे हैं, ट्यूबवेल ही नहीं लगवा रहे हैं, वे वाणी से भी गंगा बहाते हैं, और कलम से भी, तथा जमीन में भी नल लगा कर भी गंगा बहाते हैं वाणी से हृदय को, लेखनी से आंखों को और जमीन की गंगा द्वारा पैदावार बढ़ा कर शरीर को प्रसन्न करते हैं। हमारा फर्ज है कि हम उनके काम में बाधा न डाल कर उनके हाथों को मजबूत करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मुझे माननीय शुक्ल जी की बातों को सुनने का मौका मिला। जो कुछ तर्क आप ने पेश किये उनका तर्क से कोई वास्ता नहीं था। जिस तरह का आप का प्रस्ताव में संशोधन था उसी तरह का भाषण भी था। आप ने कहा कि यह जो प्रस्ताव रक्खा गया है कि हम लोग इसका प्रचार करना

चाहते हैं कि हम तो गये और बहुत लड़े, हमने बहुत कहा लेकिन फिर भी हूकूमत ने इसे नहीं माना। तो माननीय शुक्ल जी से कहता हूं क्यों नहीं वे जा कर अपने सिंचाई मंत्री से कहते हैं कि वे इस प्रस्ताव को मान लें, फिर हमारा तर्क ही खत्म हो जायगा। हमारा प्रोपेगेंडा फेल हो जायगा। आप यह मौका हमको क्यों देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आप में बुद्धि है और उस बुद्धि का प्रयोग कीजिये। भगवान ने बुद्धि इसलिये दी है कि अगर कोई प्रचार भी करना चाहे तो उस प्रचार को अपने लिये इस्तेमाल कर लिया जाय। यह प्रस्ताव कोई प्रचार के लिये नहीं लाया गया है। हम यह समझते हैं कि आज गल्ले की क़ीमत गिर रही है। शुक्ल जी ने कहा कि किसान आज खुशहाल हैं। सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। शुक्ल जी फरमा रहे थे कि देहात के लोग—किसान आज जूता पहन कर चलते हैं। खाने को उनको मिलता नहीं फिर जूता उनको कहां दिखाई देता है। लखनऊ की सड़कों पर शायद उनको किसान नज़र आते होंगे। लेकिन लखनऊ की सड़कों पर किसान नहीं हैं। किसान गांवों में हैं। उनको खाने को नहीं है फिर वे जूता पहन कर चलें तो कहां से चलें। यह मेरी समझ में नहीं आता। शायद शादी विवाह में भी उसको जूता पहनने का मौका नहीं मिलता। आपने किसानों का जूता तो देखा, लेकिन आप उसका पेट नहीं देख रहे हैं। पहले आप उसका पेट देखिये। मैं तो साफ-साफ यह कहूंगा कि किसान की हालत इस वक्त पहले से ज्यादा खराब है और इसके लिये मैं खाली गवर्नमेंट को ही दोष नहीं देता हूं। दूसरे भी कारण हैं। एक तो यह कारण है कि जो कहीं बाढ़ से फसल बरबाद हुई और कहीं सूखे से। दूसरे यह जो सस्ती आयी, गल्ला सस्ता बिकने लगा इससे भी किसानों की हालत खराब हुई। तीसरे हमारी सरकार की जो कृपा दृष्टि है टैक्स बढ़ाने और टैक्स लगाने की इससे भी किसान की हालत खराब हुई। ग्राम पंचायतों में जो पांच चार रुपये दे कर खड़ा होता था, अब छः रुपये दे रहा है। हम लोगों को छूट है। जितने विधान सभा या पार्लियामेंट के सदस्य हैं वह अपने जमानत का रुपया जमा कर के एलेक्शन के बाद वापस ले सकते हैं। लेकिन किसानों को छूट नहीं है। जो गांव सभा में खड़े होना चाहते हैं उनको छः रुपया दे ही देना पड़ेगा। उनको छूट नहीं है। इस तरह से किसानों की हालत जो शुक्ल जी कहते हैं कि अच्छी है वह अच्छी नहीं है। नहर रेट बढ़ा हुआ है इसी पर प्रस्ताव है। कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि किसी तरह से हालत किसानों की सुधर जाय। और वह कैसे सुधरेगी? जहां आबपाशी हो रही है। चूंकि गल्ले का रेट गिरा हुआ है, इसलिये कोई वजह नहीं है कि जो रेट इस नाम पर बढ़ाया गया था कि चूंकि गल्ला मंहगा हो गया है इसलिये नहर रेट भी बढ़ाया जाय और इस नाम पर जो बढ़ाया गया था उसकी अब कोई बुनियाद नहीं रह गयी है। उसी तर्क के ऊपर अब सरकार को चाहिये कि ५० में जो गल्ले का रेट था उस हिसाब से कर दे। होना तो यही चाहिये था अगर १९५० के गल्ले के रेट का मुकाबला आज के रेट से करें तो आपको विदित होगा कि १९५० के नीचे आज गल्ले का भाव चला गया है। तो कोई वजह नहीं है, सरकार के पास कोई दलील नहीं है कि नहर रेट न काम करे। मुझे तो यह देख कर बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने महत्व का प्रस्ताव है लेकिन पता नहीं कि उधर से ह्विप से तालाबन्दी हो गयी है कि माननीय सदस्य बोल नहीं रहे हैं, यह भी मैं नहीं जानता।

श्री शिवनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जितने सब माननीय सदस्य बैठे हैं उन पर यहां कोई ह्विप नहीं है। लेकिन इसमें १३ आदमियों का नाम है, उनको पहले मौका मिलेगा, इसलिये चुप बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप सूचना देना चाहते हैं, खैर उन्होंने सूचना ले ली।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, शायद वह कानून की जानकारी की कमी की वजह से ऐसा कह रहे हैं। कोई भी खड़ा हो कर बोल सकता है क्योंकि श्रीमन् जो तेरह आदमियों ने संशोधन दिये हैं, उसमें शुक्ल जी का नाम नहीं है। उन्होंने अपना भाषण दिया। इसी प्रकार कोई भी बोल सकता है। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर वह बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और मैं समझता हूं कि वह उसके ऊपर जरूर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष--आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह सिंचाई का रेट दो कारण दे कर बढ़ाया गया। एक तो यह कहा गया कि गल्ले के दाम जो हैं ऊंचे जा रहे हैं। इसलिये किसानों में देने की ताकत है। दूसरा आरग्यूमेंट यह दिखाया गया कि हमें निर्माण का कार्य करना है, हमें नहरें बनवानी हैं, इसलिये अगर कुछ रेट नहीं बढ़ायेंगे तो नहरों का निर्माण कहां से कर सकेंगे। जहां तक पहले कारण का सवाल है वह यह कि गल्ले का भाव ऊंचा जा रहा है वह तो रहा नहीं। सन् १९५० से गल्ले का भाव नीचे गया। तो पहले कारण के मुताबिक नहर का रेट कम कर देना चाहिये। दूसरा सवाल आता है कि हमें निर्माण करना है और नहरों को बनवाना है उसके लिये भी हमको रुपया चाहिये इसलिये हम नहर का रेट बढ़ाना चाहते हैं। यह जो दलील है श्रीमन्, यह मेरी समझ में नहीं आयी। इसलिये नहीं आयी, मैं एक बात मिसाल के तौर पर कहूँ कि हमें लड़कों को पढ़ाना है और स्कूल खोलने हैं तो चूंकि लड़कों को पढ़ाना है, स्कूल खोलने हैं इसलिये स्कूल की फ़ीस बढ़ा दें। यह तो कोई दलील नहीं है। हमें निर्माण का कार्य करना है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कहे कि हमें निर्माण नहीं करना है। उसका भी तरीका है, उसके भी जरिये हैं। आप रुपया वसूल कर सकते हैं, लेकिन यदि आज उन गरीबों से वसूल आप करें जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है तो ठीक नहीं मालूम होता। आप उनसे लीजिये जिनके पास पैसा है। जैसे मैं बतलाऊं, जरिये बताऊं, शुगर फ़ैक्ट्रियां हैं उनसे लीजिये। आप अपना सेस इनके ऊपर और बढ़ाइये और इनसे लीजिये। काफी मुनाफा इन लोगों ने कमाया है और आपकी नहरों के कारण भी इनको काफी मुनाफा हो रहा है। आप कहते हैं किसानों को मुनाफा हो रहा है और उनसे ज्यादा इनको हो रहा है। वह इसलिये हो रहा है कि जितना एकरेज है, जितना गन्ना बोया जाता है उसमें ज्यादा गन्ना पैदा होता है सिंचाई के कारण। तो इनको ज्यादा गन्ना मिल पाता है। दूसरी चीज यह होती है कि जहां गन्ना सींचा जाता है जिसकी पैदावार अच्छी होती है उसमें शुकरोज ज्यादा होता है, शुगर कन्टेन्ट इस गन्ने में ज्यादा होता है, इस प्रकार कम गन्ने में ज्यादा चीनी रहती है। इस कारण उनका शुगर परसेंटेज भी बढ़ता है और श्रीमन्, गन्ने की मिल में जितना भारी प्रभाव आमदनी पर शुकरोज बढ़ने का कारण होता है उतना और किसी कारण नहीं होता। तो यह सब कारण हैं। उनसे सेस बढ़ा कर लीजिये। दूसरी आमदनी का भी जरिया हो सकता है जो लक्जूरियस आर्टिकिल्स हैं जिनके बिना भी आदमी का काम चल सकता है जो शौकीनी के लिये इस्तेमाल की जाती है उन पर आप सेल्स टैक्स बढ़ाइये हमको कोई एतराज नहीं है। आप जो बहुत शौकीन लोग हैं, सिनेमा देखने जाते हैं उन पर भी एक आध पैसा इन्टरटेनमेंट टैक्स में बढ़ाइये, कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से बड़े लोग हैं आप उनसे वसूल कीजिये, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह दलील कि चूंकि हमको सिंचाई के साधनों को बढ़ाना है इसलिये हमको सिंचाई से ही कर लेना चाहिये यह कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। आप को टैक्स बढ़ाना है तो इन पर बढ़ाइये हमको कोई एतराज नहीं होगा।

दूसरी चीज बताई गई कि हमें निर्माण का कार्य करना है । यदि उसको इस तरीके से करें कि कुछ लोग एकदम ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ लोग एकदम गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो इस तरह से हमें नहीं करना है । जिस तरह से लड़ाई के वक्त काम किया जाता है उस तरह से हमें निर्माण कार्य करना होगा और हमें देखना होगा कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वह बहुत आगे न बढ़ने पावें और पीछे वाले भी उसके साथ चलें। जैसे फौज में एक कमांडर होता है, वह देखता है सारी चीजों को, यह नहीं होता लड़ाई के मैदान में कि कुछ लोग तो मौज मारें और कुछ लोग खाने बगैर मरें, अगर ऐसा हो तो फौज बगावत कर देती है । वही तरीका हमें निर्माण कार्य के लिये भी अपनाना होगा । हमें देखना होगा कि कोई हमारे देश में ऐसा व्यक्ति न रह जाय जो खाने बगैर मरे और कुछ लोग खाते-खाते मोटे हो जायं और उनको डाक्टरों की जरूरत पड़े। यह चीजें हमको देखनी होंगी और जिस तरह से कि फौज का कमांडर हर एक खेमे में अपने सिपाहियों की जांच करता है कि तुमने खाना पाया है कि नहीं ? तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है ? इस तरह से एक वेल प्लांड वे में अपनी फ़ौज को सम्हालता है, और फिर उस फौज को लेकर लड़ाई लड़ता है उसी तरह से हमको भी अपने यहां निर्माण कार्य करने के लिये बिलकुल फौजी तरीके से आगे बढ़ना होगा। जब तक हम उस तरीके को अपनायेंगे नहीं जब तक खाली वैसे ही निर्माण कार्य करते फिरेंगे जैसा कि इस वक्त हो रहा है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसी तरह से हमको कार्य करना है और आगे बढ़ना है। यह नहीं कि आप ने निर्माण की बात सोची, और कुछ नहीं मिला तो सिंचाई कर बढ़ा दिया। इससे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। इससे जनता का सहयोग मिलने वाला नहीं है। निर्माण कार्य के लिये यह सारी चीजें जो हैं उनकी जरूरत होती है। जनता के सहयोग की जरूरत होती है। जनता तब सहयोग देगी आपको जब आप उस कमांडर के तरीके पर जनता का भी ख्याल रखेंगे। यह ख्याल रखेंगे कि कोई हमारे यहां भूखा नहीं मर रहा है। शुक्ल जी की तरह यह नहीं चलेगा कि अब जनता बहुत तरक्की पर है, जनता की हालत बहुत सुधर गयी है। अब जूता पहनने लगी है। अगर हम यहां विधान सभा में बैठे-बैठे यही सोचते रहें तो हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है। हमको असलियत पर जाना होगा कि कहां हमारा देश है, किस तरह की हमारे यहां की जनता है, भूखों मर रही है या कष्ट में है। इसका ज्ञान रख कर जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक जनता का सहयोग नहीं होगा और जनता का सहयोग नहीं होगा तो आप नौकर शाही के द्वारा निर्माण का कार्य नहीं करा सकते। आप कुछ आदमियों को नौकर रख लें, डाइरेक्टर रख लें, डिप्टी डाइरेक्टर रख लें या और अफ़सरों को नियुक्त कर लें और सोचें कि इनके द्वारा हम निर्माण का कार्य करा सकेंगे तो यह असम्भव है। आपको जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर सहयोग जनता नहीं देगी तो यह जितना रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है वह सब बेकार हो जायगा और उससे कोई फायदा या देश का कल्याण नहीं होगा और अगर जनता ने सहयोग दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने रुपये में आप यह सब काम कर रहे हैं उनके आधे रुपये में उससे अच्छे तरीके का निर्माण का काम कर सकेंगे। खाली नौकरों के द्वारा निर्माण का काम कहीं भी, किसी देश में भी नहीं हुआ है जब तक कि जनता का सहयोग नहीं हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह सरकार इस तरफ ध्यान दे और इस तरफ ध्यान देकर निर्माण का कार्य उसे करवाना है तो जनता का सहयोग पहले उसे लेना चाहिये और जनता का सहयोग लेने के लिये यह जरूरी है कि हम जनता की तकलीफों को देखें । उसको क्या कष्ट हो रहा है यह देखें, यही खाली न देखें कि हमको जनता पर फलां टैक्स बढ़ा देना चाहिये, क्योंकि निर्माण कार्य होना है । जनता बिगड़ती है और नाराज भी हुआ करती है। श्रीमन्, इसी नहर के रेट को लेकर बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ। सत्याग्रह हुआ तमाम मामले कोर्ट में गये और तमाम चीजें हुईं। तो हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का आन्दोलन हो। सरकार खुद भी समझे और खुद समझ कर वह टैक्स जो सरकार को लगाना है वह ऐसे

[श्री जगन्नाथ मल्ल]
लोगों पर लगाये जो लोग कि टैक्स देने के काबिल हैं। यानी बड़े-बड़े धनियों पर लगाये, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं जिससे कि इन बड़े-बड़े पैसे वालों से रुपया लिया जा सकता है ऐसे कानून बनाये जा सकते हैं। फिर वह निर्माण के कार्य में क्यों नहीं रुपया देंगे? वह तो गरीबों की मेहनत की कमाई है। जो बड़ो-बड़ो मिल खोल कर सेठ और पूंजीपति होते चले जा रहे हैं क्या उनका फर्ज नहीं है कि वह निर्माण के कार्यों में सरकार को रुपया दें? अगर नहीं देते हैं तो कानून से लीजिये। उससे किसी को भी एतराज नहीं होगा और उस रुपये से निर्माण कीजिये। खाली किसानों से सिंचाई के साधन पर पैसा लेकर आप सोचें कि निर्माण का कार्य करेंगे, तो यह समझ में आने वाली बात नहीं। इसलिये, श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो भी दलीलें दी गयीं, पहली यह कि गल्ले का भाव ऊंचा हुआ इसलिये किसानों को टैक्स देना चाहिये, वह भी बात खत्म हो गयी, क्योंकि गल्ले का भाव सस्ता हो गया। दूसरे यह कि निर्माण का कार्य करना है, तो उसका भी मैंने दलीलों द्वारा जवाब दे दिया। इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये और नहर रेट को कम करना चाहिये और अगर निर्माण-कार्य में रुपये की जरूरत हो तो बड़े-बड़े लोगों से लेना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में माननीय तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को असामयिक मानता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता, जिस समय कि हमारा प्रदेश युद्ध-स्तर के ऊपर किसानों को सहायता करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ हो उस समय उसके राज्य-कोष में कमी करने की बात सोची जाय। मैं तो इसको बुद्धिमानी नहीं, बुद्धि वैराग्य मानता हूं। जो ये आर्थिक चंचलता के समय में आंकड़े दिये गये हैं उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। इस अर्थ संसार में बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, इस प्रकार से चंचुका प्रवेश करके हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। किसानों के सम्बन्ध में, तो हमारी सरकार बहुत ही जागरुक है। हमारे प्रदेश में किसानों की बहुत बड़ी संख्या है। एक बड़े राजनीतिज्ञ का कथन है कि--

"Poor peasantry and the country's pride,
If once spoiled will never survive."

किसी जगह की अगर दरिद्र किसानी मिट जाय और वहां का स्वाभिमान नष्ट कर दिया जाय तो पुनः जीवित नहीं हो सकता। इन बातों को सामने रख कर किसानों की सम्भव उपायों से सरकार सहायता करना चाहती है जिससे किसान यहां पर स्थिर रह जाय। खेती पर से बेगार भी हटाया जा रहा है और हर सम्भव उपायों से इस बात की चेष्टा की जा रही है। यह बात कही जाती है कि किसानों की दशा दिन प्रति दिन गिरती जा रही है, इसमें सत्यता नहीं है। अब किसान दोनों समय खाने लगा है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। किसान वस्त्र पहिनने लगा है और आगे भी जा रहा है और सिंचाई कर किसानों की उन्नति की बाधा नहीं बल्कि उनको धरातल से ऊंचा ले जाने वाला है। जो लोग कहते हैं कि सिंचाई कर की मुक्ति की मांग किसानों की मांग है, यह केवल कोरी कल्पना है। इंसान तो केवल सिंचाई के ऊपर जीवित है। सिंचाई मंत्री के इस आश्वासन पर कि सिंचाई के साधन हर प्रकार के जनता को उपलब्ध होंगे, उसका यह चाहना कि चैत्र मास से आषाढ़ मास तक एक फसल और पा जाय और फिर जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध किये गये हैं वहां पर किसानों की हालत सुधरती जा रही है। ऐसी दशा में मैं नहीं समझता कि किस आधार पर ऐसे समय में राज-कोष में कमी करने की बात सोची जा रही है और ऐसे आर्थिक संकट के समय ऐसा प्रस्ताव सामने लाया जा रहा है, यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमारे यहां के किसानों की जो अवस्था है वह सिंचाई कर के ऊपर आधारित है और उस कर के कारण वह सुधरती जा रही है। किसानी में एक मात्र वस्तु सिंचाई है और दूसरी कोई वस्तु नहीं है जिसके अन्तर्गत उसकी उन्नति हो सके।

यह बात कहना कि किसानों का कुछ द्रव्य बच जायगा; लेकिन यदि इसमें उनको कोई छूट दे दी जायगी तो आगे की दशा सुधर नहीं सकती है, क्योंकि हमारी सरकार प्रतिज्ञा-बद्ध है कि किसानों को सुधारने के अन्तर्गत उसे यह करना ही होगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि यह जो प्रस्ताव लाया गया है यह कोई बुद्धिमानी का प्रस्ताव है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा मैं भी समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो कि माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने रखा है वह असामयिक है क्योंकि इस वक्त हमारे सामने समस्या विकास की है और विकास के लिये हमें चारों ओर से भरसक साधन जुटाने हैं। प्लानिंग कमीशन भी हमसे यही कहता है कि अगर आप अपने सब साधन नहीं जुटाते तो हमसे ज्यादा रुपया नहीं ले सकते। और इसकी दलील में वे यही कहते हैं कि आपके यहां पर कैपिटा टैक्सेशन बहुत कम है उसको बढ़ाइये। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने अभी जो फीगर्स दिये हैं उनके अनुसार जहां बम्बई में पर कैपिटा टैक्सेशन १०.२१ है वहां उत्तर प्रदेश में केवल ५.९८ है। बिहार और उड़ीसा को छोड़कर मध्य प्रदेश का तो करीब-करीब बराबर ही है और सब जगह का पर कैपिटा टैक्सेशन हमसे ज्यादा है। तो इस दलील पर हमको केन्द्रीय सरकार रुपया देने में आनाकानी करती है। तो अगर हम अपने यहां टैक्सेशन कम कर दें, नहर रेट्स को कम कर दें तो या तो कोई दूसरा टैक्स लगायें और अगर नहीं लगाते हैं तो हमको रुपया मिलने में कठिनाई होगी। इस तरह टैक्स से अगर हमको १ करोड़ देना हो और वहां से ४ करोड़ मिलता है तो हम समझते हैं कि इस प्रदेश के किसानों के हित की ही बात होगी।

अब रहा सवाल यह कि सिंचाई कर का क्या औचित्य है। मैं इस सम्बन्ध में एक ही बात कह देना चाहता हूं। वैसे तो हम यहां पर बैठे हुये ऐसे यूटोपिया का निर्माण कर सकते हैं कि जिसमें कोई टैक्स नहीं होगा और सब सुख, सुविधायें होंगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कोई राज्य बन नहीं सका। यह भी सत्य है कि आज हमारा देश बहुत गरीब है और जो वर्तमान टैक्स है उसका भी भार यहां की जनता पर काफी पड़ता है लेकिन सवाल यह है कि हमें अपने देश का निर्माण स्वतः करना है, किसी दूसरे के दरवाजे से तो हमको भिक्षा नहीं मिलेगी। इर्रीगेशन रेट्स के बारे में इतना जरूर निवेदन करना है कि आंकड़ों को थोड़ी देर को छोड़ दें क्योंकि उनसे कुछ थोड़ा सा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन एक बात मानी हुयी है कि जहां पर आज सिंचाई की सुविधा है वहां के किसान, उस जगह के किसानों की बनिस्बत जहां कि सिंचाई नहीं है, ज्यादा खुशहाल हैं और उस खुशहाली में अगर काश्तकार की आमदनी १०० रुपये से बढ़ कर २०० रुपये हो गयी है और उसमें से २५ रुपये स्टेट ले लेती है तो शिकायत का क्या मौका है। जिनके यहां सिंचाई के साधन नहीं हैं और वहां साधन पहुंचाने हैं और उसके लिये उस बढ़ी हुयी १०० रुपये की आमदनी में से अगर सरकार २५ रुपये ले लेती है तो कोई अन्याय नहीं करती है। यों तो कहा जाता है कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों से क्यों नहीं लिया जाता। कांग्रेस सरकार इस ओर अग्रसर है लेकिन जैसा टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी कहा है कि यह चीज एकदम नहीं हो सकती। वैसे तो उसने भी सुझाव दिया है कि न्यूनतम और अधिकतम आमदनी में १ और ३० से अधिक का अनुपात नहीं होना चाहिये। लेकिन यह एकदम नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही हो सकता है। इस सम्बन्ध में उक्त कमीशन ने लिखा है कि जहां सन् ३८–३९ में कर का भार एग्रीकल्चरल आउट पुट का ३/४ परसेन्ट था वहां पर वह सन् ५२–५३ में घट कर १.१ परसेंट रह गया और दूसरी तरफ अरबन इन्कम से जहां सन् ३८–३९ में जो १७ करोड़ की इन्कम टैक्स द्वारा आमदनी थी वह आज बढ़ कर १६५ या १७० करोड़ हो गयी है, यानी दस गुनी हो गयी है तो अरबन इन्कम पर हमारा टैक्सेशन दस गुना हो गया है और जो रूरल इन्कम पर कर का बोझ और उसका अनुपात कम हुआ है ज्यादा आमदनी वालों से अपेक्षतः ज्यादा लेने का यह प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। लेकिन उतने से काम नहीं चलता और ज्यादा धन की आवश्यकता

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

है तब यदि जो टैक्स लगा हुआ है उसको हम इस वक्त हटायेंगे तो सिवाय इसके कि दूसरी शक्ल में और कोई टैक्स लगाना पड़े दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने केवल इन्कमटैक्स ही की फीगर्स आपको दिये हैं लेकिन सेल्सटैक्स का भी बोझ ज्यादातर अरबन पापूलेशन पर ही पड़ता है तो इस ओर तो सरकार प्रयत्नशील है ही, लेकिन शहर वालों से या पूंजीपतियों से जितना उनके पास है वह सब कुछ ले लें तब भी टोटल रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं अगर ऐसी बात न होती तो टैक्सेशन कमीशन कभी नहीं यह कहता है कि "An extension of taxation of necessaries would seem to be unavoidable." जो हमारी जरूरियात की चीजें हैं जिनको हमने टैक्स से फिलहाल मुक्त कर रखा है उन पर भी टैक्स लगाना पड़ेगा। जब तक हम टैक्से को इतने बड़े दायरे पर नहीं लगायेंगे तब तक हमारी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिये हमारे लिये लाजमी हो गया है कि चाहे गरीब से भी हम उसकी चार रोटी में से एक टुकड़ा लेने के लिये बाध्य हैं और वह इसलिये बाध्य हैं कि चार रोटी से बढ़कर आगे चलकर उसके लिये छः रोटी हो जायं, आठ रोटी हो जायं। काश्तकार जिसके पास खाने को नहीं है फिर भी वह अपने खेत में अपना पेट काटकर बीज डालता है और इसलिये बीज डालता है कि वह जानता है कि जब फसल होगी तो उसको उससे दसगुना मिलेगा।

इसलिये आज हम जो इरीगेशन रेट्स के द्वारा जो लोगों की आमदनी का हिस्सा ले रहे हैं उससे दूसरी जगह पर निर्माण कार्य होगा जहां के लोगों की हालत इससे भी बुरी है जैसी कि इनकी है। उनकी भी हालत सुधरे और जहां आज उनकी जेब में चार पैसा जाता है वहां कल चार आने जाने लगे। यही आज इस टैक्सेशन का औचित्य है। कहने में तो यह आसान लगता है कि यहां से अधिक टैक्स ले लो, वहां से ले लो, लेकिन कोई भी टैक्स देना पसन्द नहीं करता है आज इन्कम टैक्स वालों के पास जाइये, सेल्स टैक्स वालों के पास जाइये तो सब जगह यही शिकायत मिलेगी कि टैक्सेज का बोझ बहुत बढ़ा हुआ है और पिसे जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब हमारे यहां डेवलपमेंट हो रहा है और हम बराबर अपनी स्वतंत्र नीति को कायम रखना चाहते हैं और हम किसी का दरवाजा खटखटाना नहीं चाहते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में सभी पर टैक्स लगाना अनिवार्य हो जाता है चाहे वह गरीब हो या अमीर।

जो हमारे सामने फीगर्स हैं और जो मुझे सूचना है उससे यह जाहिर होता है कि हमने दो बार इरीगेशन रेट्स को बढ़ाया। एक दफा तो १९४९ में ५० प्रतिशत बढ़ाया और दूसरी दफा १९५३ में बढ़ाया गया और वह भी करीब-करीब ५० प्रतिशत बढ़ाया गया। समानता लाने के लिये ऐडजेस्टमेंट हुआ है तो कहीं-कहीं यह ६० प्रतिशत हो गया है। लेकिन औसतन ५० प्रतिशत पहली दफा में वृद्धि हुयी और इसके ऊपर ५० प्रतिशत दूसरी दफा में, इस प्रकार जहां पहले १६ आना लगते थे वहां ३६ आने हो गये और तीन आने रुपये की छूट देने के बाद अब वह २९ आने रह गये। इस इन्डैक्स १९४८ में १०० मानकर १९५३ के मार्च, अप्रैल में फिर उतना ही हो गया इस प्रकार सन् १९४९ की पहिले वृद्धि तो ठीक ही रही लेकिन सन् ५५ में जहां रेट्स सवाये यानी २४ आने के २९ आने हो गये वहां प्राइस इन्डैक्स १०० से ५८-२ आ या, इस तरह १९४ या १९५३ के हिसाब से तो यह बढ़ोत्तरी अनुचित मालूम ही होती है, लेकिन यदि हम १९३९ की कीमतों से आज मुकाबला करें तो जहां कीमतें तब से अब भी तिगुनी और चौगुनी हैं वहां सिंचाई की रेट १६ आने से बढ़ कर केवल २९ आने है यानी दुगुने से भी कम है और यह बिलकुल न्याय संगत प्रतीत होती है। जब यह स्थिति है और हमें विकास का कार्य करना है तो बढ़े हुए इस सिंचाई कर को हमें कायम रखना ही पड़ेगा। वरना वह डेवलपमेंट लेवी या और किसी शकल में आयेगा अगर नहीं आयेगा तो फिर हमको यह शिकायत होगी और लाजमी होगी कि हमको केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में रुपया नहीं मिला है जैसी शिकायत कि अभी एस० आर० सी० की रिपोर्ट पर बहस होते समय हुयी थी। जब हम इन्कम टैक्स वगैरह में पर कैपिटा बेसिस पर ८० परसेंट डिस्ट्रिब्यूशन चाहते हैं तो केन्द्र भी हमसे तकाजा करता है कि आप अपना

पर कैपिटा टैक्स बढ़ाइये नहीं तो हम आपको ज्यादा सहायता देने से असमर्थ होंगे तो अगर हमको विकास कार्यों के लिये वहां से मदद लेनी है तो हमारे लिये यह लाजिमी है कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ायें। इस वक्त जो प्रस्ताव हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें बढ़ाने का सवाल तो अलग रहा जितनी है उतनी भी न रहे बल्कि और भी घट जाय ऐसा सुझाव है ऐसा करके हम देश और प्रदेश का लाभ नहीं करेंगे इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो संकल्प प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करता हूं। इस विरोध के दो कारण हैं। इस प्रस्ताव के अन्दर दो बातें खास तौर से कही गयी हैं। पहली बात तो यह है कि चूंकि किसानों की पैदावार और किसानों की आमदनी गिर गयी है इसलिये सिंचाई के रेट्स कम होने चाहिये और दूसरी बात यह है कि सिंचाई के रेट्स चूंकि ज्यादा हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हैं इसलिये वे कम हो जाने चाहिये। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किसानों की आमदनी गिरती जा रही है मैं इसके सम्बन्ध में बाद में कहूंगा क्योंकि इसके साथ में केवल सिंचाई का ही नहीं बल्कि भूमि का, कृषि नीति का, हमारे ऋण देने की नीति का, कोआपरेटिव क्रेडिट फैसिलिटीज का, नये-नये बीजों और औजारों आदि का और नाना प्रकार के प्रश्न का इससे सम्बन्ध है। लेकिन जहां तक आबपाशी का प्रश्न है जिसको लेकर सदन में एक बार पहले भी बहस हो चुकी है और अभी भी माननीय सदस्यों ने इसे उपस्थित किया है, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अगर हमने वर्तमान परिस्थिति में अपनी फाइनेन्शियल पोजीशन को, अपने प्रदेश के निर्माण कार्यों को अपने सामने नहीं रखा और बराबर इसी बहस में पड़ते रहे कि शहरों में टैक्सेशन ज्यादा है, सेल्स टैक्स बहुत बढ़ गया है, सिंचाई टैक्स बहुत बढ़ गया है और इसी प्रकार के प्रश्नों को लेते रहे तो निश्चय ही हमारी प्रगति में, हमारे निर्माण कार्यों को, जिनको कि हम प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पिछली बार भी मैं नहीं जानता कि क्या राजनैतिक कारण थे या क्या और कारण थे जिनके कारण सिंचाई रेट में कमी होने का प्रश्न उपस्थित किया गया था। इस बार भी प्रस्ताव आया हुआ है कि पिछले एक वर्ष के अन्दर परिस्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जब-जब यह प्रस्ताव आया तो हमने इस प्रश्न को शुरू से उठाया है कि सिंचाई की दर पहले कितनी थी और अब कितनी है। इसका विचार करते समय हम १८६१ से लेकर १९५५ तक पहुंचते हैं और देखने से मालूम यह होता है कि सरकार ने भी इसका पूरी तरह अध्ययन किया है। सन् १९४६ के बाद भी इस प्रश्न को लेकर एक इरिगेशन कमेटी बैठी थी और उसको यह पावर दी गयी थी कि वह इस प्रश्न का निरीक्षण करे। उस कमेटी ने अपनी जांच के सिलसिले में जो आंकड़े इकट्ठे किये और दूसरे देशों के बारे में जो जानकारी हासिल की उससे एक बात तो साफ हो गयी और वह यह कि अमरीका में जो आबादी लगायी जाती है वह टोटल पैदावार की, जो किसान को होती है पांचवां सातवां हिस्सा हो सकती है और यह कहा गया कि अगर १/५ वां हिस्सा पैदावार आबपाशी ले ली गयी तो कोई ज्यादा नहीं है। कमेटी ने जब प्रश्न को इक्जामिन किया तो उसमें यह निर्णय हुआ कि अगर हमारे देश में पैदावार का १/१० ले लिया जाय तो ज्यादा नहीं है। यह अपनी सिफारिश कमेटी ने दी। कमेटी की इस सिफारिश को ध्यान में रख कर अगर अपने प्रदेश की आबपाशी की दर को देखा जाय तो मालूम होगा कि हमारे यहां की आबपाशी की दर पैदावार के पांचवें भाग से [illegible] वें भाग तक से ज्यादा नहीं है। अब सवाल यह होता है कि जब तक कमेटी का यह निर्णय है और जब तक कि दूसरी कमेटी बिठा कर इस प्रश्न का दुबारा निर्णय न किया जाय तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न क्यों खोला जाता है। पहले हमें यह देखना चाहिये कि जो उस पहली कमेटी के फैसलों के बाद अभी तक स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है। उसका कितना बुरा या अच्छा प्रभाव किसानों पर पड़ा है। हमें इस प्रश्न को पुनः देखना चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि इस प्रश्न का अध्ययन किया जाय तो हमें चाहिये कि एक इरिगेशन कमेटी पुनः मुकर्रर करें और वह इन दरों के विषय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवकुमार शर्मा]

में छानबीन करे और इन चीजों के विषय में अपना फैसला करे और अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करे। फिर यह कहा जा सकता है कि इतना परिवर्तन हो चुका है और इतने कम या बेश करने की गुंजाइश है। मैं समझता हूं तब तो कुछ इसका आधार हो सकता है और तब वह चीज सदन के लिये मानने की हो सकती है। लेकिन यहां पर दिये गये आंकड़ों की बिना पर हमको यह देखना चाहिये कि आबपाशी की पैदावार में जहां पर आबपाशी होती है और वहां जहां पर आबपाशी का प्रबंध किसानों के लिये किसी प्रकार नहीं है, इन दोनों में कितना अन्तर है? हम देखेंगे कि इन दोनों स्थानों की पैदावार में बहुत अन्तर है। आज भी किसान इस रेट पर अपने यहां ट्यूबवेल और नहरें बनवाने के लिये कितने बेचैन हैं आप इस बात को प्लानिंग कमेटी के दफ्तर में, इज नियर के दफ्तर में जाकर देखिये कि उन लोगों की तरफ से दरख्वास्तों की कितनी भरमार हैं। वह इसी रेट पर अपने यहां ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं। अगर आज यह बात गलत है कि किसानों से रेट ज्यादा लिये जाते हैं। तो फिर किसानों की मांग से इस प्रकार ये दफ्तर क्यों भरे हुये हैं? जो भी मुमकिन तरीका उनके पास है चाहे वह सिफारिश का हो या किसी के पास अपरोच करने का हो वह तरीका आज किसान अपने यहां ट्यूबवेल लगाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि यह बात कही जाती है कि किसानों की हालत खराब हो रही है और वह सिंचाई के रेट को कम करना चाहते हैं उसके कारण यह हैं कि उसके ऊपर आबपाशी का भार ज्यादा पड़ रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि किसान आज अपने यहां सिंचाई के जो भी साधन हो सकें उनको किसी भी तरह से करना चाहता है। जहां तक ट्यूबवेल की बात है मैं निश्चय के साथ यह कह सकता हूं कि सरकारी ट्यूबवेल के अलावा कोई भी तरीका वे अपने पास से अपनावें जिससे सिंचाई की जा सके वह तरीका इस आबपाशी की दर से दुगना तिगना मंहगा पड़ता है। जो लोग अपने यहां रहट से आबपाशी करते हैं उनको तिगुना मंहगा पड़ता है। जो लोग अपने यहां ट्यूबवेल लगाते हैं और किसानों को आबपाशी करने के लिये पानी देते हैं वह २,३ रुपया फी घंटा उनसे ले लेते हैं तब जाकर वह पानी देते हैं। यह कोई कल्पना की बात नहीं है। यह मेरी देखी हुयी बात है और आज भी देखी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां पर अनइरिगेटेड लैन्ड हैं वहां पर ९ मन फी एकड़ से ज्यादा गेहूं की पैदावार नहीं होती है लेकिन जो एरिया ऐसे हैं कि जहां पर इर्रीगेशन होता है वहां पर १३,१४ और १५ मन फी एकड़ गेहूं की पैदावार होती है। ऐसी पैदावार के अन्दर मैं यह नहीं समझता कि कोई भी यह कहता हो कि जब इतनी पैदावार उनके होती है तब वह किसी तरह से आबपाशी के बारे में ज्यादा रेट की बात महसूस करते हैं या वह ट्यूबवेल का पानी लेने से इनकार करते हों। मैं नहीं समझ पाता कि उनको कौन सी असुविधा है? बैलों की जोत कम हो जाती है तथा बैलों पर भार भी कम पड़ता है, मजदूरों को कम पैसा देना पड़ता है लेकिन फिर भी वह आबपाशी के रेट को देने में आनाकानी करते हैं। यह गलत है। मैं कहता हूं कि जो ट्यूबवेल की दर पड़ती है उस पर किसान को किसी प्रकार से एतराज नहीं हो सकता है। यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि आया उसको यह ज्यादा महसूस होता है या नहीं। हम देखें कि जब गेहूं की कीमत १६ रुपया या २० रुपया मन थी तो क्या वह नार्मल स्थिति के अन्दर थी। नार्मल स्थिति के अन्दर गेहूं की कीमत १२,१३ रुपया मन से ज्यादा नहीं हो सकती थी क्योंकि वह तो एक ऐसी स्थिति थी जो संकट की स्थिति कही जा सकती है। देश के अन्दर हर एक वर्ग मजबूर था और हमारे यहां भी डिमांड और सप्लाई के मातहत उसका मूल्य २० रुपया तक गया था। लेकिन साधारण स्थिति में जैसा नहीं हो सकता था और न हमेशा के लिये यह २० रुपये का रेट रह सकता था। उस वक्त यह भी नहीं हो सकता था कि थोड़े दिनों के लिये आबपाशी का रेट बढ़ा दें और जब कम हो जाय उसको कम कर दें। जब आप यह देखते हैं कि अनइरिगेटेड एरिया से सिंचाई वाले एरिया की पैदावार डेढ़ गुना हो जाती है और ९ मन के बजाय १४ मन हो जाती है तो इसका अर्थ यह है कि उनकी पैदावार ५० फीसदी बढ़ जाती है। अगर उस पैदावार में से वह २५ या ३० प्रतिशत दे देता है तो उसको बार नहीं मानना चाहिये जबकि उस फसल के अतिरिक्त उसको उस अधिक पैदावार से भूसा आदि और भी चीजें मिलती हैं।

इसके साथ ही साथ यह प्रश्न भी होता है कि किसानों की माली हालत को कैसे ठीक किया जाय ? उसके लिये सरकार को अपनी कृषि नीति को ठीक करना चाहिये। हमारे देश में और प्रदेश की सरकारों ने किसी खास कृषिनीति को नहीं अपनाया है उसका फल यह हो रहा है कि यहां की कृषि में कोई अच्छी व्यवस्था हम अभी तक नहीं ला पाये हैं। अगर कहीं फसल कम होती है तो उसका एक मात्र कारण यह ही नहीं है कि वहां पर आबपाशी की कमी है बल्कि उसका कारण यह है कि हम कृषि की लुक्रेटिव व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। हमारे यहां केवल इस धंधे को पैत्रिक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है और आज का किसान नुकसान देकर भी उसको नहीं छोड़ेगा। नुकसान देने का कारण यह नहीं है कि वहां पर किसानों को सिंचाई का कर अथवा दूसरे टैक्सेज ज्यादा देने पड़ते हैं बल्कि उसका कारण यह है कि उसकी प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम है और जो वह कृषि करता है वह किसी कृषि नीति के अन्तर्गत नहीं करता। उसने जमीन की उर्वरा शक्ति को ऊंचा उठाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसने इस प्रकार के किसी कार्यक्रम को नहीं अपनाया जिससे वह विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा करके आमदनी बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त जहां सरकार की ओर से अन्य कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है वहां कृषि नीति को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। कृषि की प्रति एकड़ पैदावार को ऊंचा उठाने के लिये किसी कार्यक्रम को नहीं अपनाया गया। किसानों को यह नहीं बताया गया कि उन्हें अपने क्षेत्रों में कितना गेहूं, कितनी ऊख और कितनी हार्टीकल्चर की पैदावार करना है। जहां गवर्नमेंट किसानों को हर प्रकार की फैसेलिटीज दे रही है, उनको अच्छा बीज, खाद और तकावी वह देती है वहां उसने किसानों पर इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगायी है कि उनको किस-किस चीज की कितनी कितनी पैदावार करनी है तथा उसको पैदावार के प्रति एकड़ का कितना स्टैन्डर्ड मेंनटेन करना है। सरकार ने किसी से इस बात को नहीं कहा है कि उसको कम से कम १५ मन फी एकड़ के हिसाब से पैदा करना होगा। आज यह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि चाहे वह १५ मन पैदा करे अथवा १३ मन पैदा करे। यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य अधिक से अधिक पैदा करने का प्रयत्न करता है लेकिन साथ ही साथ यह सत्य है कि गवर्नमेंट जो सुझाव देती है उन सुझावों का लाभ नहीं उठाया जाता। इसलिये जहां-जहां सरकार आबपाशी का प्रबंध करे और दूसरी फैसेलिटीज दे वहां-वहां सरकार को इस प्रकार का नियोजन करना चाहिये और जमीन की उर्वरा शक्ति को ऊंचा उठाने तथा इरोजन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके अतिरिक्त पशुधन और भूमि का ऐसा सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये जिससे मेन्योर की आवश्यकता को किसान स्वयं ही पूरी कर सके और हरी खाद का भी वह समुचित प्रबंध करे। अब इसके अतिरिक्त जिस जमीन में आबपाशी होती है उसमें ९–१० मन प्रति एकड़ की पैदावार को बढ़ाकर आसानी से दुगुना किया जा सकता है। दूसरे देशों की ओर देखिये—मिश्र और जापान को ही ले लीजिये, वहां के किसानों की गेहूं की पैदावार प्रति एकड़ २७ मन से लेकर ३० मन तक होती है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार को कोआपरेटिव सोसाइटीज के बावजूद भी अच्छी खाद और अच्छे इम्प्लीमेंट्स देने के बावजूद भी, अच्छा बीज और सब प्रकार की सुविधा देने के बावजूद भी हम यह नहीं कर पाये हैं कि हमारी पैदावार २०–२५ मन प्रति एकड़ की हो सकी हो या ईख की पैदावार ७०० मन की कर सके हों। आज हम किसानों के छोटे-छोटे लाभों की ओर ध्यान देते हैं, उसको कहते हैं कि आबपाशी से छूट दिला दी जायगी, लेकिन इन बातों का असर राष्ट्र के हित में होने वाला नहीं है। इससे हमारे रास्ते में दुश्वारियां ही बढ़ेंगी इस प्रकार के नारे लगाना अन्त को घातक ही सिद्ध होगा। उनको यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि केवल एक वर्ग की बात कहना और सारे राष्ट्र का ध्यान न रखने से देश की प्रगति को नुकसान पहुंच सकता है। यह सही है कि किसानों को फैसेलिटीज दी जायं लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी सही है उन फेसेलिटीज को दे देने के बाद किसान जो अन्न पैदा करता है वह राष्ट्र की आवश्यकतानुसार होना चाहिये। उसके लिये यह आवश्यक है कि वह राष्ट्र की आवश्यकतानुसार गन्ना पैदा करे, राष्ट्र की आवश्यकतानुसार वह गेहूं पैदा करे, राष्ट्र की आवश्यकतानुसार वह दूसरी चीजें तथा फल उत्पन्न करे। मुझे याद है कि जब अफ्रीका में ऐसी स्थिति एक बार आयी तो इस प्रकार की समस्या को वहां की उस समय की सरकार ने वहां पर उसको जिला लेविल

[श्री शिवकुमार शर्मा]

पर जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां बनती हैं उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेविल पर आरम्भ किया और इस प्रकार उन्होंने एक व्यवस्थित ढंग से वहां नियोजन किया और प्रयत्न किया कि जिस तरह से सरकार चाहे एक व्यवस्थित ढंग से फसलें उगाई जायं।

इस समय यहां पर सौभाग्य से हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी दोनों मौजूद हैं इसलिये मैं उनकी सेवा में एक और बात रखना उचित समझता हूं और वह यह है कि एक सब से बड़ी कठिनाई जो आज किसानों के सामने है वह यह है कि आज जो एक एक ट्यूब वेल पर कमान्ड एरिया दे रखा है वह इतना अधिक है कि वह ट्यूबवेल किसी हालत में उतने एरिया को वास्तव में पानी नहीं दे सकता और उसका नतीजा यह होता है कि बराबर किसान पानी की कमी की वजह से परेशान रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से यह पद्धति जो इस सम्बन्ध में अपनायी गयी है और जिस प्रकार की पद्धति अंग्रेजी जमाने में चलती थी वहीं आज क्यों चली आ रही है यह जानते हुये भी कि वह ट्यूबवेल साल भर किसी हालत में भी उतने क्षेत्र को पानी नहीं दे सकता लेकिन उसके साथ उतना कमांड एरिया लगा दिया गया है। इस एरिया को कम करने की चेष्टा करना बहुत जरूरी है। माननीय सिंचाई मंत्री जी कह सकते हैं कि ७० लाख एकड़ की जगह ९० लाख एकड़ रकबा सिंचाई क्षेत्र में आ गया है। लेकिन मैं उनसे बहुत अदब से पूछना चाहता हूं कि आप ने जितना कमांड एरिया रख रखा है क्या वाकई उतने क्षेत्र को सिंचाई साल भर बराबर मिलती है। एक एक नलकूप का कमान्ड एरिया दो हजार एकड़ और एक हजार एकड़ है लेकिन कितना एरिया है वास्तव में जो वह पानी पाता है। अगर उसको एक बार सिंचाई कर भी मिलती है तो दोबारा तो उसक नम्बर आता ही नहीं और जब तक उस फसल की प्लान्ट फैमिली बढ़ती है तब तक फसलें पानी के अभाव में मरने लगती हैं जब कि उनको और अधिक पानी की जरूरत होती है। एक दो मिनट श्रीमन्, और दे दें तो मुझे एक बात और कहनी है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कमांड एरिया को देखकर निश्चित करें कि वास्तव में एक ट्यूबवेल से प्रत्येक क्षेत्र में कितनी आबपाशी हो सकती है शायद यह वह भी जानते हैं कि मौजूदा जो निर्धारित कमांड एरिया है वह तो केवल उसको सान्त्वना देने के लिये ही है बाकी यह तो किसान जानता है कि कितना कमांड एरिया दिया हुआ है और कितना क्षेत्र वाकई उसके कमांड में आ सकता है।

दूसरी बात यह है कि गर्मी के दिनों में जब कि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त कभी-कभी बहुत कष्ट पानी न मिलने से किसानों को होता है और उनकी खड़ी फसल जरा सी देर में खराब हो जाती है। माननीय वित्त मंत्री जी जानते होंगे कि आबपाशी हो रही है, मई जून का महीना है पानी चल रहा है और यकायक बिजली फेल हो गयी और पानी की सप्लाई एक दम से रुक गयी, कभी-कभी तो आधा खेत भरा है और आधा सूखा पड़ा है। इससे किसान को बहुत ही तकलीफ होती है और उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उस वक्त उसके सामने कोई चारा नहीं रह जाता। जो कुछ मेहनत या पैसा वह उसमें लगाये होता है वह सब बरबाद हो जाता है, कभी-कभी तो १२-१२ घंटे तक बिजली नहीं आती है और १४-१४ घंटे तक ट्यूबवेल बन्द पड़े रहते हैं किसान परेशान होता है। इसलिये इस प्रश्न पर भी माननीय मंत्री जी गौर करें कि इस तरह से बिजली का इंतजाम ठीक हो और ऐसे वक्त में ट्यूबवेल न रुकें और दूसरे जैसा मैंने कहा कि कमांड एरिया बहुत ज्यादा है वह ठीक करके कम किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर आज हम लोग विचार कर रहे हैं वह इस प्रदेश के किसानों के लिये इस प्रदेश की भलाई के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी का भाषण सुन रहा था और उन की यह दलील कि देश के अन्दर विकास हो ही नहीं सकता अगर रुपया जनता से न आये, यह एक ऐसी छोटी दलील है जो असाधारण बच्चा भी समझ सकता है कि पैसा नहीं आयेगा तो विकास

कहां से होगा। मैं माननीय चतुर्वेदी जी को, इस सरकार को और माननीय मंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग हवा में कोई बात करने को तैयार नहीं हैं। हम इस बात को महसूस करते हैं कि देश का विकास होगा तो रुपये की आवश्यकता होगी। उस के लिये टैक्स भी लगाने पड़ेंगे, शायद सरकार डरती हो कि टैक्स से चुनाव पर असर पड़ सकता है लेकिन अगर देश का विकास करना है तो टैक्स का लगाना भी आवश्यक है। जमीन से रुपया नहीं आ जायेगा। तो जहां तक टैक्स का सवाल है, जहां पर वाजिब टैक्स लगता है हम उसमें सरकार का साथ देंगे, लेकिन जहां पर टैक्स की अति हो जाती है, जहां पर गलत टैक्स हो जाते हैं उसका हम विरोध करते हैं और करेंगे। यह आबपाशी का टैक्स, जिसके लिये हम कह रहे हैं कि कम किया जाय वह है जिसको कि सरकार ने इसलिये बढ़ाया था कि किसानों के अनाज जो वह पैदा करते थे वह बाजार के अन्दर महंगा हो गया था और उनको उसका अच्छा पैसा मिलने लग गया था इस वजह से आबपाशी का रेट बढ़ाया गया था ताकि उस पैसे से प्रदेश के और विकास के काम पूरे किये जायं। आज चूंकि अनाजों के भाव कम हो गये, अब सस्ता अनाज बिक रहा है. इसलिये किसान को अब उतना पैसा नहीं मिलता इसलिये जिन कारणों पर वह टैक्स बढ़ाया गया वह कारण अब रह नहीं गये और इसलिये उस टैक्स को कम कर देना चाहिये, यह हमारे आर्गूमेंट्स हैं। माननीय मंत्री जी शायद यह बात न कहें लेकिन फिर भी मैं उपाध्यक्ष महोदय, पहले से कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत सी नहरें बनी हुयी हैं। शुक्ल जी ने सबेरे कहा कि हम लोग पोलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिये कहेंगे कि हमने माफ कराने के लिये कहा और सरकार ने माफ नहीं किया इसलिये हम लोग इस प्रस्ताव को ले आये हैं, यह बात नहीं है। हमारे यहां जो नहरें बनी हुयी हैं उससे लोगों को फायदा हो रहा है उससे खेती की उपज बहुत बढ़ी हुयी है और इसीलिये हम सरकार से कह भी रहे हैं कि हमारे यहां और नहरों की योजना होनी चाहिये और सरकार ने उसके लिये रुपया भी रखा है लेकिन अगर हम सरकार से कहें कि हमारे यहां नहरें बनाओ और कोई टैक्स भी हमारे यहां मत लगाओ तो गलत बात होगी। हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि अगर हमारे यहां नहरों पर टैक्स नहीं लगा है और उन नहरों से फायदा हो रहा है तो माननीय मंत्री जी उन पर टैक्स लगावें और हम हमेशा उसे देने के लिये तैयार रहेंगे। हमारे पास स्वयं पैसा नहीं है कि हम आबपाशी के लिये इंतजाम कर सकें लेकिन सरकार रुपये का इंतजाम कर सकती है और सरकार जनता को पानी दे सकती है और वह भी फिर जनता से अवश्य इस बात की आशा कर सकती है कि सरकार ने जो खर्चा किया है उसे वह अदा करे। सरकार के पास रुपया रखा तो नहीं है। वह या तो कर्जा लेकर लगाती है या टैक्स लगाती है और तभी नहरें बना सकती है। इसलिये यह आवश्यक है कि जहां ऐसे काम किये जायं वहां टैक्स होना चाहिये लेकिन टैक्स कितना वसूल होना चाहिये। सरकार कभी इस बात का दावा नहीं करती कि वह पानी जनता के हाथों बेचकर खेती के लिये दे रही है। उन्होंने जो आबपाशी का टैक्स लगाया वह यह सोचकर कि कितना कैपिटल आउटले है जितना रुपया नहरों पर खर्च हुआ है कोई रेट्स हैं उनके हिसाब से जितना कर्जा उसके ऊपर है उसका हिसाब लगाकर वह आबपाशी रेट्स लगाये गये हैं। अब वह रेट्स हर जगह लगाये जायं तो किसी को कोई विरोध नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, शिवकुमार जी शर्मा का भाषण सुन रहा था और मुझे उससे ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि उनके यहां आबपाशी के रेट्स ज्यादा नहीं बढ़े जितने और जगह बढ़े। अगर उनके यहां भी बढ़े होते उतने ही जितने और जगह बढ़े तो वह अवश्य एतराज करते।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इनके यहां सिर्फ एक कैनाल है जिसका बहुत थोड़ा सा रकबा है उस पर अवश्य नहीं बढ़ा है लेकिन और जगह तो बढ़ा है। इनके यहां सारी सिंचाई ट्यूबवेल से होती है उस पर अवश्य ही बढ़ा है जैसे और जगह सूबे में बढ़ा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं नहीं कहता कि उन बेचारों को राहत न मिले लेकिन मेरा यह कहना है कि पश्चिमी जिलों के लोगों में से कोई यह साबित कर सके कि टैक्स कम नहीं होना चाहिये तो कोई नहीं कहेगा। मैं स्वयं भी यह कभी कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि टैक्स

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

नहीं देना चाहिये । मैंने तो स्वयं ही पहले कहा है कि जहां टैक्सेज नहीं है और नहरों से लोगों को फायदा हुआ है वहां उनसे लेना चाहिये और मैं अब उन खुद की दलीलों को दुहराना नहीं चाहता, न उसकी जरूरत है। यह माननीय शम्भूनाथ जी कहते हैं, शिवनारायण जी कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि डेवलपमेंट के लिये रुपया चाहिये और इसमें हम लोग सरकार के साथ हैं और हम सरकार को बतलाना चाहते हैं कि रुपया कहां से आयेगा । रुपया चाहिये तो हर तरफ डकैती डालना शुरू कर दी जाय ऐसा नहीं होना है । जैसा हमारे माननीय मल्ल जी ने कहा स्कूल बनवाने हैं, प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी करना है तो यह नहीं करना है कि स्कूल के बच्चों की फीस दूनी कर दो और स्कूल खोल दो । हम डेवलपमेंट के हर काम में सरकार के साथ हैं, रुपया देने में साथ हैं, रुपये के लिये टैक्स लगाने में साथ हैं, लेकिन अगर रुपये का दुरुपयोग होगा तो उसका विरोध करने के लिये भी साथ साथ तैयार हूं । अगर खराबियां हैं, नहर चलाने में और उसकी मेन्टिनेन्स में रुपया खराब होता है तो हम विरोध करेंगे लेकिन जहां तक डेवलपमेंट का मामला है हम लोग डेवलपमेंट के मामले में रोड़ा अटकाना नहीं चाहते । आज माननीय वित्त मंत्री यहां बैठे हैं, उनसे भी कहूंगा कि आज वक्त ऐसा है राष्ट्र के लिये और प्रदेश के लिये कि विकास के लिये हम सबको कुछ न कुछ कुरबानी करनी पड़ेगी । हमारे तमाम सरकारी अफसरान को जितनी तनख्वाह मिलती है, एस्टेबलिस्मेंट पर जितना रुपया खर्च होता है, आज वक्त आ गया है कि ५ परसेंट सबकी तनख्वाह में रिडक्शन कर दिया जाय, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो । अगर देश का विकास करना है तो । शिक्षा में सबके बच्चे पढ़ेंगे, बिजली सबको चाहिये शिक्षा सबको चाहिये, अच्छी सड़कें सबको चाहिये, देश की उन्नति सबके लिये चाहिये तो हरएक को कुरबानी करनी पड़ेगी और हमें रुपया देना पड़ेगा । माननीय शम्भूनाथ जी ने कहा कि प्लानिंग कमीशन ने कहा कि तुम टैक्से नहीं लगाते हो इसलिये हम तुमको रुपया नहीं देंगे । उन्होंने बम्बई की मिसाल दी । इतना बड़ इंडस्ट्रियल प्रदेश वह है । उसकी कैपेसिटी टैक्सेशन लगाने की है और उसकी मिसाल प्लानिंग कमीशन के सामने रख कर चतुर्वेदी जी हमारा केस कमजोर कर रहे हैं । हमारी टैक्सेशन कैपेसिटी बम्बई के मुताबिक नहीं है । (एक आवाज) अगर टेक्सेशन कैपेसिटी पर ही रुपया सेन्ट: देने को तैयार है तो हमें वह रुपया नहीं चाहिये । हम भूखे रह जायेंगे थोड़े दिन के लिये, लेकिन यह कोई बेसिस नहीं है कि बम्बई में टैक्सेशन ज्यादा हो रहा है और हमारे यहां कम है तो उन्हें ज्यादा दिया जाय और हमें कम दिया जाय । हमारी आबादी ज्यादा है, हमारा एरिया ज्यादा है, हमारे यहां करोड़ ३२ लाख आदमी रहते हैं तो क्यों नहीं इस बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बांट सकती । बम्बई टैक्सेशन ज्यादा वसूल कर रहा है यह कोई बेसिस नहीं है माननीय शम्भूनाथ जी हमारे प्रदेश के साथ जुल्म कर रहे हैं बम्बई को उत्तर प्रदेश के साथ मिला दीजिये । वह ऐसा करते हैं तो हम भी वैसा ही करें क्या ? माननीय पणिक्कर की रिपोर्ट को तो उन्होंने बड़ी मुखालिफत की और यहां कहते हैं कि सेंट्रल प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि टैक्सेशन नहीं करोगे तो रुपया नहीं मिलेगा । माननीय शम्भूनाथ जी जो कह रहे हैं वह निरर्थक है । हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे यहां अनडेवलप्ड एरियाज हैं । बम्बई की तरह टैक्सेज हम लगायें यह कोई दलील नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं बहुत ज्यादा बहस करने की इस वक्त इस पर जरूरत नहीं है यह बहुत साफ और छोटी सी बात है । इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है । जब इधर से जाता हूं, जब कभी शाम को हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है बोर्ड की तरफ नजर चली जाती है "आबपाशी की दरों को कम करने पर विचार" । दो तीन साल से बराबर देखता हूं कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ । इसमें कोई पूर्व या पश्चिम की बात नहीं है । डेवलपमेंट करना है तो रुपया आयेगा । चीनी में १ आना मन बढ़ा दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, तो किसी को कोई एतराज न होगा । नौकर आज १३ आने सेर लाता है, कल १४ आना सेर ले आयेगा । कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सरकार को इस तरह से करोड़ों रुपये मिले जायेंगे । अगर हम कुछ कहें तो सरकार कह सकती है कि डेवलपमेंट के लिये रुपया कहां से आये । हम कहते हैं कि सड़क बनाइये । पं० गोविंद बल्लभ पंत जब थे और पहाड़ों पर सड़कें बनाने का प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि सड़क

तो बनेगी लेकिन जिस इलाके से होकर यह सड़क जायगी वहां सबसे लिखवा लो कि वे जमीन की कीमत नहीं लेंगे। एक सड़क हमारे यहां भी बनने वाली थी। मुझ से पंत जी ने लिखवा लिया। मैंने कहा कि हमारे यहां की जनता क्या कहेगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं लिख कर दो कि जो चौदह या बीस मील का टुकड़ा पड़ेगा उसका एक पैसा नहीं मागेंगे। मैंने वह लिख कर दे दिया कि हम लोग पैसा नहीं लेंगे क्योंकि हमें सड़क की आवश्यकता थी। और आज हमें नहरों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूं कि हमारे पास रुपया नहीं है, हमें पानी दीजिये और जो वाजिब टैक्स हो वह ले लीजिये, वाजिब टैक्स देंगे। यह नहीं कि हमारे पानी से सारे प्रदेश का डेवलपमेंट करना शुरू कर दें, हम तो उस पानी को लेकर मर जायेंगे। यह हमारी बुनियादी चीजें हैं। इसमें पश्चिमी और पूर्वी के प्रश्न को नहीं लाना चाहता। हम पर ज्यादा टैक्स लगेगा तो हम जरूर ऐतराज करेंगे। यह एक सिद्धांत की बात है। अगर आप ज्यादा न कर सकते हों तो कुछ तो करिये। जैसा कि आपने अभी बताया कि ट्यूबवेल पर कम हुआ। नहर पर क्या हाल है, बिजनौर में?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वहां एक नहर है जिसमें पानी नहीं आता और उसी में कोई टैक्स नहीं बढ़ा और जितने में पानी आता है और जितने कुयें पानी देते हैं सब में खूब टैक्स बढ़ा हुआ है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इसीलिये वह विरोध नहीं कर रहे हैं, वित्त मंत्री जी भी यहां बैठे हुये हैं। वह कहेंगे कि रुपया कहां से लायें। हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि हम तैयार हैं वह कोई टैक्सेशन प्रोपोजल लायें। उसमें पीछे हटने की बात नहीं है। अगर इस देश का डेवलपमेंट करना है तो बिना टैक्स के डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट आये। लेकिन साथ ही साथ जो रुपया ऐडमिनिस्ट्रेशन में खर्च होगा, उन स्कीमों को चलाने में, अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो उसका हम विरोध भी करेंगे और विरोध करने के लिये सारे उधर के लोगों को भी तैयार रहना चाहिये। अगर सब मिल कर काम करेंगे तो विकास भी होगा और सिंचाई की दर भी कम हो जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव भवन के सामने है उसके समर्थन में जिन साथियों ने अपने भाषण दिये उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना और मुझे खेद है कि कोई भी तर्क ऐसा नहीं दिया गया अब तक कि जिससे वह इस बात को साबित कर सकते कि वाकई आबपाशी की दरों में कमी होनी चाहिये। एक ही बात कही गयी जो प्रस्ताव में भी लिखी हुयी है वह यह कि चूंकि किसान के अनाज की कीमत कम होती जाती है इसलिये दरों में कमी होनी चाहिये। मेरा इस विषय में यह मत है कि आबपाशी की दरों को सरकार ने कभी भी कीमत के साथ नहीं जोड़ा। यदि जोड़ा होता तो १९४८ में जब कि गल्ले की कीमत पांच गुना हो गयी थी तो कोई वजह नहीं थी कि केवल पचास प्रतिशत ही आबपाशी बढ़ायी जाती। पांच गुना क्यों नहीं की गयी। लेकिन फिर यदि हम मान भी लें कि उससे कोई सम्बन्ध उसका जोड़ दिया जायगा या है तब भी मैं निवेदन करूंगा कि उस पर भी जो आज की दर है वह कुछ अधिक प्रतीत नहीं होती। जो आंकड़े माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने दिये हैं मैं उनके सम्पूर्ण आंकड़े न लेकर केवल दो ही आंकड़े लूंगा। उन्होंने कहा कि १९३९ में गेहूं का भाव चार रुपये मन था और आबपाशी की दर पांच रुपये प्रति एकड़ थी। १९५३ में उनके हिसाब से गेहूं का भाव नौ, दस रुपये हो गया और आबपाशी की दर १२ रुपये प्रति एकड़ है जो कि अब तीन आना रुपया घटाने के बाद दस रुपया रहती है। अगर चार रुपये मन की कीमत का पांच रुपये प्रति एकड़ का अनुपात लगायें तो सवाया होता है। उस हिसाब से आज की कीमत अगर दस रुपये मान ली जाय तब सिंचाई की दर साढ़े बारह रुपया आती है तो आज दस रुपया प्रति एकड़ की जो आबपाशी पड़ती है वह अधिक नहीं है। इसी तरह से उन्होंने चावल के आंकड़े दिये उसमें उन्होंने कहा कि १९३९ में चावल का भाव चार रुपये मन का था और आबपाशी

[श्री नवल किशोर]

छः रुपये प्रति एकड़ थी । और आज उनके हिसाब से चावल का भाव १४–१५ रुपये मन है और आबपाशी की दर तीन आना रुपया घटाकर ११ रु० ६ आने हो गयी है । तब यहां भी मैं समझता हूं कि कीमत के अनुपात से दर अधिक नहीं होती है । जैसा कि एक साथी श्री शिवकुमार शर्मा ने कहा कि जो इरिगेशन दरों के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठी थी उसके सामने जो एवीडेंस आये उसमें भी लोगों ने आम तौर से यही मांग की कि जो प्रोड्यूस हो उसका एक बटा दस से अधिक आबपाशी की दर नहीं होनी चाहिये । दूसरी जिन्सों की बात मैं नहीं कहता पर उससे भी यह बात साबित करना चाहता हूं कि आज भी जो दरें हैं वे भी पैदावार की एक बटे दस से ज्यादा नहीं बैठती । मिसाल के तौर पर गन्ने को लेता हूं । अगर हम ३६० मन फी एकड़ का औसत मान लें गन्ने का यद्यपि हमारे यहां ३६५ मन है तो एक बटे दस ३६ मन होता है और एक रुपया ५ आना मन में से खर्चा निकाल कर एक रुपया भी रख लें तब भी ३६ मन की कीमत ३६ रुपया होती है । तो उस हिसाब से भी जो आज की दर हैं वह २७ रुपया एकड़ है कटौती कटने के बाद तब यह भी ज्यादा नहीं है ।

जहां तक किसानों की स्थिति का सम्बन्ध है उसमें कोई दो ओपीनियन नहीं हो सकतीं कि हमारे किसान की हालत बहुत अच्छी नहीं है । आज सन् १९४८ की कीमतें नहीं हैं और जो टेन्डेन्सी है कीमत की वह नीचे को ही दिखायी देती है । लेकिन जैसा कि गेंदासिंह जी ने माना कि हमें निर्माण करना है, विकास करना है तथा और भी जो योजनायें हैं उनको आगे बढ़ाना है, चालू करना है और यह भी माना कि उसके वास्ते पैसे की आवश्यकता होगी और टैक्सेशन करना ही पड़ेगा । मैं नहीं जानता कि इरिगेशन रेट्स टैक्सेशन में आते हैं या नहीं । बहरहाल वह जो भी हों तब भी जैसा उन्होंने कहा टैक्सेशन करना ही पड़ेगा और माननीय उपाध्याय जी ने भी समर्थन किया । उनका सिर्फ इतना कहना था कि हमको उचित किस्म का टैक्सेशन करना चाहिये । क्या उचित है मैं नहीं जानता । इतनी बात जरूर जानता हूं कि जब कभी भी कोई टैक्सेशन की बात आती है हाउस के अन्दर तो विरोधी दल की ओर से उसका अपोजीशन ही होता है कभी उनकी तरफ से समर्थन प्राप्त नहीं होता । आज हमको सोचना है इस बात को कि जब हमारे देश का निर्माण होता है और सामूहिक योजनायें चल रही हैं तो जब तक कि देश का हर व्यक्ति उसमें अपना सहयोग नहीं देगा हमारी योजनायें पूरी नहीं हो सकती । हमारे देश के अन्दर आज भी ७२ परसेंट से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं और यदि उन ७२ परसेंट आदमियों के ऊपर किसी किस्म का कोई भार न डालें और बिना भार डाले ही योजनाओं को हम चला सकें तो हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन मैं समझता हूं यह सम्भव नहीं है । श्री तेजप्रताप सिंह ने बताया कि हमारे देश के अन्दर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास शक्ति है, सत्ता है, धन है । कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं। ठीक है यह उचित बात है लेकिन उनको साथ साथ यह भी कहना चाहिये था कि वे कौन सा स्पेसिफिक किस्म का टैक्सेशन चाहते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर चालू किया जाय जिनको वे सत्ताधारी समझते हैं । कुछ ने कहा कि इन्टरटेन्मेंट टैक्स बढ़ा दीजिये । मुझको कोई आपत्ति नहीं है बढ़ा दीजिये मगर उससे कितना पैसा आपके पास आने वाला है । एक साहब ने कहा चीनी पर एक आना बढ़ा दीजिये हालांकि उनको यह भी समझना चाहिये कि इसका भार कन्ज्यूमर पर ही जायगा । उनका ख्याल हो कि पूंजीपति पर जायगा तो वह उस पर जाने वाला नहीं है । फिर यह भी हमको देखना है कि मध्यम श्रेणी के लोगों में भी ऐकोनामिक डिप्रेशन चल रहा है । पूंजीपतियों के पास भी विशेष पूंजी जमा नहीं हो रही है तो इन बातों को ध्यान में रख कर हमको यह देखना है कि अगर इन योजनाओं को आगे बढ़ाना है तो हमको कौन सा मुनासिब कदम उठाना चाहिये ।

माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने जो टैक्सेशन की बात कही यह नहीं कहनी चाहिये थी । यह तो आंकड़े की बात है । जो हमारा नेशनल प्लानिंग कमीशन उसने सिर्फ इतनी बात कही हमारी सरकार से कि आपकी जो इन्कम पर कैपिटा है वह वही जो बम्बई की है । मगर आपका टैक्सेशन पर कैपिटा कम है और चूंकि हम कन्ट्रीब्यूटरी बेसिस

पर ही सबको पैसा देते हैं लिहाजा जो आपने ४ सौ करोड़ मांगा है तो आपको उसी अनुपात से अपने साधन जुटाने चाहिये, वह नहीं जुटाये गये हैं। अगर माननीय उपाध्याय जी की बात मान ली जाय कि हमको भूखा रहना मंजूर है मगर इस शर्त पर पैसा लेना मंजूर नहीं है तो वह दूसरी बात है, मगर मैं उसको नहीं मानता हूं। हमको पैसा लेना है। मैं भी मानता हूं कि जो आरगूमेन्ट् बम्बई का दिया गया है वह हमारे प्रान्त पर नहीं बैठता चूंकि बाम्बे इंडस्ट्रियल स्टेट है और हमारी स्टेट ज्यादातर ऐग्रीकल्चरल है, इसलिये हमारा टैक्सेशन कम रहेगा ही। लेकिन अगर आपको विकास करना है तो या तो आप केन्द्र से यह कहें कि ठीक है आप हमें जो दो सौ करोड़ रुपये देंगे उतने से ही हम संतुष्ट हो जायेंगे, क्योंकि हम अपने यहां टैक्सों को बढ़ाना नहीं चाहते हैं या फिर उनकी जो बेसिस है उसके अनुसार आपको भी अपने साधनों को बढ़ाना होगा, और हर सम्भव मद पर टैक्स लगाना होगा। तो मैं समझता हूं आप इससे हट नहीं सकते हैं। माननीय चतुर्वेदी जी ने जो बात कही वह एक उचित बात कही कि टैक्सेशन के हिसाब से भी हम यदि यह कहें कि हम सेचुरेटिंग प्वाइंट पर पहुंच गये हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इसके साथ-साथ मुझको यह जरूर कहना है कि किसान को जो शिकायत है वह इस बात की नहीं है कि आपने उसकी आबपाशी की दरों को बढ़ा दिया है बल्कि किसान को तो शिकायत इस बात की है कि उसको उचित मात्रा में तथा समय पर पानी नहीं मिलता। इस समय तो मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आप टैक्सेशन कम न कीजिये। जहां त्याग की बात है वहां किसान किसी से पीछे नहीं है लेकिन उसकी जो मांग है वह यह है कि उसको समय पर पानी मिलना चाहिये और उचित मात्रा में पानी मिलना चाहिये। यह बिलकुल सही है कि आबपाशी के कुओं का डिस्चार्ज कम हो गया है, उनकी कमांडिंग एरिया ज्यादा है और नहरों के सम्बन्ध में भी यह शिकायत आती है कि वक्त पर पानी नहीं मिलता है। इस तरफ सरकार को तो ध्यान अवश्य देना चाहिये। यही नहीं इसके अलावा कुछ चीज जो कि बार बार आपके सामने आती है कि अलावा इस आबपाशी की दर के कुछ और भी इस तरह के टैक्स हैं जो जायज हों या नाजायज हों, किसान के ऊपर पड़ ही जाते हैं। छिपी हुयी बात नहीं है कि आपरेटर का भी एक पैदाइशी हक हमारे महकमे के अन्दर हो गया है। मैं चाहता हूं कि इधर भी ध्यान दिया जाय और इसको बन्द किया जाय। दरों को आप कम न कीजिये लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात सरकार से और कहना चाहता हूं वह यह कि हमारी योजनाओं में सभी का हाथ होना चाहिये और इसका भार सब पर पड़ना चाहिये और हम यह महसूस करते हैं कि सभी को इसमें भाग लेना चाहिये। इस हाउस के अन्दर कई बार यह बात आयी कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन का ढांचा है, इसका बोझा बहुत बढ़ गया है, इसीलिये यह भी मांग की गयी कि हमको अपने यहां जो ऊंची-ऊंची खास कर पांच सौ, रुपये से अधिक तनख्वाहें पाने वाले अफसर उनकी तनख्वाहें कम करनी चाहिये। बार-बार हमसे कहा जाता है कि उस कमी के करने से कितना पैसा बच जायगा। मैं मानता हूं कि पैसा कम बचेगा मगर इससे हमारे प्रदेश में एक मनोवैज्ञानिक भावना पैदा होगी और किसान भी यह महसूस करेगा कि इन योजनाओं के लिये सभी लोग और हमारे बड़े-बड़े कर्मचारी भी कुछ त्याग करने के लिये तैयार हैं।

गेंदा सिंह जी ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि निर्माण हो, मगर पैसे के खर्च करने के ढंग को हम बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति की बात नहीं है अगर वह कोई अच्छा ढंग बतला सकें। यह मैं जरूर महसूस करता हूं कि चाहे हमारे अनुभव की कमी के कारण हो या और चाहे जो कारण हो, बहुत से कामों में पैसे का अपव्यय होता है। मैं जानता हूं कि नियोजन के नाम पर, विकास के नाम पर हमारी सरकार अपने पैसे को, धन को पानी की तरह बहा रही है और कई स्थानों पर उसका अपव्यय हो सकता है और होता है। बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं उसमें भी अपव्यय हो सकता है। यह भी बात अपनी जगह ठीक है कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। यह बताया गया है कि सरकार की तरफ से एक इकोनामी कमेटी भी बैठायी गयी है और उसका काम यह है कि वह सरकार को बताये कि किन-किन मदों में किस तरह से सरकार पैसे को बचा सकती है। शायद दो साल उस कमेटी को हो गये, मैं नहीं जानता कि उस कमेटी की कितनी मीटिंग्स हुयीं और उसने अपनी कोई सिफारिश

[श्री नवल किशोर]

सरकार के सामने पेश की थी या नहीं की। एक जगह मैंने यह पढ़ा था प्रजातंत्र के सम्बन्ध में कि यदि किसी समय जनता का ध्यान बटाना या किसी प्रश्न विशेष से हटाना हो, तो एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय, क्योंकि उस बहाने से काफी समय मिल जाता है और उस बीच जनता उस बात को भूल जाती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अभी तो एक साल ही हुआ है।

श्री नवल किशोर--दो साल हो गये हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जहां हम इस बात का समर्थन करते हैं कि आपकी सिंचाई की दरें ऐसी नहीं हैं कि आप उनको इस समय कम करें, हम इस बात पर भी जोर देना चाहते हैं कि आपको चारों तरफ से इकोनामी करनी चाहिये और जो हमारी कमेटी बनी है, जिसके हमारे उपाध्याय जी भी मेम्बर हैं, जैसा कि उनकी बात से मालूम होता है, उसको थोड़ा सा इस तरफ भी जागरुक होना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--इसीलिये एक साल बता रहा हूं।

श्री नवल किशोर--इसके लिये धन्यवाद आपको भी इस प्वाइंट पर जागरुक होना चाहिये।

अन्त में केवल इतना कहना है कि यह जो बार-बार प्रश्न आता है घुमा फिरा कर और जो बार-बार किसान की दर्दनाक तस्वीर हमारे सामने खींची जाती है, सो हम सभी लोग उसकी स्थिति से अनभिज्ञ नहीं हैं। मगर हम यह भी जानते हैं कि जिन किसानों को सिंचाई के साधन प्राप्त नहीं हैं उनकी स्थिति और भी बुरी है और मैं तो इन दरों को एक दूसरी दृष्टिसे देखता हूं। कीमतों के हिसाब से मैं यह नहीं कहता कि यह उचित ही है, लेकिन इस युग में जब कि हम निर्माण कर रहे हैं, एक त्याग की भावना की बात है और मैं समझता हूं कि यह जो टैक्स है, अगर इस रूप से आता है कि इस बड़े यज्ञ में थोड़ी सी आहुति किसान की भी है और वह अपने लिये कष्टों और मुसीबतों को उठा कर भी इस देश को सम्पन्न बनाना चाहता है ताकि आगे आने वाले उसके बच्चे और नस्लें सुख और समृद्धि में अपना जीवन काट सकें, तो मैं समझता हूं कि हमें उसके इस त्याग की सराहना करनी चाहिये।

*[**वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**--उपाध्यक्ष महोदय, यह पानी की कीमत जो इस स्टेट म, राज्य में ली जाती है उस पर जो यह प्रस्ताव इस ऐवान के सामने है उसमें मैंने कुछ बातें ऐसी सुनीं कि जिनकी वजह से मैंने चाहा कि मैं कुछ अर्ज करूं, पहले तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझको इस बात से पूरी हमदर्दी है और मुझी को नहीं बल्कि आपके इस राज्य की गवर्नमेन्ट को है कि खेती करने वालों के लिये जितनी भी आसानी बहम पहुंचाई जा सकती हो वह सब पहुंचाई जाय। उसी के साथ यह भी कि जितना भी कम उनसे लिया जा सकता हो उतना उनसे लिया जाय और मैं अभी अर्ज करूंगा कि इस पर इस राज्य सरकार का अमल दरामद रहा है।

यह इरिगेशन रेट्स जो बढ़ाये जाने से पहले यहां थे वह उस जमाने के थे जब गेहूं एक रुपये के १३-१४ सेर थे। सन् ४९ के आखिर या सन् ५० में जो कीमतें थीं वह उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा थीं। मैंने अभी सुना यहां तकरीर में कि डेवलपमेन्ट लेवी लगाने की जो तजवीज थी उसके बजाय इरिगेशन रेट्स बढ़ा दिये गये थे यह बात नहीं है। गवर्नमेंट ने इरिगेशन रेट्स की निस्बत यह समझ करके उस वक्त जब का मैंने जिक्र किया जो कीमतें थीं और वह कीमतें उस जमाने के मुकाबिले में जब कि वह इरिगेशन रेट लागू थे जो इस वक्त जारी थे उसको देखकर के यह तजवीज किया था कि इरिगेशन रेट्स के ऊपर एक कमेटी बैठायी जाय इस सदन में। चुनांचे वह कमेटी इस सदन की बैठी जिसमें हर एक दल के मेम्बर थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उनके सामने कोई बहस नहीं उठी कि आया इर्रीगेशन रेट्स बढ़ने भी चाहिये या नहीं इसलिये कि हर एक को यह मंजूर था, इससे किसी को इन्कार नहीं था कि इर्रीगेशन रेट्स बढ़ने चाहिये; लेकिन कितने बढ़ने चाहिये इसका सवाल हुआ और उस कमेटी की मुत्तफिका राय से यह तय हुआ कि इरीगेशन रेट्स अगर्चे १०० फीसदी से भी कुछ ज्यादा बढ़ाये जा सकते हैं, लेकिन १०० फीसदी का इजाफ़ा कर दिया जाय और उस कमेटी ने उसी वक्त यह भी अख्तियार दिया कि इसमें से ६० फीसदी इसी वक्त गवर्नमेन्ट बढ़ा सकती है कब्ल इसके कि इस कमेटी की कार्यवाही खत्म हो । चुनान्चे यह तजवीज इस स्टेट की कैबिनेट के सामने गयी और कैबिनेट ने बजाय ६० फी सदी बढ़ाने की ५० फीसदी बढ़ाया । फिर उसके बाद जब नयी गवर्नमेन्ट एलेक्शन के बाद आयी उस वक्त फिर और ५० फीसदी का इजाफा किया गया । तो यह जो ५० फीसदी एक दफा और ५० फीसदी दूसरी दफा इजाफा हुआ । आज मैं समझता हूं कि सवाल हमारे सामने यह है कि इस कुल को खत्म किया जाय क्योंकि उसमें से ५० फीसदी तो खत्म हो ही चुका है और जो ५० फी सदी बाकी है उसकी निस्बत चाहा यह जाता है कि उसको खत्म कर दिया जाय । क्या उसूल है, उसको मैं अभी अर्ज करूंगा लेकिन एक बात और थोड़ी सी कहना चाहता हूं । जो मुझको मालूम होता है वह यह कि कुछ गलतफहमी हो गयी है और वह यह कि इर्रीगेशन रेट्स टैक्स है । मेरा कहना यह है कि इसको टैक्स का नाम रखना ही गलत है । इरीगेशन रेट एक कीमत है एक चीज की जो एक बेचने वाला खरीदने वाले को देता है । उसका टैक्स में नाम होना बिल्कुल गलत है । अब एक चीज की कीमत क्या हो यह हमेशा एकोनामिक फैक्टर से गवर्न होता है । जो एकोनामिक फैक्टर्स किसी वक्त में प्रिवेल करते हैं उन्हीं की बिना पर एक कीमत मुकर्रर होती है । जितनी कमेटियां इस राज्य में कभी-कभी बैठी हैं इर्रीगेशन रेट्स की बाबत, उन्होंने हमेशा एक उसूल को दोहराया है कि इर्रीगेशन रेट अनाज की १/१० कीमत तक लगाया जा सकता है । अब हम किसी वक्त के रेट्स को देखें । हमारे बढ़ाने से पहले जो रेट्स थे वे भी इतने नहीं थे और जो हमने बढ़ाये उनमें से भी बहुत से उस वक्त तक इतने नहीं थे जितने कि उस हिसाब से हो सकते । दूसरी बात यह कि जितने में कोई चीज बिकती है उसका लिहाज उसमें किया जायगा, तीसरी बात एक और है देखने की जिसकी चर्चा खासतौर पर इस एवान में नहीं सुनी और वह यह है कि काश्तकार जो पैदावार करते हैं वे तीन तरह की होती हैं । एक तो वे जिनको आबपाशी बिल्कुल नहीं नसीब होती, दूसरे वे जो अपने निजी जरिये से आबपाशी करते हैं और तीसरे वे हैं कि जो सरकारी जरिये से पानी पाते हैं । अब तीनों के केस को अलग-अलग देखिये । एक शख्स जो अपने प्राइवेट जरिये से पानी पाता है उसका जो खर्चा फी बीघा आता हो एक तो वह डिटरमिन करेगा कि इस पानी की कीमत क्या रक्खी जाय और एक वह शख्स कि जो आबपाशी बिल्कुल नहीं पाता है और खर्चे उसके सब उतने ही हैं जितने दूसरों के अलावा आबपाशी के उसको भी सब खर्चा करना पड़ता है लेकिन उसकी पैदावार फी बीघा बहुत कम होती है । तो उसको ज्यादा कीमत लगाकर वह कीमत मिलती है बाजार में जो कीमत आबपाशी लेने वाला पाता है तो वह एक तरीके से उसके मुकाबले में डिसएडवांटेज में रहता है, उसका हमें लिहाज करना है कि जब हम इर्रीगेशन रेट्स मुकर्रर करें तो ज्यादा असर इन दोनों क्लासेज के किसानों पर न पड़े और वह लिहाज करके रेट्स बढ़ाये गये । पहले जो रेट्स थे तो वह उस जमाने के थे जब कि गेहूं १२–१३ सेर का बिकता था और आज अगर वह इसी भाव बिके तो इस बात का जस्टीफिकेशन मौजूद है कि इर्रीगेशन रेट्स को खत्म किया जाय । लेकिन आज वह भाव नहीं बिकता है, चाहे पिछले साल से ज्यादा सस्ता हो गया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कम किया जाय । लेकिन एक बात कही जा सकती है, किसी ने कही नहीं है, लेकिन मैं ही कहता हूं और उसका जवाब भी दे दूंगा । वह बात यह कि गेहूं तो १२।१३ सेर बिकता था लेकिन जो चीजें काश्तकार इस्तेमाल करता है वह चीजें उस जमाने से बहुत ज्यादा तेज हैं और काश्तकार को ज्यादा

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

खर्च करना पड़ता है तो इसको भी हमने इक्वैलाइज कर दिया है जो ५० प्रतिशत बढ़ा हुआ था उसको गवर्नमेन्ट ने काट कर इस नुकसान को पूरा कर दिया है। अब जस्टीफिकेशन बाकी नहीं रह जाता है कि इर्रीगेशन रेट्स घटायें जायं।

इसमें सवाल निर्माण वगैरा का मेरे नजदीक नहीं आता है। कुछ भाइयों ने कहा कि रुपया चाहिये। लेकिन अगर नहीं भी चाहिये तब भी इर्रीगेशन रेटस तो लिये ही जायंगे। एक साहब ने यह दलील दी कि मिल वालों के ऊपर टैक्स लगा दो। मैं उनके ऊपर टैक्स लगा देता अगर दुनिया की किसी किताब में, फायनेन्स में किसी जूरिसप्रूडेंस में लिखा हो कि इब्राहीम अपनी जरूरत पूरी करने के लिये मेरे दोस्त उपाध्याय जी का लूट लो, तो मैं करने के लिये तैयार हूं। पानी किसी खास वर्ग के इस्तेमाल की चीज है उसको बिना पर क्या माने हैं कि मैं उसको मौकूफ करने के लिये दूसरी तरफ उंगली उठाऊं। मैं इसका जबाब कई दफा दे चुका हूं। बजट के सिलसिले में मैंने दावत दी है कि एक दफा बैठ जाइये और जिस तरह से जितना रुपया वसूल कर सकते हैं उतना रुपया निकाल कर बतला दें कि तुम्हारी स्टेट की जरूरत को हम तस्लीम करते हैं और देखो इस तरह से कर दो मैं उसके लिये तैयार हूं। हमें इस किस्से को यहां नहीं उठाना है। जिनको पानी देना है उनसे लेना है। कितना लेना चाहिये इसके लिये इकोनोमिक उसूल है उसकी बिना पर हमेशा डिटरमिन करेंगे और इस तरह से कायम करके लेंगे। चुनांचे यह उसी तरह से लिया जाता है।

मैं आप से अर्ज करूं कि आज काश्तकार का लगान क्या है? तब का लगान है जो वह तमाम जमाने से देता आ रहा है जब कि १९३१-३२ में जमींदार वसूल करते थे हमने उसको टच नहीं किया है। यह पहले जमाने की रेंट है जो आज लैन्ड रेवेन्यू में तब्दील हो गया है। उस जमाने को देखिये, एक स्लम्प का जमाना था। पिछली जंग खत्म होने के बाद काश्तकारों के ऊपर एक विपदा आई थी और लगान घटाया गया था और वही आज तक चला आ रहा है और इसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया है अगर गवर्नमेन्ट पैसे का लालच करती तो लगान को बढ़ा देती और उसके लिये जस्टीफिकेशन भी मौजूद था, लेकिन यह नहीं किया गया। इस तरीके से इर्रीगेशन रेट भी देखकर बढ़ाया गया है और वह ऐसी चीज है कि अगर कल उसका जस्टिफिकेशन मौजूद है कि हां, इसको और कम होना चाहिये या बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिये तो गवर्नमेन्ट, मैं आप से अर्ज करता हूं यह कर देगी, आप कोई तकाजा करेंगे तो और न करेंगे तो, गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से ही इस काम को कर देगी और रेट्स घटा देगी। इसमें कोई देखभाल की, सूचना की या मश्विरे की खास जरूरत नहीं है। तो मैं जनाब के जरिये से मेम्बरान से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले को इस हैसियत से न देखें कि जिस हैसियत से यह देखा जा रहा है और जैसी कि चन्द तकरीरें इस हाउस में हुई उनमें देखा गया। इस लिये कि उनसे गलत नतीजे पैदा होते हैं। मैं उनको बयान नहीं करना चाहता। उसके बाद दूसरी बात वह यह कहते हैं कि फंला से ले लीजिये, फलां से ले लीजिये। मैं बिजली बेचता हूं, बिजली वाला हूं। बिजली की कीमत लेता हूं लेकिन टैक्स नहीं लेता। वह कीमत रेवेन्यू की शक्ल में सरकार के खजाने में जमा होती है और सरकारी रेवेन्यू कहलाता है। इसी तरह से सिंचाई का रुपया किसान से आता है। तो उसमें अगर आप यह कहें कि इसमें जरा सा काट दीजिये, यह तो थोड़ा सा मामला, इस में क्या असर पड़ सकता है तो हो सकता कि कुछ हिस्से में कोई खास असर न पड़े, लेकिन उसका असर इतना बड़ा जरूर पड़ता है कि मुमकिन है कि उसे आप पूरा न कर सकें इसलिये कि सरकार की आमदनी कम हो जायगी और खर्च उतना ही रहेगा। तो मेरे नजदीक

इस बात को इस नजरिये से देखिये । आप इसको इंसाफ के नजरिये से देखिये । इस हाउस को अख्तियार है कि वह जो चाहे फैसला करे लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी समझ कर इस अख्तियार को काम में लाना चाहिये। जो मुनासिब समझे करे और जो मुनासिब न समझे उसका अपोजीशन करे। तो जिन दोस्तों ने इस प्रस्ताव की मुखालिफत की है उन्होंने मेरे नजदीक बहुत अच्छा किया ।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जिस प्रकार सरकार की नीयत की सफाई दी, मैं समझता हूं कि वह आवश्यक न था । न प्रस्ताव में और न किसी और सदस्य का यह विचार है कि जो इर्रीगेशन रेट्स लिये जा रहे हैं वह कतई न लिये जायं या वह किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं हैं। यह तो सब मानते हैं और यह मानना उचित है कि यदि सरकार जनता को कोई सुविधा दे और यदि उस सुविधा देने के लिये सरकार कुछ पैसा खर्च करती है तो आखिर वह पैसा किसी न किसी रूप में और शनैः शनैः उसके पास वापस आना चाहिये । इसीलिये सरकार ने जो सिंचाई की सुविधा काश्तकारों को दी है और जिसके संबंध में करोड़ों रुपये का खर्च होता है तो जो रुपया खर्च किया जाता है उसे वसूल करने के लिये सरकार की तरफ से कदम उठाना और वसूल करना एक आवश्यक कार्य है । किन्तु जो मंत्री महोदय ने कहा कि वह काश्तकार को पानी बेचते हैं और पानी बेचने के लिहाज से वह इरिगेशन रेट्स लेवी करते हैं, मैं समझता हूं कि यह संभवतः एक गलत विचार उन्होंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है । जिन कारणों से इरीगेशन रेट लेवी किये जाते हैं, जिन सिद्धान्तों के अनुसार यह कर लिया जाता है वह तो मैं समझता हूं कि १९२४–२५ में ही जो इंडियन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उसने ही तय कर दिये थे और उनका पूर्णतया निर्णय कर दिया था । उसमें कहा गया है कि:

"the result of the action of the Government in guranteeing the supply of water is to give a large unearned increment to the owner of the land, whether he is a cultivator or a rent receiver, and it is a generally accepted theory of taxation that there is no source of income from which a considerable share may be taken for the purposes of the State so appropriately as from anunearned incrnement or wind fall of this kind, especilly when it arises from the action of the State".

इससे यह स्पष्ट होता है, अध्यक्ष महोदय, कि पानी के लिये कोई दाम नहीं लिया जा रहा है और न लिया जाना चाहिये किन्तु जो यह पानी देने के बाद काश्तकार की आमदनी में वृद्धि होती है उसमें से एक अंग, उस कार्य के लिये सरकार का जो खर्च हुआ है, वह लेती है । अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से यदि यह प्रश्न देखा जाय तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की तरफ से काश्तकार को पानी देना चाहिये । पानी काम में लाने के बाद उससे जो लाभ होता है उसमें से उसे (सरकार को) कुछ लेना चाहिये । यदि पानी देने में वह रेगुलैरिटी नहीं है जो कि काश्तकार उम्मीद करता है और जिस पर ही उसकी उपज बढ़ सकती है या और किसी वजह से काश्तकार की आमदनी में फर्क पड़ता है तो मैं समझता हूं कि सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि आया रेट ऐसे हैं कि जो घटाये जायं । हमारे वित्त मंत्री महोदय ने विस्तार से हमको बताया कि सन् ५० में एक कमेटी बैठी थी उसने जो निर्णय किया उसी के अनुसार टैक्स बढ़ाया गया, फिर १९५३ के बाद यह टैक्स कुछ घटाया गया। अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प हमारे सामने है वह यह नहीं कहता कि टैक्स कतई हटा दिया जाय । वह सरकार का ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित करता है कि जो इर्रीगेशन रेट्स में वृद्धि हुई है और जिन कारणों से वह वृद्धि की गई थी वह कारण आज नहीं पाये जाते हैं । इतना ही नहीं किन्तु प्रस्ताव यह भी कहता है कि जिन कारणों से यह वृद्धि की गई थी और जिन रेट्स के साथ तुलना की गयी आज मंडियों में अनाज के भाव १९५० के

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

भाव से भी कम उतर गये हैं । इसलिये इस संकल्प की इच्छा यह है कि जो १९५० के इर्रीगेशन रेट्स थे वही रखे जायं। यह एक पूर्णतः फैक्चुअल रेजोलूशन है। यदि इसमें कोई बात गलत साबित होती है तो मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना चाहिये, किन्तु यदि बातें सही निकलती हैं, कि वास्तव में भाव गिरते जा रहे हैं यदि यह बात सही निकलती है कि भाव १९५० के भाव से भी नीचे गिर गये हैं तो इन कारणों को समझते हुये इसको स्वीकार किया जाना चाहिये । इससे यह भी एक लाजिकल कंक्लुजन निकलता है कि जिन कारणों से यह वृद्धि की गयी थी उन कारणों का आज न पाया जाना संकेत करता है कि सन् १९५० की दर के बराबर इर्रीगेशन रेट आज फिर कर दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा जो हालांकि कुछ हद तक एक हाइपोथिटिकल प्रश्न है फिर भी इस प्रश्न के साथ उसका सम्बन्ध है। मैं यह पूछता हूं कि फर्ज कीजिये १९५० और आज इस पीरियड के बीच में यदि अनाज के भाव में वृद्धि नहीं हुई होती और यदि इस वृद्धि के न होने के कारण इस इर्रीगेशन रेट में वृद्धि न की जाती तो क्या सरकार आज किसी कारण भी १९५० के रेट की तुलना करके आज इर्रीगेशन रेट बढ़ाने को तैयार होती । मैं समझता हूं यह अनुचित है और गलत तर्क है क्योंकि १९५० और आज के बीच किन्हीं कारणों से और उस समय उचित कारण रहे होंगे जिससे इर्रीगेशन रेट में वृद्धि की गयी और उस समय वृद्धि करते हुये किसी को ऐतराज नहीं हुआ। इसलिये आज यह कहा जाय कि १९५० के भावों से तुलना करने पर जो एक नई बात यह पाई जाती है कि गल्ले के भाव गिरे हुये हैं उसके बावजूद भी इर्रीगेशन रेट १९५० की दर से ऊपर रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इसमें मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का यह संकल्प है उसको चार भागों में विभाजित करके उससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि इसमें जिन वाकयात का वर्णन किया गया है यदि उन को स्वीकार किया जाता है और वे सही पाये जाते हों तो मैं यह समझता हूं कि सरकार को इन इर्रीगेशन रेट्स को १९५० के रेट के बराबर ले आना चाहिये। जहां तक टैक्सेशन के जनरल सिद्धान्त का प्रश्न उठाया गया उसके लिये मैं वित्त मंत्री महोदय से पूर्णतया सहमत हूं । यह कहना कि इर्रीगेशन रेट्स को लैवी करके कुछ और कार्य को और सरकार के जो और विकास के विभिन्न कार्य हैं उनको पूर्ण करने की चेष्टा की जा रही है, मैं समझता हूं कि मौजूदा दरों से भी यह सम्भव नहीं है । जिस प्रकार की दर यहां पर है यदि उन दरों को रखा जाय फिर भी सरकार को उतने पैसे किसी सूरत में वसूल नहीं होते। यह मानी हुई बात है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। मैं तो यह समझता हूं कि इसके लिये वही मिसाल है कि Killing the goose that lays golden eggs मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस मिसाल को जो गलत है न अपनायें। जब सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में विचार करे तो चाहे वह पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में हो चाहे और किसी सिलसिले में उसको थोड़े समय के लिये भी यह न समझना चाहिये कि इस किसान रूपी सोने की चिड़िया को मारा जाय और जो वह पांच साल में देने वाली हो वह उससे पहले ही साल में वसूल कर लिया जाय । शनैः शनैः जब उसको पानी से लाभ होने लगेगा तब यह दर भी बढ़ाई जा सकती है। परन्तु हमेशा के लिये सरकार को यह सिद्धान्त समझ लेना चाहिये कि इर्रीगेशन रेटस और बाजार के भावों का निकट संबंध है। अगर पैदावार अधिक होती है तो इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये जा सकते हैं।

लेकिन जैसा कि कहा जाता है और जैसा कि पाया जाता है कि भाव १९५० के भावों से कहीं कम हैं तो यह मांग करना कि १९५० के रेट्स रख दिये जायं यह अनुचित मालूम नहीं पड़ता इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद में मैं मुख्यतः उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते भाग ले रहा हूं जिसे इस बढ़े हुए कर को देना पड़ रहा है। विवाद में बहुत सी बातें आयीं और मुख्य रूप से यदि उनका विश्लेषण किया जाय तो मोटे तौर पर यह कहा गया कि आबपाशी की दर ऊंची हैं कम की जानी चाहिये। विकास की इस देश को आवश्यकता है, विकास किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्याय जी ने जो कुछ तथ्य इस सदन के सामने रक्खे वह केवल यह थे कि इस देश के किसान गरीब हैं और इसलिये उनसे यह कर न लिया जाना चाहिये कुछ, नये कर और कुछ बचत का भी जिक्र हुआ और यह कहा गया कि नये कर लगाये जा सकते हैं एक आना रुपया चीनी पर बढ़ाया जा सकता है, यह भी कहा गया कि मुलाजिमों की तनख्वाहें कुछ कम कीजिये। लोगों से कहिये कि वे अपनी तनख्वाहों को ५ प्रतिशत कम कर दें।

मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक सदन के सामने यह रखूंगा कि शायद सारे ही तथ्य और तर्क एक दूसरे से भिन्न थे। गरीबी है और उसको समाप्त करना चाहिये यह निश्चित है, वह विकास द्वारा समाप्त की जा सकती है यह भी निश्चित है और यह भी जरूरी है कि कृषि प्रधान देश में कृषि योग्य भूमि का बढ़ाना और जल का देना भी आवश्यक है। तो क्या किया जाना चाहिये? यह तथ्य है कि गरीबी है और उसको समाप्त करना है तो एक कृषि प्रधान देश में उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाय? यदि कृषक की आय न बढ़े, यदि उसकी पैदावार न बढ़े तो गरीबी किस प्रकार समाप्त होगी। गरीबी है इसलिये टैक्स न लिया जाय या कम किया जाय, मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि यह तर्क गलत है और इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। आज हम यदि इस गरीबी को, इस दीनता को और इस दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हैं तो पहली आवश्यकता उसकी निश्चित रूप से यह है कि उसकी भूमि को जल मिलना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक तथ्य यह और भी है कि आबपाशी कर केवल जल के साधनों के विकास के कार्य में ही लगाया जाता है और दूसरे कामों में नहीं। तो आज मैं उपाध्याय जी के तथ्यों को लेकर ही कहूंगा कि यदि गरीबी समाप्त करना है तो कृषक की खेती को पानी देना है, और यदि पानी देना है तो उसके लिये धन पाना है और यदि धन पाना ठीक है तो उसके लिये किसान के पास जाना है जिससे वह धन दे सके। एक यह तर्क दिया गया कि कुछ एकनामीज की जायं और यह तर्क भी कि वेतनों से कुछ कटौती की जाय मैं विचार करता हूं की यह तर्क भी गलत नहीं है। आज यदि कुछ बचत की जाय तो उससे इस सदन का प्रत्येक सदस्य प्रसन्न होगा यदि वाकई वह ज्यादा हैं वह कुछ ज्यादा हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा समझा जाता है, लेकिन यदि यह विचार लें कि सन् ३० में कराची में प्रस्ताव हुआ था कि वेतन किसी का ५०० से अधिक न रखा जाय और इसका मेरे मित्र श्री नवल किशोर जी ने जिक्र भी किया था और कहा था कि ५०० से अधिक अगर हैं तो वह कम किए जायं। उन्होंने कहा कि बार बार इस सम्बन्ध में यहां उत्तर दिया जाता है। यदि ५०० रुपये से कम की बात करेंगे तो उस से काम न चलेगा और लाभ न होगा क्योंकि उस से बहुत कम धन बचेगा। मैं इसे स्वीकार करूं न करूं यह या सदन इस को स्वीकार करे या न करे यह दूसरी बात है लेकिन इतना तो स्वीकार करना चाहिए कि सन् ३० के ५०० रुपये जो कि कराची कांग्रेस में स्वीकार हुए थे उन ५०० रुपये का आज क्या मूल्य ठहर सकता है। इस बात को अगर सदन स्वीकार करे और विचारे और उस हिसाब के बाद वेतनों में कमी करने की बात सदन विचारे तो इस तरह से धन बचाना अनुचित न होगा। यह भी कहा गया कि इस तरह से बचत के

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

साथ नए-नए टैक्स भी लगाए जायं और उनका श्री मदन मोहन जी ने भी जिक्र किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह देश जिसमें ७२ प्रतिशत व्यक्ति मोटे तौर पर कृषक का कार्य करते हैं तो किस प्रकार से कौन सा टैक्स ऐसा लगाया जाय चीनी पर या किसी चीज पर जिका प्रभाव अन्ततोगत्वा कृषक पर न पड़ता हो। अगर विकास के साथ साथ सह दरिद्रता को दूर करते हैं और किसान वर्ग से भी कुछ सहायता मिलती है तो वम अनुचित नहीं है। मैं आज कुछ संकोच के साथ सदन के सामने एक चीज रखना चाहता हूं और शायद मेरे मित्र उसको स्वीकार भी करेंगे। मैं नहीं जानता कि हमारे मित्रों को किसानों की चिन्ता है उनको उनकी पानी की दर की चिन्ता है लेकिन शायद उनको केवल इतनी ही चिन्ता नहीं है बल्कि उनकी चिन्ता कुछ और भी आगे है और उनको चिन्ता यह भी है कि जनता की समझ में यह आना चाहिए कि वह कृषकों का बहुत भला करने वाले हैं और उनके हित में बहुत सुन्दर विचार रखने वाले हैं। इतना ही नहीं यह भी लोग समझने लगें कि यह जो कांग्रेस वालों का दल बैठा है उसको कृषकों की चिन्ता नहीं है और वह उनके कर को घटाना नहीं चाहता है। यह चीज जो मैंने बड़े संकोच के साथ सदन के सामने रखी, इसलिये क्योंकि मैं इसमें कोई उपयोगी बात नहीं समझता कि मैं मित्रों के सम्बन्ध में ऐसी धारणा रखूं, लेकिन मैं एक चीज उनकी सेवा में रखना चाहता हूं कि वह भले ही यह सोचते हों कि वह कृषकों की समस्याओं से चिन्तित हैं, लेकिन वह यह बात भी स्मरण रखें कि यह दल भी कृषकों की समस्याओं से चिन्तित है और अगर वह उनके प्रतिनिधि हैं तो यह दल भी उन्हीं कृषकों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं उन को एक बात और स्मरण दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि विकास के कार्यों में वह आज इस तरह से रोड़ा बनना चाहते हैं। इस वक्त यदि मैं पिछली कुछ बातों का स्मरण दिलाऊं तो अनुचित न होगा। उन्होंने इसी प्रदेश में इसी आबपाशी के कर का विरोध किया था और उन्होंने एक सत्याग्रह भी चलाया था और मुझे क्षमा किया जाय मैं समझता हूं कि शायद आगे आने वाली घटनाओं की उन्हें चिन्ता है। और उनका विचार है कि यदि आज हम कहीं इस सहानुभूति को पकड़ सकें तो शायद आगे आने वाले दिनों में वह काम आवे और इसके अतिरिक्त उनके दिलों में शायद यह भी ख्याल बना हो कि इस प्रकार की बातें शायद कुछ आगे ले जा सकेंगी तो मैं इतना संकोच से कह गया और यह भी जरूर कहूंगा कि शायद इन चीजों से हम अपने प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रदेश विकास के लिये हमें कुछ करना है। अगर प्रदेश के विकास के लिये यहां कर न लिये जायं तो आखिर और क्या किया जाय? महाराज-कुमार बालेन्दुशाह जी ने कहा कि सन् ५० से कुछ अन्न के दर कम हो गये हैं तो कर कम कर देना चाहिये और ऐसा प्रस्ताव भी है। तो दर कम हो तो कर भी कम करिये। मैं नहीं जानता कि सन् ५० से दरों में कितनी कमी हुई है, कुछ भी हुई है, लेकिन अगर इसी बुनियाद पर यदि इन करों को समाप्त किया जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि क्या वे इसके लिये प्रस्तुत होंगे कि चूंकि अनाजों के दर में कमी हो गई इसलिये कर के दर में कमी कर दीजिये और वह कुछ और आगे बढ़ें तो मैं उनसे कहूंगा कि फिर कभी यह भी मांग न कीजिये कि आबपाशी के नये साधन सन् ५० के आगे बढ़ाइये या उनके बढ़ाने की चेष्टा की जाय। अगर हम चाहते हैं कि सन् १९५० के आगे सिंचाई के नये साधन बढ़ें यदि हम चाहते हैं कि अधिक पानी किसानों को मिला करें, जिससे किसानों की आय बढ़े जिससे वे अधिक सम्पन्न हो सकें तो फिर कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा कृषकों को अधिक जल दिया जा सके, कृषकों को अधिक साधन-सम्पन्न बनाया जा सके। मैं अन्त में एक ही नम्र निवेदन और करना चाहता हूं और वह इतना मात्र कि आज इस विकास के युग में जब कि इस देश के निर्माण की चर्चा हम बहुत करते हैं तब इन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में हमारी सम्मति और हमारे मत एक न हों तो कम से कम ऐसे हों जिनके

सम्बन्ध में हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकें। जो यह निर्माण का प्रश्न है, यह जो इस देश की सम्पन्नता का प्रश्न है, जो यह इस देश के दरिद्र को दूर करने का प्रश्न है इसके हल करने के लिये तो श्रीमन्, कर लगाने पड़ेंगे। सही है इसके सम्बन्ध में कई बार हमको कुछ बुरी बातों को सुनने का भी मौका मिला है। कई हमारे मित्र उसको हाथ में लेकर अपनी वाहवाही लूटने का मौका पाते हैं। हमको चुनौतियां भी दी जाती हैं और कहा जाता है कि यदि आज कर बढ़ रहे हैं तो कल आप चुनाव लड़ेंगे उस वक्त देखा जायगा उसके सम्बन्ध में चर्चा की जायगी। तो मैं केवल अपनी ओर से नहीं अपने दल की ओर से भी इतना अवश्य कहूंगा और साधिकार कि इस देश का विकास करने के लिये, इस देश से दारिद्रय को दूर करने के लिये इस देश को सम्पन्न बनाने के लिये इस दल को यदि टैक्स बढ़ाना पड़े और उसके लिये अपने कुछ मित्रों की बुरी बातों को भी सुनना पड़े या चुनाव की धमकियां भी सुननी पड़ें और यदि हमसे कहा जाय कि चुनाव में मत कम मिलेंगे यह दल उन सब को शिर नवाकर स्वीकार कर लेगा और उस दिन उस चुनौती को भी स्वीकार करेगा जिस दिन उसका समय आयेगा।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रस्ताव पर बहस समाप्त की जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—अभी तो इस पर बहुत कम भाषण हुये हैं और यह प्रश्न आज ही समाप्त नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि एक दो भाषण इस पर और होना चाहिये लेकिन मैं संशोधन की इजाजत नहीं दे सकता हूं उस पर जनरल तौर से लोग बोल सकते हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या जो तरमीम मैंने दी है उसको न पेश करूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं तरमीम के लिये इजाजत नहीं दे सकता।

श्री झारखंडेराय—उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प तेज प्रतापसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। जाहिर है कि सिंचाई कर किसानों से वसूल किया जाता है और किसानों की पैदावार का एक मात्र साधन उनके खेतों की उपज है। खेतों की उपज के दाम जब कम हो जायं उस समय सरकारी टैक्स या सरकार के हर प्रकार के लगान उसी स्तर पर कायम रहें वही बुरा है, अगर बढ़ाये जायं तो और भी अधिक बुरा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कृषि की पैदावारों के दाम जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़े या घटे हैं उसकी बहुत बड़ी तालिका प्रस्तावक महोदय ने आपके सम्मुख पेश की है। यही चीज हमको अखिल भारतीय आधार पर भी दिखलायी पड़ती है। फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का एक मेमोरेंडम जिसमें अखिल भारतीय आधार पर कृषि की पैदावार के जो दाम गिरे हैं उनके जो आंकड़े उसमें दिखाये गये हैं उनको मैं आपकी आज्ञा से इस हाउस के सामने रख देना चाहता हूं। १९५१ में ४८३ सीरल्स के दाम थे, १९५२ में ४५०, १९५३ में ४५१ और १९५४ की जनवरी में ४३७, मई में ४१७ और जून में ३७९ थे। इसी प्रकार लगातार घटती हम देख रहे हैं। औसतन २० प्रतिशत की कमी सीरल्स के दामों में हुई। दालों के दाम १९५१ में ५०६, १९५२ में ४८३, १९५३ में ४२० थे और १९५४ की जनवरी में ४१४, मई में ३७३ और जून में २९९ थे। इसी प्रकार हम इसमें ४० प्रतिशत कमी पाते हैं। फायबर्स में इसी प्रकार आंकड़े पेश कर उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि ३० प्रतिशत की कमी हुई है और तिलहन में भी ३० प्रतिशत की कमी हुई है। यद्यपि जो दामों में वस्तुतः कमी हुई है, उसका ठीक ठीक चित्र हमारे सामने इन आंकड़ों के द्वारा पेश नहीं

[श्री झारखंडे राय]

किया गया है। वास्तविक चित्र तो यह है कि ५१–५४ के बीच में ४० प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत तक दामों में कमी हुई है। खुद सरकार के निश्चयानुसार २५ से ३० फीसदी तक गन्ने के दामों में कमी हुई है जब कि चीनी के दाम इस बीच में बढ़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज इसलिये अधिक कष्टदायक होती है कि किसान अपने इस्तेमाल की जो चीज खरीदने बाजार में जाता है अगर उसके दाम उस रेट के हिसाब से घटे होते तो हमारे प्रस्ताव का महत्व बिल्कुल नहीं रह जाता, लेकिन जब १९५१–५४ के बीच में कृषि उत्पादनों के दामों में तो काफी कमी हुई लेकिन उसी दौरान में कारखानों की पैदावार के दाम केवल ५ प्रतिशत ही कम हुए हैं और ५४ की ४ जनवरी व जून में उनके दामों में वृद्धि हुई है। जनवरी में ३६४ थे तो जून में ३७९ हो गये। तिलहन के दाम इस बीच में और तेजी से घटे हैं। श्रीमन्, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि किसानों की पैदावार के दामों में और किसान जो चीज खरीदता है उसके दामों में बहुत बड़ा गैप हो गया है। हमको यह गैप इस प्रस्ताव को आपके और इस हाउस के सामने पेश करने के लिये और सरकार से निवेदन करने के लिये बाध्य करता है कि वह इस पर गौर से विचार करे। उपाध्यक्ष महोदय, एक ही तर्क इसके विरोध करने वालों की ओर से दिया गया है और वह है विकास का और उसके लिये साधनों के मुहैय्या करने का। यह सही बात है कि आज हमारी राष्ट्रीय चेतना में पुनर्निर्माण का प्रश्न उभर कर एक प्रमुख विषय बन गया है। राष्ट्र का एक-एक प्राणी चाहता है कि हमारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो। सरकार उस सदिच्छा के साथ बलात्कार करना चाहती है और विकास का नाम लेकर जनता के ऊपर करों और टैक्सों का बोझ लादना चाहती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह कहां तक नैतिक चीज होगी कि हम किसान के फायदे के लिये उसकी नहर बनाने के लिये, उसके विकास के लिये, पूंजीपतियों पर टैक्स बढ़ायें। यह चीज कुछ जुरिसप्रूडेंस के खिलाफ मालूम होती है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे दृष्टिकोण में और सरकार के दृष्टिकोण में एक बुनियादी फर्क है। सरकार मौजूदा समाज के ढांचे को और मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को बनाये रख कर विकास का सपना देखना चाहती है और देख रही है। इस व्यवस्था एवं ढांचे की सीमाएं और परिसीमाएं हैं। एक हद तक ही विकास मौजूदा ढांचे के भीतर किया जा सकता है। उसके आगे या तो रुक जायगा या जनता पर करों का इतना बोझ हो जायगा कि उसकी कमर टूट जायगी। हम समझते हैं कि विकास अबाध गति से जभी बढ़ेगा जब मौजूदा समाज के और आर्थिक जीवन के ढांचे को तोड़ दिया जाय। इसकी सीमाओं को ध्वस्त करके नये समाज का ढांचा बनाया जाय और उसके संचालन हेतु नया राज्य-यंत्र निर्मित हो। तब विकास बढ़ सकता है अन्यथा विकास के नाम पर टैक्स बढ़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं यह तर्क आज तक मेरे दिमाग में धंस नहीं सका कि विकास के नाम पर जनता पर टैक्स बढ़ाने के अतिरिक्त क्या सरकार के पास अब कोई साधन नहीं रह गये? मैं कहना चाहता हूं कि साधनों का यह प्रश्न केवल हमारे प्रान्त का नहीं है, सारे भारत का है। पुनर्निर्माण की भावना सारे देश में है और सारे देश में यही नारा लग रहा है और हर प्रदेशीय सरकार इस दिशा में प्रयत्न कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी ढांचे के समाज निर्माण की बात कम से कम मुंह से मान लेने के बाद क्या यह संभव नहीं है कि सरकार जो हमारे देश में विदेशी पूंजी है उस पर हाथ लगाये? यहां के तो मुख्य मंत्री जी भी भूतपूर्व समाजवादी हैं। यहीं से श्रीगणेश हो हमारा प्रदेश केन्द्र पर दबाव दे आज जो हमारे देश से विदेशियों को पेंशनें जाती हैं, जिसमें हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है वे बन्द नहीं हो सकतीं? क्या भूतपूर्व नरेशों को जो बड़ी बड़ी पेंशनें दी जा रही हैं वे रोकी नहीं जा सकतीं? क्या जो पौने छः सौ देशी नरेश हैं उनके पास जो अरबों खरबों की सम्पत्ति छिपी है उनके गुजारे भर को छोड़कर वह सरकार नहीं ले सकती है और उनकी प्रिवी पर्सेज बन्द नहीं कर सकती? क्या जो विकास के नाम पर बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाने वाले अफसरों को रखा जाता है उनकी तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? क्या सरकार का भारी भरकम खर्चा जो दिन रात

हनुमान की लंका में बढ़ी पूंछ की तरह बढ़ता जा रहा है वह कम नहीं हो सकता ? क्या मुआवजे की भारी रक़मों का जमींदारों को विशेष कर बड़े जमींदारों को देना बन्द नहीं किया जा सकता ? क्या पचासों तरीके ऐसे नहीं हैं जो टैक्स बढ़ाने के पहले अख्तियार किये जा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह तमाम तरीके अपनाये जायं तो एक पैसा भी जनता पर बगैर टैक्स बढ़ाये हुये बल्कि जनता का कुछ बोझा जो पहले से है उसको कम करके पुनर्निर्माण के कई गुने ज्यादा कार्य हो सकते हैं। उसके बाद अगर रुपये की कमी रहे तो टैक्स बढ़ाने की नीति में हम एक स्वर से सरकार का समर्थन करेंगे। तब नये टैक्स लगाये जायं और जनता से कहा जाय कि दस पांच वर्ष तक पेट पर पत्थर बांध कर रहो ताकि उसका भविष्य उज्ज्वल हो सके। इसलिये मैं समझता हूं विकास की बात करके और रुपये की बात करके इस संकल्प का विरोध करना बिलकुल अनुचित है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक नयी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अभी हमारे पूर्व में नहरें शुरू नहीं हुईं, ट्यूबवेल लगे हुये हैं। पारसाल ट्यूबवेल्स से जितना सिंचाई हमारे जिले में, हमारी तहसील में, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, मेरे गांव के आस-पास हुई उसकी आधी भी इस साल नहीं हो रही है। क्योंकि पार साल जो सिंचाई का परचा मिला है उसको देख कर उनकी आंखें खुली हैं कि सिंचाई की दर बड़ी कड़ी है। अतः वे इस साल पानी परसाल की अपेक्षा कम ले रहे हैं और यह उनके देने की शक्ति के बाहर है। इस लिये वह कहते हैं कि अच्छा है कि कुएं से सिंचाई कर ली जाय, लेकिन ट्यूबवेल से पानी न लिया जाय.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—आप तो एक ट्यूबवेल की रोज मांग करते हैं कि आजमगढ़ में लगवा दें।

श्री झारखंडे राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं वस्तुस्थिति रख रहा हूं जिस पर मंत्री जी गौर करें। ट्यूबवेल लगाने की मांग कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। लेकिन ट्यूबवेल के रेट को कम करने की मांग उसी अनुपात से बढ़ेगी। सही बात है, पश्चिम के किसान पूर्व के किसान से अधिक खुशहाल हैं। मुझे अलीगढ़ से मेरठ तक दौरे में जाने का मौक़ा आता है जो सबसे अच्छा और खुशहाल हिस्सा माना जाता है। इन दामों के कम होने के पहले वहां का किसान उतना परेशान नहीं था, बातें सुनता था हमारी लेकिन उनपर उतनी चोट नहीं लगती थी। लेकिन जब से गुड़ का दाम, तिलहन का दाम तथा अन्य जिन्सों का दाम कम हुआ है तब से पश्चिम के चौधरी भी परेशान हैं और अब उनकी जेब पर जब आयी है, जब घर खाली हुआ है तब वह महसूस करता है। इसलिये मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिये फ़ाल्स प्रेस्टीज के मोशन के ऊपर, झूठी प्रतिष्ठा की गलत धारणा के ऊपर, इसका विरोध नहीं करना चाहिये।

माननीय सीताराम जी ने तो बहुत बहुत बातें कही हैं। टैक्स नहीं बढ़ाया, लगान नहीं बढ़ाया गया। इसी से वे बहुत प्रसन्न थे। हैं नहीं हाउस में। लेकिन उनको मालूम होगा कि रुपया पीछे दो पैसा अववाब टैक्स बढ़ गया है। पंचायत और जिला बोर्ड टैक्स लगे हैं और किसान का लगान कम नहीं हुआ। किसान जितना लगान कल जमींदार को देता था उतना ही अब सरकार को दे रहा है। अन्तर यह है कि पहले जमींदार का कारिन्दा जाता था और अब सरकार के कुर्क अमीन जाते हैं जो कभी-कभी अधिक निर्मम हो जाते हैं बनिस्बत पुराने कारिन्दों के। लगान के साथ साथ सिंचाई का कर वसूल किया गया। लगान के साथ साथ सिंचाई कर भी वसूल किया जाना खुद इस बात का सबूत है, सरकार महसूस करती थी कि पश्चिम के खुशहाल किसान भी इस बढ़े हुये सिंचाई दर को आसानी से दे नहीं सकते। सरकार का दावा है कि १४ लाख एकड़ नई भूमि में

[श्री झारखंडे राय]

हमने सिंचाई की व्यवस्था की है। लेकिन वह सिंचाई का जो कमांड एरिया बढ़ा है वह इसलिये भी बढ़ा है कि कमांड एरिया का क्षेत्र बढ़ा दिया गया उसी रेट से पानी नहीं किसानों को मिला।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं हृदय के अन्तस्थल से कि उन्होंने इतने षड़यन्त्रों और रहस्यों का भेदन करके इस संकल्प को इस सदन के सामने आने दिया। अन्यथा किस प्रकार एक बहुत बड़े अफ़सर ने इस संकल्प के विषय में हस्तक्षेप किया, बहुत बड़े राज्य के कर्णधारों के बीच में वह आया, किस तरह माननीय मुख्य मंत्री ने उस षड़यन्त्र के बारे में कांग्रेस पार्टी मीटिंग में बहुत सी बातें कहीं। उन्हें कहनी और स्वीकृत करनी पड़ी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, और जब कि श्री रामनारायण जी जो एक वक्त उस पद पर आसीन थे जहां आप आज आसीन हैं, उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के सामने इसका लिखित प्रतिरोध किया और फिर भी, बावजूद इसके कि पार्टी मीटिंग में उसको माना गया, इस सदन के सामने उस रहस्य का भंडाफोड़ नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि इस षड़यंत्र की वजह से सरकार का अपमान हुआ है, आज की डैमाक्रेसी का अपमान हुआ है, हाउस का अपमान हुआ है और अध्यक्ष का अपमान हुआ है। सबके अपमान को दूर करना जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री सदन में इसका स्पष्टीकरण करें कि किस तरह षड़यन्त्र किया गया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(सबने इस प्रस्ताव का विरोध किया)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य एक बार खड़े हों तो ठीक है। अभी एक प्रस्ताव आया है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अनेक सदस्य—नहीं, हम इसका विरोध करते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

राजा वीरेंद्र शाह—मैं इसका विरोध करता हूं। कोई जल्दी नहीं है इसकी अभी साढ़े चार ही बजा हैं।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि यह प्रस्ताव आ गया है समय बढ़ाने का और इससे क्लोज़र वाले प्रस्ताव का भी समाधान हो सकता है इसलिये मैं समझता हूं कि सदन की राय ले ली जाय।

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं इस प्रस्ताव के, जो कि हमारे १३ मित्रों की तरफ से दिया गया है, समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं उनको बधाई देता हूं। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो चार माननीय सदस्यों ने जहां कुछ सार्थक बातें कहीं वहाँ बहुत सी निरर्थक बातें भी सुनने को मिलीं। बहुत से माननीय सदस्यों के द्वारा किसानों की खुशहाली, देश के निर्माण की बात और किसान के स्तर के बढ़ने की बात और गरीबी निर्माण के द्वारा दूर की जा सकती है, ऐसी बहुत सी बातें इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सुनने को मिलीं। मैं समझता हूं कि इन बातों को इस प्रकरण में लाना बहुत ही व्यर्थ की सी बात है। किसानों की खुशहाली और उनके स्तर का कोई प्रश्न वास्तव में अगर कोई है तो मैं समझता हूं कि अंग्रेजी राज्य के बाद जब यह राज्य की बागडोर हमारे कांग्रेसी भाइयों के हाथ में आयी तो मैं कहता हूं कि किसान की खुश-

हाली और उसके स्तर का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। अगर किसी का स्तर बढ़ा और किसी की खुशहाली बढ़ी तो मैं समझता हूं कि मिनिस्टरों की खुशहाली बढ़ी और उनका स्तर बढ़ा और राज्य पार्टी के सदस्यों का भी स्तर बढ़ा और नौकरशाही का स्तर बढ़ा क्योंकि किसान के स्तर का जहां तक प्रश्न है वह यह हुआ कि अंग्रेजी राज्य में भी किसान का कोई स्तर नहीं था, उसके जीवन का कोई स्तर नहीं था, जीविका का कोई स्तर नहीं था, कपड़े पहनने का कोई स्तर नहीं था और किसी भी तरह की बात का कोई उसका स्तर नहीं था और कांग्रेसी राज्य में वह हालत हुई कि आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। मैं अभी तक यही नहीं समझ सका कि किसान के जीवन का कोई स्तर है, उसके पास कोई कपड़ा पहनने के लिये नहीं है, उसके पास खाने के लिये कोई चीज भी मौजूद नहीं है। जो कि कभी कांग्रेसी भाइयों को जेल के समय जो उनको एक दिन में जेल में खाने को मिलता था वह खाना भी.....

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--मैं जानना चाहता हूं कि आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रस्ताव पर बोलें तो अच्छा है।

श्री वंशीदास धनगर--तो यह इतनी बातें मुझे उन व्यर्थ बातों का निराकरण करने के लिये कहनी पड़ीं।

जहां तक आबपाशी की दरों का सम्बन्ध है यह सन् १९३९ की हमारी इर्रीगेशन रेट्स कमेटी की रिपोर्ट है और इसी यू० पी० की रिपोर्ट है, जिससे कि यहां की दरें निर्धारित की गयी हैं। उसके हिसाब से यह है कि

"Owing to individual poverty and the absence of banking facilities, the cultivator is compelled to market the produce of his field immediately after harvesting so as to meet the pressing demand for payment of land rent and as a consequence the prevailing market prices are at the lowest ebb at such time as a cultivator gets only these low prices for the produce they have been made the basis of valuation."

इस तमाम को पढ़ने का सारांश यह है कि यह जो हमारी आबपाशी के रेट्स हैं यह दो बातों को मद्देनजर रखते हुये सन् १९३९ में निर्धारित किये गये थे। वह दो बेसिस यह थीं कि किसान गरीब है और दूसरी चीज यह कि किसान को इतनी बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं हैं। इन दो बातों की बाबत मैं यह दावे के साथ कहूंगा कि जैसी यह सन् १९३९ में थीं वैसी ही उनकी अब भी वस्तुस्थिति है। जब ऐसी बात है तो मैं कहूंगा कि हमारे तेरह भाइयों ने जो यह प्रस्ताव रखा है उसके अन्दर बहुत ही सारगर्भित विचार छिपा हुआ है। उन्होंने इस प्रस्ताव के जरिये से यह चाहा है कि सन् १९५० में जो दरें थीं वही दरें आबपाशी की दर कर दी जायं। इसकी सार्थकता में इस रेट्स के ही हिसाब से आप साहबान के सामने लाऊंगा। वैसे तो मेरे पास हर एक जिस के आंकड़े हैं, लेकिन मैं सारांश के रूप में दो बातों की तरफ कहूंगा कि यह रेट सन् १९४८ के बाद पहली बार सन् ४९ में बढ़े और सन् ४९ में ये दरें आमतौर पर बजुज चावल के, सब आबपाशी की दरें ड्योढ़ी कर दी गईं। इसके बाद सन् १९५३ में फिर इजाफा हुआ दरों में और शुरू में जो दर थी उससे कहीं कहीं दूने से भी ज्यादा पहुंच गयी। ऐसी हालत में फिर जब इस सूबे में किसानों की तरफ से बहुत चिल्ल-पों मची इस बात पर कि किसान टैक्सेज देने में बहुत बुरी तरह से परेशान होता है तब यह हुआ कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ कहा सुनी के बाद तीन आना फी रुपये के हिसाब से इसमें कमी की। अभी तक जो कुछ हमारे इस रेट की बढ़ोत्तरी का सम्बन्ध और उसमें जो फिर तीन आने की कमी करने का सम्बन्ध और जिससे सीधा यह प्रस्ताव सम्बन्ध रखता है कि ये दरें वही कर दी जायं। इस प्रस्ताव के द्वारा यह चाहते हैं कि

[श्री वंशीदास धनगर]

सन् १९४९ के पहले जो दरें थीं वह न लागू की जायं बल्कि सन् १९४९ में जो इजाफ़ा हुआ था और सन् १९५३ से फिर जो शुरू हुआ वही रहे। इसमें सबसे बड़ी चीज हम देखेंगे कि वैसे तो जिन्सों के रेट्स और हम देखें तो सन् १९३९ में जब से कि जिन्सों के रेट्स ज्यादा हुए, उसके बाद.....(श्री शिवनारायण द्वारा कुछ विघ्न उपस्थित करने पर) जरा सब्र रखिये, मैं आपके ही सुनाने के लिये कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रकार से सीधे बातें न हों।

श्री वंशीदास धनगर—सन् १९३९ और उसके बाद जो हमारी हर एक जिन्स का भाव तेज हुआ उसमें सन् १९४८ से जब कि यह पहला इजाफा इन रेट्स में शुरू हुआ, आमतौर पर औसतन् ४ रुपया प्रति मन गेहूं, पौने चार रुपया प्रति मन चना, तीन रुपया प्रति मन ज्वार और चावल साढ़े चार रुपया प्रति मन और गुड़ साढ़े पांच रुपया प्रति मन तक था। यह मैं कह रहा हूं सन् १९३९ से लेकर सन् १९४८ तक के एक औसत दर्जे की क़ीमतों के आंकड़ों का ब्योरा। उसके बाद इस वक्त तक जो हम लोगों के रेट्स थे आबपाशी के वह इस प्रकार थे। वैसे मैं सब लोगों की रुचि के लिये ये सभी रेट्स सुनाये देता हूं, बाद को मैं अपने विचार को केन्द्रीभूत करूंगा केवल एक रेट पर कि जिससे सब का बहुत ज्यादा सम्बन्ध है, और खास कर के हमारे मिनिस्टर भाइयों का और खास कर हमारे नौकरी-पेशा लोगों का जिनका जीवन स्तर मैंने बढ़ा बतलाया, उनका बहुत ज्यादा सम्बन्ध है और वह है गेहूं के रेट्स। मैं उसको केन्द्रीभूत करके अपने विचार को बहुत स्पष्ट बनाने की बात कहूंगा। तो उस वक्त के आबपाशी के जो रेट्स थे वे गन्ने के ९ रुपये फ़ी एकड़, गेहूं के ५ रुपये फ़ी एकड़, चने के ढाई रुपये फ़ी एकड़ और धान के ६ रुपये फ़ी एकड़। अब जैसा मैंने कहा था कि मैं गेहूं के ऊपर केन्द्री भूत करूंगा तो उस वक्त गेहूं का आबपाशी का रेट ५ रुपये फी एकड़ था, लेकिन उस वक्त ४ रुपये मन गेहूं मिलता था। फिर बाद को जब इसका रेट ड्योढ़ा किया गया तो साढ़े सात रुपये आबपाशी की दर हुई और उस वक्त गेहूं का भाव आपने साढ़े २१ रुपये मन रखा। अब यहां पर गौर करने की बात यह है कि साढ़े २१ रुपये फ़ी मन जब गेहूं का भाव था तब हमने आबपाशी की दरें ड्योढ़ी कर दीं और उस वक्त साढ़े सात रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से गेहूं की आबपाशी वसूल की। अब इस वक्त १२ रुपये फ़ी एकड़ किसान से आबपाशी वसूल की जाती है जब कि भाव यहां पर जब फ़स्ल ख़त्म हुई —जैसा कि मैंने पहले निर्धारित करने वाला एक स्टेटमेंट सन् १९३९ का पढ़ा था कि निर्धारित उस भाव पर किया जाता है जिस भाव पर किसान फ़सल लेने के बाद बेच देता है—तो उस वक्त गेहूं का रेट सब जगह और विशेष कर यू० पी० के सब लोग जानते हैं ८ रुपये फ़ी मन था। इस वक्त हम जरूर मानते हैं कि भाव गेहूं का ११ और १२ रुपये मन तक है लेकिन जिस वक्त किसान ने अपना फसल दे दी उस वक्त ८ रुपये फ़ी मन का भाव था। अब मैं सभी माननीय सदस्यों के सामने किसान की दयनीय दशा का दिग्दर्शन कराते हुये कहूंगा कि जब गेहूं साढ़े २१ रुपया मन था तब उससे साढ़े सात रुपये एकड़ के हिसाब से आबपाशी ली जाती थी और जब किसान का गेहूं ८ रुपये मन में बिक गया, वह रख नहीं सका तब यह हमारी कांग्रेस सरकार चाहती है कि उससे १२ रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से वसूल करे और लोगों की नुक्ताचीनी बचाने के लिये बड़ी मेहरबानी की कि उसमें से ३ आने फ़ी रुपये की कटौती कर दी। लेकिन वह कटौती करके भी पौने दस रुपये आता है। तो जब किसानों का गेहूं ८ रुपये मन में बिक गया तो यह कांग्रेसी सरकार जो व्यर्थ का किसानों और मजदूरों की सरकार होने का दावा करती है कि तुम पौने दस रुपये के हिसाब से दो। तो इस नीति को मैं समझता हूं कि हमारे यू० पी० जैसे मिनिस्टर और यू० पी० जैसी कांग्रेस सरकार ही समझ सकती है। इसकी खास वजह यह है कि हमारे

देश में अभी सही जनतंत्रवादी व्यवस्था नहीं है। अभी किसान में सही चेतना पैदा नहीं हुई है। हमारी सरकार डरी हुई है। वह चाहती है कि हम जो यह विकास और निर्माण की हजारों तरह की बातें कहते हैं और मैं अपने प्रकाशन में कहता हूं कि बकती है.....

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। क्या माननीय सदस्य इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार बकती है, सदन बकता है, चेयर बकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि शब्दों को विचार कर के कहना चाहिये। बकना शब्द कुछ ठीक नहीं है।

श्री वंशीदास धनगर—शायद माननीय सदस्य ने मेरी बात को बहुत गौर से नहीं सुना। मैंने अपनी बोली में कहा और मैं अपने प्रकाशन में कह रहा हूं जैसा कि सरकार का बकना कहते हैं और सरकारी सदस्यों का बकना कहते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—जब कह दिया गया है कि "बकना" शब्द पार्लियामेंटरी नहीं है तो माननीय सदस्य को नहीं कहना चाहिये। मैंने कह दिया है कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें। अब माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री वंशीदास धनगर—इस व्यर्थवाद में जो समय गया वह तो मुझे मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो चुका है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय क्योंकि अभी और भी प्रस्ताव बाक़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—जब एक बार सदन ने समय निश्चित किया है.....

श्री उपाध्यक्ष—समय तो उतना ही रहेगा यह माननीय सदस्य को मालूम हो जाना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सदन ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये ही समय बढ़ाया है.....

श्री उपाध्यक्ष—जिस समय यह समय बढ़ाया गया तो यह नहीं कहा गया था कि इसी प्रस्ताव के लिये समय बढ़ाया जा रहा है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में — ७०

विपक्ष में ———१४।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन ने हम लोगों की राय के खिलाफ काम किया है। श्रीमन्, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसके पहले जो संकल्प श्री बसन्त लाल शर्मा ने प्रस्तुत किया था और

[श्री राम सुन्दर पांडेय]
जो बिल्कुल निरर्थक रहा और जिसे सदन ने और उधर के दल के लोगों ने कई दिन चलाया उसको देखते हुये इस संकल्प पर, जिससे करोड़ों जनता का सम्बन्ध है, जनता के प्रतिनिधियों का राय जानने की चेष्टा नहीं की और जिससे जनता का अहित होता है। इसके लिये मुझे बहुत ही दुःख है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि (शोर) इसके विरोध में हम लोग आज सदन का त्याग करते हैं और आगे के संकल्प पर विवाद में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं।

(इसके उपरान्त विरोधी दल के सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

श्री कालीचरण टंडन--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राम सुन्दर पांडेय जी ने इस सदन पर निरर्थक समय बिताने का लांछन लगाया है। क्या वह शब्द कांस्टीट्यूशनल है? इनको वापस लेना चाहिये। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---वह माननीय सदस्य चले गये।

(कुछ ठहर कर)

माननीय मंत्री अगर चाहें तो जो विवाद हुआ है उसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, जिस प्रस्ताव पर आज प्रातः काल से यहां विवाद चल रहा है उस पर इस समय मुझे खेद है कि अनावश्यक ही कुछ थोड़ी सी गर्मी आ गयी और हमारे कुछ भाई यहां से चले गये। वास्तव में यह प्रश्न ऐसा नहीं था कि जिस पर अकारण ही किसी प्रकार आवेश प्रकट किया जाता। सारे दिन इस पर बहस हुयी है और जितने भी तर्क इस सम्बन्ध में उपस्थित किये जा सकते थे वे किये जा चुके थे। फिर यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसकी चर्चा प्रायः पिछले दो वर्षों में बराबर बहस में होता रहा है। ऐसे ही विषय पर शायद आज के साल भर पहले या १० महीने या ८ महीने पहले एक बार इस सदन में विवाद हो चुका है और दूसरा जो हमारा बड़ा सदन कौंसिल का है उसमें भी इस विषय पर चर्चा हुयी। फिर यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर पत्रों में भी चर्चा हो चुकी है और सदन के बाहर सभी मंचों पर भी बहुत चर्चा हुयी है और किसी समय तो यह प्रश्न इतना ज्वलन्त हो गया था कि इससे एक आंदोलन का सा स्वरूप भी खड़ा हो गया था। हमारे प्रदेश में, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर हमारे प्रत्येक सदस्य ने जो इस आदरणीय सदन का सदस्य है, विचार न किया हो। बल्कि मैं तो ऐसा समझता हूं कि सार्वजनिक प्रश्नों से दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों ने और सार्वजनिक प्रश्नों का अध्ययन करने वाले लोगों ने, आर्थिक प्रश्नों का अध्ययन करने वाले लोगों ने और प्रदेश के विकास से दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने, हर प्रकार के लोगों ने इस विषय के प्रत्येक अंग और अंश पर जरूर विचार कर लिया है। फिर भी यह प्रश्न यहां आज उपस्थित किया गया एक गैरसरकारी प्रस्ताव के द्वारा और सारे दिन इस पर विवाद हुआ। इस समय भी जितना विवाद इस पर होना चाहिये था उससे कुछ अधिक ही हुआ और फिर सदन ने यदि यह निर्णय किया कि अब इस प्रश्न पर विवाद समाप्त किया जाय, गैरसरकारी ही यह विषय उपस्थित किया गया था और माननीय सदस्यों ने ही इसे उपस्थित किया, तो इसमें कोई ऐसे आवेश की आवश्यकता नहीं थी मुझे खेद है कि अनावश्यक ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गयी।

अब इस विषय पर दोनों ओर से हर प्रकार के तर्क उपस्थित कर दिये गये। हमारे जिस माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को यहां पर उपस्थित किया वह इस समय यहां पर नहीं है। अभी मुझसे उठने के पहले हमारे एक भाई जो कदाचित् मैनपुरी के रहने वाले हैं उनका भाषण हो रहा था। मैं नहीं जानता हूं किन्तु उनके भाषण को सुनकर मुझे कुछ थोड़ा सा जानने की इच्छा हुयी कि वह मैनपुरी के किस भाग के रहने वाले हैं। वहां एक भाग मोगांव का भी है। अस्तु वह भी चले गये नहीं तो कुछ उनके प्रश्नों का उत्तर देता। अब हमारे भाई तेजप्रताप सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया उस प्रस्ताव के शुरू में ही एक बात मुख्य रूप से कही गयी और वह यह है कि आज गल्ले का भाव १९५० के भाव से नीचे गिर गया है इसलिये नहरों का रेट जो सन् ५० में था उस स्तर पर इस रेट को लाना चाहिये। यह अपने प्रस्ताव में उन्होंने कहा है। उसकी

भूमिका में किसानों की दयनीय दशा का भी कुछ उल्लेख किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां नहर के रेट जब निश्चित किये जाते हैं तो उसमें गल्ले का भाव एक बड़ा प्रमुख अंग है जिसके ऊपर विचार करने के बाद वह रेट निश्चित किये जाते हैं। परन्तु गल्ले का भाव ही किसी रेट को स्थिर करने में एक मात्र मापदंड नहीं हुआ करता। कई और भी उसके अंग और प्रश्नों को देखकर तब फिर नहर के रेट निश्चित किये जाते हैं। फिर भी उनका यह कहना कि गल्ले के भाव १९५० से गिरे हुये हैं सही हैं और मैं यह भी मानता हूं कि सन् ५० में जो नहर के रेट थे उससे आज नहर के रेट ज्यादा हैं। गल्ले का सन् ५० में जो भाव था उससे आज भाव कम है। नहर के सन् ५० में जो रेट थे उससे नहर के रेट आज ज्यादा हैं। यह बात सही है जो वास्तविकता है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। अब इसकी एक विशेषता की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि सन् १९५० में जो गल्ले का भाव था वह वह भाव था जो हमारे देश के इतिहास में कभी उपस्थित नहीं हुआ। इधर कुछ ४०,५० वर्ष के इतिहास में वह एक पीक का भाव था। जो हमारे पास गल्ले के भावों की तालिका मौजूद है जब मैं उसको देखता हूं तो मैं चाहता हूं कि उसको आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखूं। उससे आप देखेंगे कि सन् ४९–५० में गल्ले का भाव सब से अधिक ऊंचे गया था। सन् १९३८–३९ में गेहूं का भाव २ रुपया १५ आना मन था और यह भाव अप्रैल और जून का है जबकि फसल तुरन्त कटकर बाजार में आती है उस समय अप्रैल और जून में चने का भाव २ रुपये १५ आने मन, जौ का भाव २ रुपये ६ आने मन चावल का भाव जबकि अक्तूबर, दिसम्बर में धान की फसल तैयार होती है तो उस समय उसका भाव, ४ रुपये ३ आने मन गुड़ का भाव जबकि दिसम्बर फरवरी में वह बाजार में आता है ५ रुपये १४ आने मन। शुगर केन का भाव गेट डिलीवरी पर पौने सात आने मन था। यह भाव सन् १९३८–३९ में थे। जब हम सन् १९४८–४९ में पहुंचते हैं तो गेहूं का भाव १७ रुपये ८ आने मन उसी अप्रैल और जून में, चने का भाव १० रुपये ११ आने मन जौ का भाव ९ रुपये ६ आना चावल का भाव २२ रुपये गुड़ का भाव १२ रुपये ४ आने और ईख का भाव जो गेट पर देने का है, वह १ रुपये १० आना मन था यह सन् ५० के भाव हैं और अब सन् ५५ में जो भाव हैं वह इस प्रकार से हैं––गेहूं –१२ रु० ६ आना चना–८ रु० ६ आना, जौ–७ रु० ९ आना चावल १४ रुपया ९ आना और गुड़ ११ रुपया ११ आना और शुगर केन का १ रु० ७ आना यह हैं इस वक्त के भाव हमारे पास जो फिगर्स हैं मुमकिन है किसी स्थान में उसमें कुछ कमोबेसी हो। सन् ५० में जो इर्रीगेशन रेट्स थे और जो सन् ३९ में थे अब आप उनको देखिये। सन् ३९ में गेहूं के लिये सिंचाई के रेट्स ५ रुपया प्रति एकड़ और शुगर केन के लिये १० रुपया प्रति एकड़ थे और चावल के लिये ६ रुपया प्रति एकड़ उस समय मान्यवर, ३ रुपया मन गेहूं का भाव था और अगर एक एकड़ में आठ मन गेहूं भी समझा जाय तो गेहूं की पैदावार से २४ रुपया की आमदनी होती है। इस पर ५ रु० आबपाशी देनी पड़ती थी। अब गेहूं का भाव १२ रुपया है, अगर वही ८ मन फी एकड़ की उपज मानी जाय तो ९६ रुपया उसको मिलते हैं और अगर उस पर ९ रुपया भी सिंचाई कर लगता है तो उसको अपनी आमदनी का दसवां भाग ही देना होता है जबकि सन् ३९ में उसको पांचवां भाग देना पड़ता था। तो केवल ऊपर के भावों को दिखाकर भ्रांति उत्पन्न करना ठीक नहीं है। और यह गल्ले के भाव भी उस वक्त के दिखाये जाते हैं जबकि वह पीक पर थे। उस समय के भावों और आज के भावों में फर्क दिखाया जाता है। सन् ३९ में गेहूं के दाम ३ रुपया मन थे और आज वह १२ रुपया मन हैं यानी ४०० फीसदी दाम बढ़े हैं। यह दाम सन् ५० में ५०० फीसदी बढ़ गये थे। जो भाव अब रेट के बताये गये हैं उनको यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि आज जो रेट बढ़ा हुआ है वह केवल २५० प्रतिशत ही बढ़ा हुआ है जब कि गल्ले का भाव ४०० प्रतिशत बढ़ा हुआ है। इस हिसाब से यदि देखा जाय तो यह कहना गलत होगा कि कीमत घटी हुयी है और फिर यह कहना कि इतने रेट पर नहीं लेना चाहिये, उसको घटा दिया जाय, यह बात भी मुनासिब नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय केवल पांचवां भाग आबपाशी में देना होता था जबकि आज आमदनी का केवल दसवां भाग देना होता है मैं चाहता था कि मेरे भाई यहां होते और मैं उनके सामने इन प्रश्नों को रखता।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हम लोगों से कहा गया कि विकास करना जरूरी है और दूसरी यह बात की रेट्स को घटाया जाना चाहिये। एक तरफ तो यह कहा गया कि किसान की हालत खराब है, वह गरीब है उससे रेट कम लिया जाय और दूसरी तरफ यह कहा गया कि विकास के कार्य करना भी आवश्यक है। रुपया विकास के लिये चाहिये लेकिन किसानों से रुपया नहीं लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने रुपया लेने की जगह भी बताने की चेष्टा की हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने भी और भाई तेजप्रताप सिंह जी ने भी गेंदा सिंह जी को तो एक ही जगह दिखायी देती है, वे घूमफिर कर उसी जगह आ जाते हैं। उनके यहां कुछ चीनी के कारखाने हैं, उन के मालिकों के पास वे समझते हैं कि न जाने कहां का कारूं का खजाना है कि जो भी डिवलपमेंट का काम होगा, जो भी और प्रदेश को आवश्यकता होगी, उसके लिये उनसे ही रुपया मिल जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर जितने लोग बैठे हुये हैं वे किसानों की हालत से पूरी तरह से परिचित हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह मानते हैं कि हमारे प्रदेश के किसान इतने खुशहाल हो गये, उनकी बचत की रकम इतनी ज्यादा हो गयी और उस के पास इतना पैसा होने लगा कि उसकी आवश्यकतायें पूरी करने के बाद कोई गठरी जुटने लगे तो हमें भी उस से अच्छी रकम मिल सकती है। मैं यह नहीं मानता कि आज उसकी हालत बहुत अच्छी हो गयी है बावजूद इसके कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पहले से उसकी दशा कुछ अच्छी जरूर है लेकिन फिर भी वह वैसी नहीं है जैसी एक अत्यन्त ही निम्नश्रेणी का जीवन यापन करने के लिये आवश्यक समझी जानी चाहिये। जीवन सम्बन्धी और जीने के लिये जो अत्यन्त प्रारंभिक और नैसर्गिक और अनिवार्य आवश्यकतायें हैं उनको वह पूरा नहीं कर पाता वह आर्थिक दृष्टि से अभी उस स्तर को नहीं पहुंचा है जिस पर एक साधारण जीवन के इंसान को पहुंचना चाहिये लेकिन फिर भी यह सब सोच समझ कर भी हमें कर लगाना पड़ता है और हम जो कुछ भी रेट बढ़ाते हैं वह हमारी आर्थिक मजबूरी है उसमें किसी को प्रसन्नता नहीं है। यदि हमारी परिस्थिति अनुमति दे दे तो हम मुफ्त में पानी दे सकते हैं, सूर्य की रोशनी और हवा हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलती है। खेती के लिये हम मुफ्त में साधन दे सकें और कृषकों से उसके लिये एक पैसा भी न लिया जाय, यदि हम यह परिस्थिति उत्पन्न कर सकें तो हमसे बढ़कर, इस सरकार से बढ़कर जो यहां बैठी है, कोई प्रसन्न न होगा। परन्तु यह समान सुविधा प्रान्त के प्रत्येक कृषक को मिल सके और यह परिस्थिति उत्पन्न हो सके इसकी चेष्टा करने की हमारे लिये जरूरत है और आज की परिस्थिति में हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि समाज में कुछ लोगों को तो थोड़ी सी सुविधायें रहें और बाकी का जीवन स्तर उन सुविधाओं के अभाव में दिन प्रति दिन गिरता चला जाय और ऐसी परिस्थिति को चलाना या चलने देना अनुचित होगा। आज हमारे प्रदेश में कृषकों के ऊपर बोझ बढ़ा है और उस को उठाने की क्षमता की आवश्यकता है हालांकि हम यह भी जानते हैं कि आज उस बोझ को उठाने में कृषक को कुछ कष्ट होता होगा लेकिन हमारे सामने दूसरा रास्ता नहीं है। जबकि हम उन्हीं को नयी-नयी सुविधायें देना चाहते हैं, उन्हीं के विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हीं के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो उन को एक ऐसे रेट को जो उस प्रकार का टैक्स है कि जिसे

"मधुरेव दुहेत् राष्ट्रं,
भ्रमरारिव पादपं"

कहते हैं अर्थात् जिस प्रकार भ्रमर कमल से शहद लेता है इस तरह से टैक्सेशन हो तो वह बहुत उत्तम है। हमेशा टैक्सेशन में सोने के अंडे के खत्म होने की बात नहीं होती जैसा कि माननीय बालेन्दुशाह जी ने कहा। टैक्स ऐसा होना चाहिये कि जिस से वह वसूल किया जाय उस से उसी का विकास अधिकाधिक मात्रा में हो सके। आज यहां पर सार्वजनिक लोकतंत्रात्मक और लोकप्रिय सरकार मौजूद है। टैक्स की एक-एक पाई चाहे वह रेट्स से होती हो और मदों से वह जनहित में व्यय हो रही है। देश के विकास में लग रही है। यदि टैक्स से लिये गये पैसे का उपयोग विकास

कार्य में होता है और वह भार जो कृषक पर पड़ता है यदि वह ऐसा है कि जैसे भ्रमर के शहद लेने से कमल पर पड़ता है तो वह अनुपयुक्त नहीं है। दो सौ साल की गुलामी के बाद अगर यह भार आता है तो हमें भार समझ कर भी उस को उठाना होगा। नहर रेट से रिबेट निकालने के बाद डेढ़ करोड़ रुपये की आय होगी, सन् ५३ में नहर रेट बढ़ा, सारे सन् ५३ भर वसूल नहीं किया गया, सन् ५४ में वसूल हुआ, २ २॥ या ३ फसल वह वसूल हुआ और उसके बाद गल्ले की कीमतें गिरने लगीं, फिर ५० परसेंट रिबेट दिया। ३ करोड़ की आय होती रेट बढ़ने से बजट में, फिर हमने निश्चित किया कि यह पैसा विकास कार्य में जायगा और इससे नहर के साधनों और बिजली के विकास के काम चलाये जायेंगे। ३ करोड़ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती फिर भी वह एक खासी रकम है जो हमारे कोष में आती है और उसके द्वारा हम विकास के कार्य करते हैं और वह भी सिंचाई के साधनों के और बिजली के। एक साल हम कदाचित् वसूल कर सके हैं। दूसरे साल हमने स्वयं स्वेच्छा से फिफटी परसेंट कम किया। डेढ़ करोड़ की आमदनी कम से कम कम हो जायगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि आज जो रकम हमने खर्च की है उन्हें आप देखें। हमारे भाइयों ने कहा कि इस तरह से रुपया लेकर तुम विकास का काम करते हो। यह एक सहायता मात्र होती है। प्रत्येक व्यक्ति की एक आहुति होती है, "सरकार के रिसोर्सेज डेवलप करते हैं" का यही अर्थ होता है, नहीं तो सारे विकास का काम इस करोड़ डेढ़ करोड़ की रकम मात्र के आ जाने से तो नहीं हो जायगा। अब आप देखें कि हमने जो खर्च किया है उसके थोड़े से आंकड़े हमारे पास आ गये हैं और वह यह हैं कि पिछले ८ वर्षों में जब यह पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुयी है तब से अब तक हमारे पश्चिमी इलाकों में मय पावर प्राजेक्ट और मय इर्रीगेशन के जो काम हुये हैं। कुल मिलाकर उन पर १४ करोड़ रूपये खर्च हुये हैं, हमारे मध्य के इलाकों में जिसके लिये कभी-कभी हमारे भाई कहा करते हैं कि न हम पूरब के हैं और न पश्चिम के हैं इसलिये हमारे यहां कुछ नहीं है तो उनके यहां जो रकम खर्च हुयी है मय पावर और इर्रीगेशन के वह १९ करोड़ खर्च है और हमारे ईस्ट का जो रीजन है जिसे पूरब का इलाका कहते हैं उसमें १६ करोड़ रुपये सिंचाई पर और रिहन्द का काम जो अभी शुरू हुआ है उसको जोड़ दें तो ४ करोड़ और यानी २० करोड़ रुपये और १० करोड़ रुपये पूरे बुन्देलखंड में खर्च हुये हैं। हमारे तेजप्रताप सिंह जी चले गये जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है। वे हमीरपुर की बातों को कह गये लेकिन सारा बुन्देलखंड का इलाका जहां काल का कष्ट सदैव रहा है जहां गल्ले का पता नहीं लगता था वहां अकाल हर दूसरे तीसरे साल पड़ा करता था वहां पिछले चार पांच सालों से १० करोड़ रुपया खर्च हुआ है। आज वहां उपज इतनी बढ़ी हुयी है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि सैकड़ों बंधियां हमीरपुर में बनी है जहां २५ हजार कांटूर बंधियां अब भी बनी हुयी हैं। जहां पहले दस बारह हजार एकड़ धान की खेती होती थी वहां अब तीन वर्षों के अन्दर बांदा और हमीरपुर में १ लाख एकड़ जमीन पर धान की खेती होती है। वहां इतना गल्ला पैदा हो रहा है और पहले से भी वहां हो रहा था इस माने में कि वहां खाने वालों का पता नहीं था, तो वह खेती बढ़ी और खानेवाले कम और इस प्रकार का माल तमाम उत्तर प्रदेश की मंडियों में भरा चला आ रहा है। उनकी समझ में यह आया कि यह विकास का काम कुछ बहुत नहीं हुआ और हुआ भी तो उस काम को इस रुपये से नहीं करना चाहिये अब आप देखें कि १० करोड़ बुंदेलखंड पर, २०करोड़ पूरब के इलाके पर १९ करोड़ सेंटर के इलाकों पर और १४ करोड़ के करीब पश्चिमी इलाकों पर और करीब ६३ लाख ७६ हजार, हमारे भाई मदन मोहन जी चले गये, पहाड़ी इलाकों में नयी नालियां बनवाने पर खर्च हुआ है। तो हमने इतना रुपया खर्च किया और वसूल किया ३ करोड़ और इस साल केवल डेढ़ करोड़ और उसके ऊपर सवाल यह है कि तुम खून चूसे ले रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के यहां चले जाइये। उससे पूछिये कि क्या चाहिये तुम्हें, हमारे भाई झारखंडेराय जी चले गये वह कह रहे थे कि ट्यूबवेल्स हैं उनसे सिंचाई नहीं होती, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक वह ट्यूबवेल्स के लिये मांग किया करते हैं कि इस इलाके में एक लगा दो और इस इलाके में एक लगा दो। आज गांव के किसान से पूछिये तो वह यही कहेगा कि चाहे रेन्ट हमसे जितना ले लो, लेकिन हमें पानी दे दो, पानी दे दो तो हम जिन्दा हो जायं, यह जीवन की धारा है जिससे हमारी उपज बढ़ गयी। क्या यह सही नहीं है कि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

आज जिस इलाके में हम पानी दे देते हैं वहां दूनी नहीं तो ड्योढ़ी फसल निश्चित हो जाती है। जहां पानी नहीं है वहां के किसानों की और जहां पानी प्राप्त हो जाता है वहां के किसानों की उपज में एक खास बड़ा अन्तर है। उनके जीवन स्तर में खास बड़ा अन्तर है। जो निजी साधनों से सिंचाई होती है प्रति एकड़ सिंचाई में कितना खर्चा पड़ता है? मैं नहीं जानता कि जिन इलाकों में नहरें हैं वहां क्या हालत है लेकिन जहां नहीं है वहां एक एकड़ गेहूं की सिंचाई में ४० रुपये से कम खर्चा नहीं पड़ता है। अगर दो पानी देने पड़ जायं तो ८० रुपये हो जायं। लेकिन नहरों के इलाके में गेहूं के लिये १० रुपया प्रति एकड़ सिंचाई की दर है। दो पानी मिल जायं भाग्य से या तीन पानी मिल जायं भाग्य से लेकिन १० रुपये में ही ये तीनों पानी मिलते हैं। दूसरी ओर जो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं उनके ऊपर ज्यादा खर्चा पड़ता है। अगर १० रुपया १ सिंचाई में खर्च हुआ और दूसरा पानी फिर लगाया तो १० रुपये फिर दिये, तीसरा लगाया तो १० रु० फिर दिये। निजी साधनों से जो सिंचाई करते हैं उनको बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। उन किसानों से कहिये कि १० रुपये प्रति एकड़ सिंचाई पड़ेगी तो वे कहते हैं कि पानी दे दो १० नहीं साढ़े १० ले लेना। ऐसी अवस्था में बार-बार इस प्रश्न पर विचार हो चुका, हजार बार विचार हो चुका और कौन सा स्रोत छोड़ा है जहां से रुपया न लिया गया हो। आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये इस प्रदेश की और इस देश की सरकार ने, जिसकी नीति से देश की नीति का संचालन हो रहा है, कोई ऐसा प्रयास नहीं है जो छोड़ दिया हो। सरकार इस्टेट ड्यूटी लगा चुकी है। जायदाद छोड़कर जो मरने वाले हैं गवर्नमेंट को इस्टेट ड्यूटी के नाम पर उनसे भी रुपया मिलेगा। इनकम टैक्स में १४ आने, १५ आने, पौने १६ आने प्रति रुपया तक ले लिया जाता है। हिदायतें हैं, देखते चले जाइये, कि उसकी आमदनी किस प्रकार बढ़ती चली जा रही है। मान्यवर मुझे उत्तर देना है। कितना समय मुझे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--२५ मिनट आपको दिये हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा ख्याल है कि अभी १५ मिनट ही हुये होंगे या २० मिनट ये होंगे, ५ मिनट और बोलूंगा।

उस आर्थिक विषमता को दूर करने की हमारी नीति है। हमारे प्रदेश में ३ करोड़, ७० लाख एकड़ जमीन में खेती होती है और ३ करोड़ ७० लाख जमीन में अभी तक १० लाख एकड़ जमीन के लिये सिंचाई के साधन थे। केवल ७० लाख एकड़ भूमि इस तीन करोड़ और ७० लाख एकड़ भूमि में ऐसी भूमि है जहां खेती होती है लेकिन वहां सिंचाई के साधन नहीं। जिन लोगों को सिंचाई के साधन मिलते हैं, और उनकी स्थिति कुछ अच्छी है, उन साधनों को मुहइया करने के बारे में हमारे किसी भाई ने कहा कि वे साधन आपने प्रदान कर दिये और आप उसकी कीमत लेते हो यह बात अनुचित है। कीमत लेने का सवाल यों उत्पन्न होता है कि जो पूंजी लगी है उन साधनों को एकत्रित करने में, किसी भी स्थान पर उस पूंजी को भेजो सारे प्रदेश के सर पड़ती है, पर जिन लोगों को सुविधा प्राप्त है स्वेच्छापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक दूसरों को भी सुविधा मुहइया करने के लिये अपनी सुविधा में ये उठाये हुये लाभ में से एक भाग दे दें तो अनुचित न होगा। नहर का रेट लागू हुआ है केवल गल्ले के भाव से नहीं, नहर का रेट रखा गया है कि उससे किसान को जो सुविधा मिलती है वह सुविधा सारे प्रदेश के किसानों को प्राप्त हो सके और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। इसलिये एक स्रोत के खोजने की बात है। सारी चीजों को सामने रख कर तब सरकार किसानों से अपने कोष में पैसा लेती है और इस प्रश्न को बार-बार न उठाना ही अच्छा है। मैं इस आदरणीय सदन को यह बतलाना अवश्य चाहता हूं कि वह इस विषय को भी थोड़ा समझ ले कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। आज तक जो हमने खर्च किया उस खर्चे से हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ है और सन् ५६ पहुंचते-पहुंचते १ करोड़ ८ लाख एकड़ जमीन में व्यवस्था हो जायगी जबकि किसी भी साल में ६०,६५ या ७० लाख से ज्यादा भूमि सींची नहीं गयी। आज कोई यह कहे कि उन्नति नहीं हुयी तो यह गलत बात है। हमारे भाई नवलकिशोर जी ने कहा और मुनासिब बात कही

कि उन्होंने अपने ट्यूबवेल के कमांड को बढ़ा रखा है। मैं जानता हूं कि यह कमांड पुराने जमाने का बढ़ा हुआ है, मैं कम करता चल रहा हूं। अपने को धोखे में रखने से कोई लाभ नहीं है कि हम कहें कि एक ट्यूबवेल एक हजार एकड़ की सिंचाई कर सकता है और करता हो वह केवल चार सौ एकड़ की सिंचाई उन्होंने यह भी कहा कि ऊधर ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कम हुआ है, वे बीस पच्चीस वर्ष पुराने हो गये हैं। यह भी सही है। लेकिन दूसरी बात भी जो सही है उसको भी उन्हें कहना चाहिये था कि वे ट्यूबवेल जिनका डिस्चार्ज कम हुआ है वे रिकांस्ट्रक्ट हो रहे हैं। सैकड़ों को हम रिड्रिल कर चुके हैं, सैकड़ों को इस साल कर देंगे और जितने ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज कम हुआ है, अर्थात् २५ हजार के नीचे गया है उनको साल दो साल में रिड्रिल कर देंगे। यह बात सही है कि नहरों में जो पानी आता है उस पानी से पहले जिस किसान को दो, तीन पानी मिल जाते थे आज एक ही पानी मिल पाता है। आज कमांड एरिया में खेती ज्यादा होने लगी है। पहले जहां सौ एकड़ के कमांड एरिया में चालीस फीसदी सिंचाई होती थी वहां अब ७०, ८० फी सदी सिंचाई हो रही है। इसलिये किसान को तकलीफ हो रही है। लेकिन क्या हम ने पानी नहीं बढ़ाया ? आपका यह कहना सही है कि किसान को पानी कम मिलता है लेकिन यह भी सही है कि गंगा कैनाल, और शारदा कैनाल में ढाई हजार का डिस्चार्ज बढ़ाया है। माठ ब्रान्च, देवबन्द ब्रान्च, हाथरस ब्रान्च, यमुना, फतेहपुरसीकरी इन सब नहरों का डिस्चार्ज हमने बढ़ाया है। करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ है। जहां यह सही है वहां यह भी सही है। आज वह सारी स्थिति हमें यह अपने सामने रखनी है। यदि किसान के ऊपर कभी बोझ बढ़ेगा तो सरकार उसके लिये सतर्क है। इसीलिये हमने पचास प्रतिशत रिबेट कम किया। केवल राजनीतिक दृष्टि से कोई इस तरह की बात कही जाय तो बात दूसरी है अन्यथा नहर रेट कम करने का कोई औचित्य उस स्थान पर नहीं है। हमने जो यह कर रखा है। वह इसलिये रखा है कि किसान की उपज इतनी अधिक बढ़ा दें कि जो आज उसके ऊपर बोझ मालूम हो रहा है कल उसके लिये वह तिनके की तरह हलका हो जाय। यदि यह उपज न बढ़ी होती तो हमारे यहां ९ लाख टन गल्ले की जो कमी थी उसे इस प्रदेश के किसान १४ लाख टन एक्सट्रा गल्ले की उपज में कैसे परिवर्तित कर देते ? यह अन्न की उपज इसलिये बढ़ी है कि किसान ने मेहनत की है, उसे सुविधायें प्राप्त हुयी हैं, उसे पानी मिला है और उसने हमारे प्रदेश के गल्ले की उपज बढ़ायी है जिससे उसके स्तर में भी अन्तर आया है। अगर उसकी दो आने की आमदनी होती थी तो आज दस पैसे की हो रही है, यद्यपि यह कोई बहुत बढ़ा अन्तर नहीं है, तथापि वह प्रगति की ओर अग्रसर है। उसका विकास धीरे-धीरे हो रहा है। हमारे एक भाई ने कहा कि विकास के लिये रुपये की जरूरत नहीं है आदमी को ऊंचा करने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका तरीका यह नहीं है कि राजनीतिक चीजों को सामने रख कर जब कभी मौका मिले, मौके बे मौके, एक बेसुरा राग अलापने लगें। आज लोगों को कष्ट उठाना सिखायें उनसे कहें कि तुम्हें कष्ट उठा कर देश के निर्माण की योजनाओं में अपनी कमाई की कुछ न कुछ आहुति देनी होगी, तब उसके चरित्र का विकास होगा और हमारी समस्यायें सुलझ सकेंगी। अन्यथा विधान सभा में एक इस प्रकार का प्रश्न उठा देने से जिससे ध्यान लोगों का दूसरी ओर चला जाय और विकास के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो सके, कदाचित् न उन मित्रों की यह इच्छा होगी न हम लोग इस चीज को चाहते हैं। फिर यह बात जब नहीं है तो सरकार बार-बार इस प्रकार के प्रश्नों को लाने की आवश्यकता नहीं है। प्लानिंग कमीशन चाहता है कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ें। हम जितने अपने रिसोर्सेज बढ़ायेंगे उतना ही हमको अधिक पैसा मिलेगा और जितने हम अपने रिसोर्सेज कम करेंगे सेकेंड प्लान के लिये हमें पैसा कम मिलेगा। आज प्रदेश का कल्याण इस बात में है कि हम रिसोर्सेज के घटाने की ओर ध्यान न दें। ध्यान दें कि क्या कोई स्रोत है जहां से रिसोर्सेज बढ़ा सकें। कहीं से काटने की चेष्टा न कीजिये। चेष्टा यह कीजिये कि कम से कम कष्ट उठाये हुये अधिक से अधिक हम अपने प्रदेश के आर्थिक स्रोतों को प्राप्त कर सकें जिनसे हमारी आय बढ़ सके और हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल सके। आगामी ५ वर्ष के अन्दर हम अपने प्रदेश में वह स्थिति उत्पन्न कर दें जब हमारे किसान के जीवन का आज जैसा स्तर है उससे कहीं अधिक ऊंचा हो जाय। वह सुखी हो जाय और उसके बाल बच्चे सुखी हो जायं, हमारा प्रदेश, हमारी सम्पन्नता सुख और समृद्धि से भर जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि दिन प्रतिदिन किसान की खेती द्वारा पैदा की हुयी जिन्सों आदि के भाव गिरते जा रहे हैं और यह भाव १९५० ई० के भाव से भी नीचे आ गये हैं और किसानों को नहर तथा ट्यूबवेल के वर्तमान सिंचाई कर देना दूभर हो गया है। अतः किसानों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुये सिंचाई कर उतना-ही कर दिया जितना कि सन् १९५० ई० में था।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--)

पक्ष में--१
विपक्ष में--५६।)

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं सदन ने एक घंटा समय बढ़ाया है। श्री रणंजय सिंह आप अपना प्रस्ताव पेश करें।

राजकाज संबंधी लिखा पढ़ी में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का निषेध करने के संबंध में संकल्प

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--मैं श्रीमान् की आज्ञा से यह संकल्प यहां प्रस्तुत कर रहा हूं--

> "इस सदन का यह निश्चित मत है कि हिन्दी कई वर्षों से राज्य की भाषा घोषित हो जाने पर भी अभी तक अनेक राजकर्मचारी उसकी उपेक्षा करके राजकाज तक में अन्य भाषाओं का व्यवहार करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें दृढ़तापूर्वक सचेत किया जाय और आदेश दिया जाय कि बिना किसी अनिवार्य कारण के राजकाज सम्बन्धी लिखा पढ़ी अन्य भाषाओं में कदापि न किया करें।"

श्रीमन्, यह हमारे प्रदेश का अथवा हमारे देश का सौभाग्य है कि इतनी सुन्दर, सुपाठ्य वैज्ञानिक लिपि और भाषा हमारे यहां पर उद्घोषित है। यह पहले इस प्रान्त की भाषा थी और अब देश की भाषा भी हो गई फिर भी हमारे यहां ऐसे राजकर्मचारी हैं जो राजाज्ञा का उलंघन करके उसकी उपेक्षा करके ऐसे सुन्दर कार्य में शिथिलता दिखलाते हैं। हमारे देश की और इस प्रान्त की भाषा की अवहेलना कर के अन्य भाषा में ही लिखापढ़ी और अन्य सरकारी कार्य, वह किया करते हैं। इस प्रकार से हमारी राजभाषा और हमारी राष्ट्र-भाषा की अवहेलना, उसकी उपेक्षा जो है यह कदापि सह्य नहीं है। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हम भी उसे उपेक्षा की दृष्टि से ही देखते रहें। क्या कारण है जब कि अनेक राजकर्मचारियों को हमारी सरकार ने अनेक बार ऐसे अवसर दिये कि जिन्हें हिन्दी का पूर्ण अभ्यास नहीं है, देवनागरी लिपि में जो ठीक से लिखापढ़ी नहीं कर सकते हैं तो वह इसके लिये प्रयास करें, सीख लें और वे पूर्ण रूप से भविष्य में सारे राजकाज हिन्दी में किया करें। इस प्रकार के अनेक अवसर देने पर भी अनेक बार चेतावनी देने पर भी, अनेक बार इस सदन में उस बात पर विचार तथा प्रश्न आदि होने पर भी वह राजकर्मचारी उसकी अवहेलना करते हैं तो इसके लिये उन्हें सचेत करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता प्रतीत हो रही है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इतना आवश्यक प्रश्न है कि इसके लिये सरकार स्वयं कोई कार्यवाही नहीं करती। उन राजकर्मचारियों को सचेत कर के उन्हें अन्तिम अवसर नहीं देती और दृढ़तापूर्वक इस आदेश का पालन करने के लिये व्यवस्था नहीं करती तो मैं समझता हूं कि हमारी यह राज-भाषा, हमारी यह राष्ट्र-भाषा, कभी इस प्रान्त में राजकर्मचारियों के द्वारा पनपने नहीं पायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—मैं देख रहा हूं कि सदन में गणपूर्ति नहीं है। इसलिये उनको बुलाने की एक चेष्टा मैं समझता हूं की जाय।

(घंटी बजायी गयी किन्तु गणपूर्ति नहीं हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब सन्ध्या की बेला में गणपूर्ति होना सम्भव नहीं है, और इसलिये अब हम उठते हैं, सोमवार को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३८ मिनट पर सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

राधेरमण सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ दिसम्बर, १९५५।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

तालिका (क)

क्रम सं०	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम (जिला झांसी)	वर्ष १९५४–५५ में दिया गया अनुपालन अनुदान
१	क्रिश्चियन	७,६२०
२	गांधी विद्यालय, मऊरानीपुर	६,९००
३	पी० एन०, ललितपुर	५,६४०
४	विपिन विहारी	१४,४८४
५	सरस्वती पाठशाला, इंडस्ट्रियल	८,३६४
६	लक्ष्मण दास डमेला ए० एच०, मऊरानीपुर	७,८२४
७	राजर्षि पी० डी० टंडन	४,४१६
८	सरस्वती हिन्दू पाठशाला, सिपरो बाजार	६,८६४
९	डी० ए० वी०	२,६४०
१०	सेन्ट जूड्स, गड़हिया फाटज	४,६४४
११	हाफिज सिद्दीकी	४,८३६
१२	श्री मर्दन सिंह, तालबेहाट	४,५४८
१३	त्यागमूर्ति ए० जी० खेर, गुरू सहाय	२,६१६
१४	आर्य कन्या पाठशाला, सिपरो बाजार	५,५५६

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १६९ एल ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा